विषय–वस्तु

	पृष्ठ संख्या
सूचना	3
बोर्ड की रिपोर्ट	9
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	70
वर्ष 2015–16 के लेखे (एकल)	83
नकदी प्रवाह विवरण	138
वर्ष 2015–16 के समेकित लेखे	141
वर्ष 2015–16 के समेकित लेखाओं पर भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	142
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	213
भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	215
समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	216
परोक्षी फॉर्म	218

निदेशक बोर्ड

(12 अगस्त, 2016 को)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री उमंग नरूला

कार्य निदेशक

श्री पीयूष तिवारी
निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन)
श्री प्रदीप कुमार दास, निदेशक (वित्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजीव रंजन
सुश्री मीनाक्षी शर्मा

स्वतंत्र निदेशक

श्री अनुगोलू वैंकट रतनम
डॉ. (सुश्री) उषा किरण राय
श्री अजय स्वरूप
श्री पटेल करसनभाई भिखाभाई

कंपनी सचिव

श्री वी के जैन

पंजीकृत कार्यालय

स्कोप कॉम्प्लेक्स
कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड
नई दिल्ली – 110003

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स,
फ्लैट नम्बर 9, प्रथम तल,
अंसारी मार्केट, दरिया गंज,
नई दिल्ली–110002

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स देवकी बिजय एंड कंपनी
मैसर्स के जी आचार्य एंड कंपनी
मैसर्स वी जे चोकसी एंड कंपनी
मैसर्स जी एस एंड एसोसिएट्स
मैसर्स ए मित्रा एंड एसोसिएट्स
मैसर्स संतोष के अग्रवाला एंड एसोसिएट्स
मैसर्स विनोद कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
मैसर्स विनोद सिंघल एंड कंपनी
मैसर्स बी एन अशोक कुमार एंड कंपनी
मैसर्स गुरु एंड राम
मैसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स

बैंकर्स

केनरा बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कॉरपोरेशन बैंक
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
सिंडीकेट बैंक
एक्सिस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफैक्स : 011–24360249
ई–मेल : cs_itdc@theashokgroup.com वेबसाइट : http://www.theashokgroup.com
सीआईएन : एल74899डीएल1965जीओआई004363

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की 51वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2016 को 1600 बजे सम्राट होटल, नई दिल्ली–110021 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी :–

सामान्य कार्य

(1) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के भारत पर्यटन विकास निगम लि. के एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा बोर्ड की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।

(2) 31 मार्च, 2016 को समेकित वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।

(3) निदेशक बोर्ड की सिफारिश के अनुसार कम्पनी की ईक्विटी शेयर पूंजी पर 15 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 1.50 प्रति शेयर) के लाभांश की घोषणा करना, जो ₹ 12,86,54,100/– राशि के समतुल्य है।

(4) संस्था अंतर्नियमावली के अंतर्नियम 61 के अधीन रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक श्री पीयूष तिवारी (डीआईएन 07194427), जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

(5) संस्था अंतर्नियमावली के अंतर्नियम 61 के अधीन रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक श्री संजीव रंजन (डीआईएन 02977371), जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कार्य

1) निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV की धारा IV की उप–धारा (2) के अनुसार कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय स्वरूप, पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को एतद्द्वारा 08.08.2016 से नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

(2) निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV की धारा IV की उप–धारा (2) के अनुसार कृषक, व्यवसायी और समाज सेवी श्री करसनभाई भिखाभाई पटेल को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में एतद्द्वारा 08.08.2016 से नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह./–
(वी. के. जैन)
कम्पनी सचिव
एसीएस 11270

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01.09.2016

टिप्पणियां :

1. वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों और उन निदेशकों, जिनकी नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है, के संबंध में अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान की गई हैं और सूचना का भाग हैं।

2. बैठक में उपस्थित होने और मत देने का पात्र सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार रखता है, और परोक्षी के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी को प्रभावी बनाने के लिए आवेदन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के आयोजन के न्यूनतम 48 घंटे पूर्व अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परोक्षी फार्म संलग्न है। कम्पनियों, संस्थाओं आदि की ओर से प्रस्तुत परोक्षी फार्मों को एक उचित संकल्प/प्राधिकारी, जैसा लागू हो, द्वारा समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

   कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम पचास सदस्यों, जिनका मतदान अधिकार स्वामित्व कुल शेयर पूंजी का औसतन 10 प्रतिशत से अधिक न हो, द्वारा एक व्यक्ति को परोक्षी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

3. सदस्य/परोक्षी को बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची साथ लाना आवश्यक है।

4. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी इस वार्षिक आम बैठक में कार्य मदों के संबंध में कम्पनी के उन सभी शेयरधारकों को दूरस्थ ई–मतदान के साथ–साथ मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है, जिनके नाम अंतिम तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2016 को दर्ज किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि., रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। ई–मतदान के लिए निर्देश उपस्थिति पर्ची के पीछे दिए गए हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

   सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना ई–मत डालने से पूर्व निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें। एक प्रस्ताव पर किसी सदस्य द्वारा एक बार मतदान करने के बाद उस सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सदस्य, जो अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे चुके हैं, को बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। वे सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, बैठक में अपना मतदान कर सकते हैं।

   जो व्यक्ति बैठक के नोटिस के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2016 को कंपनी के शेयर रखता हो, वह भी मतदान करने का पात्र होगा और वह यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने का तरीका समाचारपत्र के नोटिस के तहत http://www. theashokgroup.com/Aboutus/investorCorner पर उपलब्ध है।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों तथा केएमपी और उनकी शेयर धारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत संविदा अथवा व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि :–

   क) वार्षिक रिपोर्ट, सूचना की प्रतियाँ तथा विधिवत पूर्ण व हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची बैठक में अवश्य लाएं।

   ख) बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर विधिवत पूर्ण व हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची दिखाएं।

   ग) ध्यान दें कि उपस्थिति पर्ची/परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर, कम्पनी/कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि., रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट (आरटीए)/निक्षेपी भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार होने चाहिएं।

   घ) ध्यान दें कि संयुक्त धारकों के बैठक में उपस्थित होने के मामले में केवल वह संयुक्त धारक ही मतदान करने का पात्र होगा, जिसका नाम उच्चतर क्रम में है।

   ङ) सभी पत्राचार में अपने फोलियो/आईडी और डीपी आईडी संख्या का उल्लेख करें।

   च) ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

7. कम्पनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका सोमवार, 26 सितम्बर, 2016 से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिनों सहित) वार्षिक आम बैठक तथा लाभांश के भुगतान के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी। लाभांश भुगतान हेतु दर्ज करने की तिथि 25 सितम्बर, 2016 होगी।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अध्यधीन निदेशक बोर्ड की सिफारिश से यदि लाभांश बैठक में घोषित किया जाता है तो उन सदस्यों को अदा किया जाएगा, जिनका नाम 25 सितम्बर, 2016 को समाप्त कार्य घंटे को सदस्य के रजिस्टर में दर्ज हो।

9. भौतिक रूप से बहु फोलियो में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समेकन हेतु संगत शेयर प्रमाणपत्र के साथ आरटीए को आवेदन करें।

10. वित्त वर्ष 2008–09 के लिए दावारहित लाभांश, केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में 07.02.2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुरूप अंतरण के लिए देय होगा।

    सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वित्त वर्ष 2008–09 और वित्त वर्ष 2014–15 तक के संबंध में दावारहित लाभांश का विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.theashokgroup.com पर "हमारे बारे में–निवेशक कॉर्नर" आइकन के अंतर्गत उपलब्ध है।

सदस्य, जिनके उपर्युक्त वित्त वर्ष (वर्षों) के संबंधित लाभांश अधिपत्र भुनाए नहीं गए हैं, कम्पनी को लिखें।

11. सेबी ने प्रतिभूति बाजार में हर प्रतिभागी द्वारा पैन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपी प्रतिभागी के पास पैन जमा करें, जिनके साथ उनका डिमैट खाता है। प्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना पैन विवरण आरटीए/कम्पनी के पास जमा कर सकते हैं।

12. सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपने ई–मेल पते कम्पनी या निक्षेपी प्रतिभागी के साथ दर्ज नहीं कराया हैं, उनसे ई–मेल पते दर्ज कराने का पुनः अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन सदस्यों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पता, बैंक अधिदेश, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) में परिवर्तन संबंधी ब्यौरा अपने संबंधित निक्षेपी प्रतिभागी को भेजें।

13. 2015–16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, ई–मतदान के लिए निर्देशों के साथ और उपस्थिति पर्ची उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई–मेल आईडी आरटीए/ निक्षेपी प्रतिभागी के साथ संचार के उद्देश्य से दर्ज हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते दर्ज नहीं कराएं हैं, उन्हें 2015–16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रत्यक्ष प्रतियाँ और एजीएम की सूचना स्वीकार्य रूप में भेजी जा रही हैं। सदस्य इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट www.theashokgroup.com पर "हमारे बारे में–निवेशक कॉर्नर" आइकन के अंतर्गत भी देख सकते हैं और इन दस्तावेजों की प्रत्यक्ष प्रतियाँ निरीक्षण के लिए कार्यदिवसों पर सामान्य कार्य समय के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। सदस्य, जिन्हें इन दस्तावेजों की ई–संचार के साथ प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता है, वे हमें लिख सकते हैं।

14. सदस्यों को यदि लेखाओं या कार्यसूची में शामिल किसी मद के संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर अपना प्रश्न न्यूनतम 10 दिन पहले भेज दें, ताकि कंपनी संबंधित सूचना एकत्रित करके बैठक के समय इसका उत्तर तैयार रख सके।

15. कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के संदर्भ में, कम्पनी ने इस वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. की सेवाएं ली हैं। कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने श्री जलज श्रीवास्तव (सदस्यता संख्या 8498), मैसर्स जलज श्रीवास्तव एण्ड एसोसिएट्स, व्यवसायी कम्पनी सचिव के साझीदार को इस उद्देश्य के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

16. संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरण शनिवार को छोड़कर सभी कार्यदिवसों में सामान्य कार्य समय (प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) के दौरान, कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तिथि सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

सेवा में

(i) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सभी सदस्यगण

(ii) मैसर्स किशोर एंड किशोर, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स, फ्लैट नम्बर 9, प्रथम तल, राम मंदिर के सामने, अंसारी मार्केट, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002

(iii) मैसर्स चंद्रदीप भारती एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, ऑफिस संख्या 204, द्वितीय तल, बी–1267, आर एस टावर, मेट्रो पिलर संख्या 156 के सामने, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096

(iv) मैसर्स जलज श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, द्वारा जैम बिजनेस, 104, प्रथम तल, 86, नेहरू प्लेस, कालकाजी, नई दिल्ली–110019

(v) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड के सभी निदेशकगण

(vi) सभी स्टॉक एक्सचेंज

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या (6) और (7)

संस्था अंतर्नियमावली के खंड 61 के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के अधिकार के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्रालय के पत्र संख्या 1/2/2015–पीएसयू (टी) (i) और संख्या 1/2/2015–पीएसयू (टी) (ii), दिनांक 08.08.2016 के माध्यम से श्री अजय स्वरूप (डीआईएन संख्या 06739593), पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी तथा श्री पटेल करसनभाई भिखाभाई (डीआईएन संख्या 00287492), कृषक, व्यवसायी और समाजसेवी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार उपर्युक्त निदेशकों का संक्षिप्त परिचय, जिसमें उनकी विशेषज्ञता, शेयरधारण, अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद इत्यादि शामिल हैं, इस सूचना के अंत में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 149(7) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV की धारा IV में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का तरीका निहित है। इस धारा (अर्थात अनुसूची–IV की धारा IV) की उप–धारा (2) में यह अपेक्षित है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।

आईटीडीसी बोर्ड ने 12 अगस्त, 2016 को संपन्न अपनी 321वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत उपर्युक्त निदेशकों को नियुक्त किया है, जो कंपनी की आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

तदनुसार, कंपनी में श्री अजय स्वरूप और श्री पटेल करसनभाई भिखाभाई की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन का अनुरोध है।

श्री अजय स्वरूप और उनके संबंधियों (उनकी नियुक्ति के संबंध में) और श्री करसनभाई भिखाभाई पटेल और उनके संबंधियों (उनकी नियुक्ति के संबंध में) को छोड़कर किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंध कार्मिक और उनके संबंधियों का इस संकल्प में हित नहीं है।

नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों, जिनकी नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है और रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले तथा पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण।

श्री पीयूष तिवारी : श्री पीयूष तिवारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। इसके पहले, वह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक नवरत्न पीएसयू राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तर) और उप–महाप्रबंधक रह चुके हैं। 28 वर्ष से अधिक के उनके करियर में श्री तिवारी को विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सभी चार क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण) में भारत में लौह और इस्पात के खपत केंद्रों के प्रशासन का श्रेय दिया जाता है। श्री तिवारी को इस्पात उद्योग में लाभ केंद्र प्रचालनों के प्रबंधन, विपणन एवं व्यापार विकास (बी2बी और बी2सी) तथा समग्र कारोबार परिप्रेक्ष्य के साथ विकास हेतु कार्यनीति बनाने का गहन अनुभव है।

श्री तिवारी आईटीडीसी की 4 संयुक्त उद्यम कंपनियों के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आईटीडीसी में उनके शेयर नहीं हैं।

श्री संजीव रंजन : श्री संजीव रंजन, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास एम.फिल (आर्थिक नियोजन), एम.बी.ए (व्यवसाय प्रशासन), आईआईटी कानपुर से बी.टेक की डिग्री है। इस समय, श्री रंजन पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव और वित्त सलाहकार के रूप में पदस्थ हैं और आईटीडीसी के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक हैं। इसके पहले श्री रंजन रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। वे भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं। उन्होंने पर्यावरण और वन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, वित्तीय आर्थिक मामले, कृषि, ऊर्जा विद्युत इत्यादि में भी कार्य किया है।

श्री अजय स्वरूप : श्री अजय स्वरूप, भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय में कार्य किया है। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जैसे भारतीय दूतावास बेलग्रेड, में राजूदत – भारतीय कांसूलेट जनरल में कांसूल जनरल–डरबन, भारतीय दूतावास–वाशिंगटन में काउंसलर/मंत्री (कांग्रेशनल लाइजन), प्रथम सचिव/काउंसलर (वाणिज्यिक और आर्थिक), भारत के दूतावास–मिंस्क में कार्यदूत, भारतीय दूतावास–मॉस्को में प्रथम सचिव (आर्थिक), भारतीय दूतावास–हेग में द्वितीय सचिव (आर्थिक और वाणिज्यिक), क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ।

श्री करसनभाई भिखाभाई पटेल : श्री करसनभाई भिखाभाई पटेल एक कृषक, व्यवसायी और समाज सेवी हैं। वे गंदेवी निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं।

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह./–
(वी. के. जैन)
कम्पनी सचिव
एसीएस 11270

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01.09.2016

बोर्ड की रिपोर्ट (2015–16)

प्रिय शेयरधारको,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ निगम की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आपके निगम ने पिछले वर्ष 2014–15 में ₹ 504.19 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 465.69 करोड़ का कुल कारोबार किया है। निगम को पिछले वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 38.95 करोड़ के निवल लाभ (कर–पूर्व) की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 में ₹ 32.42 करोड़ का निवल लाभ (कर–पूर्व) हुआ है।

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

निगम (केवल भारत पर्यटन विकास निगम लि.) के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2014–15
कुल कारोबार	465.69	504.19
प्रचालन लाभ/(हानि)	42.51	51.68
घटाएं : मूल्यह्रास	8.03	10.26
घटाएं : पूर्व–अवधि समायोजन व असाधारण मदें तथा वित्तीय लागत	2.06	2.47
कर–पूर्व लाभ/(हानि)	32.42	38.95
जोड़ें : आस्थगित–कर	2.43	4.42
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान	12.30	9.50
घटाएं : धनकर के लिए प्रावधान	-	0.01
जोड़ें : पूर्व वर्षों में पुनरांकित आयकर के लिए प्रावधान	-	0.51
कर–पश्चात् लाभ/(हानि)	22.55	34.37
विनियोजन के लिये उपलब्ध राशि	22.55	34.37
प्रस्तावित लाभांश	12.87	17.15
लाभांश कर	2.62	3.49
ईक्विटी पूँजी	85.77	85.77
नियोजित पूँजी	282.94	279.77
पूँजी पर प्रतिफल की दर :		
कर–पूर्व	37.80%	45.41%
कर–पश्चात्	26.29%	40.07%
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की दर :		
कर–पूर्व	11.46%	13.92%
कर–पश्चात्	7.97%	12.29%

प्रचालन अनुपात

समग्र प्रचालन अनुपात पिछले वर्ष 2014–15 के 89.75 प्रतिशत की तुलना में 1.12 प्रतिशत बढ़कर चालू वर्ष में 90.87 प्रतिशत रहा है।

प्रभागवार वित्तीय निष्पादन

निगम का प्रभागवार वित्तीय निष्पादन संक्षेप में निम्नप्रकार है :–

(i) होटल प्रभाग ने पिछले वर्ष 2014–15 के कुल कारोबार ₹ 283.90 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 277.55 करोड़ हासिल किया है और इसने पिछले वर्ष ₹ 10.81 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 38.90 करोड़ का निवल लाभ कमाया है।

(ii) अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार (एआईटी) प्रभाग का कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹10.96 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 16.23 करोड़ हो गया है। अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग ने पिछले वर्ष के ₹ 0.84 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 2.37 करोड़ का निवल लाभ कमाया है।

(iii) अशोक ट्रैवल्स एंड टुअर्स प्रभाग का कुल कारोबार पिछले वर्ष 2014–15 के ₹ 119.69 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015–16 में ₹ 104.37 करोड़ रह गया। एटीटी प्रभाग को पिछले वर्ष 2014–15 के ₹ 0.75 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष ₹ 10.37 करोड़ की हानि हुई है। यह हानि ''एल'' ब्लॉक की संपत्ति के मामले में ₹ 13.14 करोड़ का प्रावधान करने के कारण हुई, जिसमें आईटीडीसी ने उच्च न्यायालय के खंड पीठ में अपील दायर करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में ₹ 13.14 करोड़ जमा किए हैं।

(iv) अशोक समारोह प्रभाग, जिसमें अशोक सर्जक शामिल है, का कुल कारोबार पिछले वर्ष 2014–15 के ₹ 12.33 करोड़ की तुलना में 2015–16 के दौरान बढ़कर ₹ 23.66 करोड़ हो गया। इस प्रभाग ने पिछले वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 2.11 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में 2015–16 में ₹ 4.01 करोड़ का लाभ कमाया है।

(v) वर्ष 2015–16 के दौरान इंजीनियरिंग प्रभाग, जिसमें ध्वनि व प्रकाश परियोजनाएं शामिल हैं, ने पिछले वर्ष 2014–15 में ₹ 8.09 करोड़ की तुलना में ₹ 15.31 करोड़ का कुल कारोबार किया और इसे पिछले वर्ष 2014–15 में ₹ 5.34 करोड़ की निवल हानि की तुलना में 2015–16 के दौरान ₹ 2.84 करोड़ की निवल हानि हुई है।

(vi) अशोक आतिथ्य व पर्यटन प्रबंध संस्थान (एआईएचएंडटीएम) ने पिछले वर्ष 2014–15 क ₹ 18.23 करोड़ की तुलना में 2015–16 के दौरान ₹ 3.28 करोड़ का कुल कारोबार किया, जिसमें इसे 2014–15 के दौरान ₹ 2.79 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में 2015–16 के दौरान ₹ 1.54 करोड़ की निवल हानि हुई।

(vii) निगम मुख्यालय ने प्रशासनिक कार्यालय होने के नाते ₹ 25.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 27.72 करोड़) की आय अर्जित की है, जोकि मुख्य रूप से इसके पास उपलब्ध अधिशेष निधियों से बैंकों में अल्पावधि जमाराशियों पर प्राप्त ब्याज की आय है।

पूंजीगत संरचना

निगम की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 31 मार्च, 2016 को निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 150 करोड़ तथा प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 85.77 करोड़ है।

लाभांश

निदेशक बोर्ड ने कम्पनी की ईक्विटी शेयर पूंजी पर वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 15 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है।

आरक्षित निधि में अंतरण

सामान्य आरक्षित निधि में ₹ 7 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।

समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में भारत पर्यटन विकास निगम की रेटिंग

भारत सरकार के साथ हुए समझौता–ज्ञापन के संदर्भ में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कम्पनी के वर्ष 2014–15 के कार्यनिष्पादन को 2.87 संयुक्त स्कोर के साथ "अच्छा" अधिसूचित किया गया है।

प्रबंध चर्चा व विश्लेषण

प्रबंध चर्चा व विश्लेषण पर रिपोर्ट **अनुबंध–I** में संलग्न है।

योजनागत स्कीमें

वर्ष 2015–16 के लिए पूंजीगत व्यय के प्रति संशोधित पूंजीगत बजट अनुमान ₹ 38.57 करोड़ था, जिसमें वर्तमान होटलों एवं खानपान एककों के नवीकरण/सुधार के लिए ₹ 36.67 करोड़ की राशि शामिल थी। वर्ष 2015–16 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 13.82 करोड़ था, जिसमें से ₹ 6.88 करोड़ पूंजीकृत किए गए तथा ₹ 6.94 करोड़ राजस्व में प्रभारित किए गए।

वर्ष 2016–17 का योजनागत पूंजी परिव्यय ₹ 57.05 करोड़ है, जिसमें से ₹ 54.58 करोड़ वर्तमान होटलों और खानपान एककों में नवीकरण/सुधार कार्यों से संबंधित हैं।

एमएसएमई से खरीद

निगम ने इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखे। हिंदी में निर्धारित मात्रा में काम करने वालों को नकद प्रोत्साहन दिए गए। हिंदी की कार्यशालाएं आयोजित करके, हिंदी में टिप्पण व मसौदा लेखन तथा अन्य कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिससे कि राजभाषा का दैनिक कामों में प्रचलन बढ़ सके। निगम में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी कवि–गोष्ठी, हिंदी नृत्य मंचन तथा राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किए गए।

ऊर्जा संरक्षण एवं तकनीकी समावेशन

ऊर्जा संरक्षण की प्रतिबद्धता सभी एककों में प्रचालन के विविध स्तरों पर रहती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण, ऊर्जा संरक्षण नीतियां एवं पद्धतियां इस दिशा में किए गए प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

चूंकि आपकी कम्पनी के प्रचालनों में कोई तकनीकी समावेशन नहीं है, इसलिए तकनीकी समावेशन के संबंध में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3)(ख) के अनुसार विवरण लागू नहीं है।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आय पिछले वर्ष के ₹ 12.99 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 17.95 करोड़ हुई है।

सहायक कम्पनियाँ

निगम की सात सहायक कंपनियां हैं, अर्थात् (i) डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (ii) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड (iii) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड (iv) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड (v) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड (vi) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड (vii) पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड। उपर्युक्त सहायक कंपनियों के अधीन होटल एकक क्रमशः ईटानगर, गुवाहाटी, भोपाल, पुडुचेरी और रांची में स्थापित किए गए थे। पुरी स्थित होटल एकक मार्च, 2004 से बंद है और उसे पट्टे पर देने की योजना है। आनंदपुर साहिब में होटल परियोजना अधूरी है। इसके अतिरिक्त निगम की एक सहयोगी कंपनी अर्थात आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है।

सभी सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करके अंतिम रूप दिया गया है तथा समेकित वार्षिक लेखे तैयार करके इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। सहायक कंपनियों की विशेषताओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र एओसी–1 में दिया गया है, जो समेकित वित्तीय लेखाओं 2015–16 का भाग है।

सतर्कता तंत्र और विसल ब्लोअर नीति

निगम की एक विसल ब्लोअर नीति है, जो वेबसाइट http://theashokgroup.com/Aboutus/rti पर दी गई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते निगम का एक सतर्कता विभाग है। सतर्कता प्रभाग का प्रमुख सतर्कता अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), जो एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है, के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है।

निदेशक बोर्ड

वर्ष के दौरान, कंपनी कार्यों को निष्पादित करने के लिए निदेशक बोर्ड की छह बैठकें हुईं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निदेशक नियुक्त किए गए :

(i) श्री उमंग नरूला को 24.04.2015 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

(ii) श्री पीयूष तिवारी, निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन) 28.05.2015 से

(iii) श्री प्रदीप कुमार दास, निदेशक (वित्त) 25.02.2016 से

(iv) श्री संजीव रंजन, 01.10.2015 से

(v) श्री सुमन बिल्ला, 01.10.2015 से

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निदेशक, निदेशक बोर्ड पर नहीं रहे :

(i) श्री गिरीश शंकर, निदेशक 01.10.2015 से

(ii) श्री त्रिनाथ बेहरा, निदेशक (वित्त) 01.07.2015 से

(iii) डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, निदेशक 01.10.2015 से

निदेशक बोर्ड उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं के लिए उनकी सराहना करता है।

बोर्ड की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :

(i) श्री उमंग नरूला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 24.04.2015 से

(ii) श्री पीयूष तिवारी, निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन), 28.05.2015 से

(iii) श्री प्रदीप कुमार दास, निदेशक (वित्त) 25.02.2016 से

(iv) श्री संजीव रंजन, 01.10.2015 से

(v) सुश्री मीनाक्षी शर्मा, 11.07.2016 से

(vi) श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, 07.10.2013 से

(vii) डॉ. उषा किरण राय, 10.12.2013 से

(viii) श्री अजय स्वरूप, 08.08.2016 से

(ix) श्री पटेल करसनभाई भिखाभाई, 08.08.2016 से

संस्था अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार श्री पीयूष तिवारी और श्री संजीव रंजन रोटेशन के आधार पर आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए पात्र निदेशकगण और जो पुनर्नियुक्ति चाहते हैं और जिनकी नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है, उन निदेशकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अपेक्षित प्रोफाइल आदि का विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ दिया गया है।

प्रशिक्षण नीति तथा निदेशकों को दिया गया प्रशिक्षण

निगम ने बोर्ड के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार, आईटीडीसी बोर्ड के सदस्यों को स्कोप तथा डीपीई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजता है। इसके अतिरिक्त, गैर–सरकारी निदेशकों के शामिल होने पर, आईटीडीसी आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमए, आईआईएम इत्यादि जैसे व्यावसायिक संस्थानों से निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान गैर–सरकारी निदेशकों ने आईटीडीसी के माध्यम से किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से यह घोषणा प्राप्त हुई कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण करार/सूचीकरण विनियम के खंड 49 में निर्धारित स्वतंत्रता की पात्रता रखता है।

बोर्ड का मूल्यांकन

बोर्ड का समग्र रूप से तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित पात्रता तथा फ्रेमवर्क के आधार पर किया गया था। समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पात्रता के आधार पर बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन छह क्षेत्रों में किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन भी 1 से 5 के मानदंड पर तैयार की गई प्रश्नावली पर आधारित छह क्षेत्रों में किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों ने स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक में गैर–स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किया था।

किसी भी स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति आगामी आम बैठक में शेष नहीं है।

ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईटीडीसी ने अपनी संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी मैसर्स उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्मचारियों की वीआरएस देयता, स्टॉफ के बकाया वेतन के भुगतान, सांविधिक देयताओं तथा दैनिक व्यय के लिए 12.5 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज पर ₹ 3,52,50,000 का ऋण दिया है।

निगम अभिशासन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड ग की आवश्यकतानुसार निगम अभिशासन पर विस्तृत रिपोर्ट एवं निम्नलिखित दस्तावेज **अनुबंध–II** में संलग्न हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग हैं :

(i) सीईओ/सीएफओ प्रमाण–पत्र [सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार]; और

(ii) कम्पनी के लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र [सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–V के खंड ङ के अनुसार] और टिप्पणियों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर सहित।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की आवश्यकतानुसार एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :–

- 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है तथा विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको संगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे उचित व विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए हैं, जिससे वित्त वर्ष के अन्त में कम्पनी के कार्यों तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के संबंध में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत कर सके;
- निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए उचित तथा उपयुक्त ध्यान रखा है;
- निदेशकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं को "चालू प्रतिष्ठान" के आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह कि ये आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से प्रचालित थे;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां तैयार की थीं और यह कि ये प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालित थीं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निगम में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। बोर्ड ने कारोबार का निष्पादन सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नीतियां और लाइसेंसीकरण की कार्यविधि, क्रय की कार्यविधियां, इंजीनियरिंग तथा कार्य मैनुअल, शक्तियों का प्रत्यायोजन जैसी कार्यविधियां निर्धारित की हैं।

आईटीडीसी के सभी एककों/वर्टिकल्स की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटैंट फर्मों की पेशेवर सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। निदेशक बोर्ड द्वारा यथानुमोदित विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल सभी एककों में परिचालित किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणालियों की कारगरता और उपयुक्तता की निगरानी करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जब भी अपेक्षित हो, एककों/वर्टिकल्स द्वारा सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती हैं।

संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत रिपोर्ट करने योग्य तात्त्विक रूप से महत्त्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड ने संबंधित पार्टी लेनदेन की तात्त्विकता संबंधी नीति अनुमोदित की है और इसे कंपनी की वेबसाइट http://theashokgroup.com/Aboutus/Investorcorner पर दिया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अंतर्गत रिपोर्ट

वर्ष 2015–16 के दौरान आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष "दि अशोक" के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक मामला आया था। आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच की और इस मामले में दिल्ली महिला आयोग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह मामला निपटाया जा चुका है।

निगम सामाजिक दायित्व और सतत् विकास

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधि ''स्वच्छ भारत'' थी और चुरू (राजस्थान) में पिछड़े क्षेत्रों में शौचालय ब्लॉक का निर्माण किया गया था।

सीएसआर गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट तथा सतत् विकास गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट **अनुबंध–III** में दी गई है।

जोखिम प्रबंधन नीति और उसका कार्यान्वयन

आईटीडीसी बोर्ड ने 11 मई, 2010 को सम्पन्न अपनी बैठक में जोखिमों की पहचान और उपशमन के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार, सभी रणनीतिक प्रभागों के एकक अध्यक्ष को जोखिम प्रबंधक के रूप में मनोनीत किया गया है और निगम की जोखिम प्रबंधन नीति की निगरानी करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन अनुपालन समिति (आरएमसीसी) का गठन किया है, जिसके प्रमुख इस समय निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन) हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान आईटीडीसी के विभिन्न एककों/प्रभागों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार कंपनी के विशेष जोखिम इस प्रकार हैं :

आर्थिक जोखिम : ग्राहकों के एक क्षेत्र अर्थात सरकार पर निर्भरता

औद्योगिक जोखिम : व्यापक सुविधाओं के साथ नई कंपनियों के कारण बाजार हिस्से को खतरा

कार्मिक जोखिम : पर्याप्त कौशल की अनुपलब्धता और मुख्य पदों पर मानवशक्ति में कमी

कानूनी जोखिम : संविदात्मक जोखिम और कर जोखिम

प्रचालन जोखिम : होटलों की पुरानी होती परिसंपत्तियां

लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2)/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन वर्ष 2015–16 के लिए चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स मैसर्स किशोर एंड किशोर को कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक तथा विभिन्न शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 2015–16 के लेखाओं (केवल भारत पर्यटन विकास निगम लि. और समेकित) पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और अवलोकनों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर **अनुबंध–IV और V** में दिए गए हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

आईटीडीसी बोर्ड ने 27 जनवरी, 2016 को सम्पन्न अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अधीन अपेक्षित सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी सचिव, मैसर्स चंद्रदीप भारती एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 2015–16 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–VI** में तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और अवलोकनों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर **अनुबंध–VII** में दिए गए हैं।

वार्षिक विवरण का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण का सार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–VIII** के रूप में संलग्न किया गया है।

महत्त्वपूर्ण और आवश्यक आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण और आवश्यक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो चालू प्रतिष्ठान की हैसियत और भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करता हो।

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लि. के लेखाओं पर टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई हैं।

तारीख : 12.08.2016
स्थान : नई दिल्ली

वित्त वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्त वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तात्त्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

आभार

(i) निदेशक बोर्ड कम्पनी के ग्राहकों द्वारा संगठन को अपना समर्थन देने और संगठन पर विश्वास बनाए रखने के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी यह संबंध जारी रखने की आशा करता है।

(ii) निदेशक बोर्ड कम्पनी के प्रचालनों और विकास योजनाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक बोर्ड भारत पर्यटन विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है, जिनके उत्साह, समर्पण और सहयोग से कंपनी प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

ह./–
(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुबंध–I

प्रबंध चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य

वैश्विक जीडीपी 2015 में 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जबकि पिछले वर्ष यह 3.3 प्रतिशत थी और इसके अगले दो वर्षों में बढ़कर 2016 में 2.9 प्रतिशत और 2017 में 3.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2014–15 में 7.2 प्रतिशत रही और आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार 2015–16 में 7.6 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान है, जो विश्व में सबसे अच्छा निष्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था है।

भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है, मुख्य रोजगार सृजक क्षेत्र है और भारतीय विकास गाथा का एक अभिन्न हिस्सा है। वर्ष 2015 के दौरान दर्ज विदेशी यात्रियों के आगमन की संख्या 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के चलते 80.27 लाख थी, जबकि यह संख्या 2014 के दौरान 10.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 76.79 लाख था, जबकि 2013 मे विदेशी पर्यटन आगमन 69.67 लाख था। ''मेक इन इंडिया'', ''स्वच्छ भारत मिशन'' और ''स्मार्ट सिटी'' इत्यादि जैसी सरकारी पहलों और नई पर्यटन नीति तथा नागर उड्यन नीति के शुरू करने से यात्रा और पर्यटन के देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना अपेक्षित है।

भारत पर्यटन विकास निगम, वाणिज्यिक संगठन के रूप में होटलों का निर्माण और प्रबंध, शुल्क मुक्त दुकानों को चलाने, यात्रा एवं भ्रमण सेवाएं प्रदान करने व पर्यटक प्रचार सामग्री तथा पर्यटन एवं आतिथ्य शिक्षा आदि को प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय के संवर्धनात्मक विंग के रूप में यह देश में पर्यटन की आधारिक संरचना के विकास में भी उत्प्रेरक और अग्रणी भूमिका निभाता है।

''फास्टेस्ट ग्रोइंग मिनी रत्ना'' शीर्षक के अंतर्गत आईटीडीसी को 2015 के लिए दलाल स्ट्रीट जर्नल का 7वां सर्वोत्तम पीएसयू पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नागर उड्यन राज्य मंत्री माननीय डॉ. महेश शर्मा द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन (पटवा) द्वारा निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन) को व्यवसाय विकास में सर्वोत्तम पेशेवर तथा प्रधान प्रबंधक (निगम विपणन व बिक्री) को सर्वोत्तम विपणन पेशेवर का पुरस्कार प्रदान किया गया।

भारत पर्यटन विकास निगम ने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया। इसका शुभारंभ करते हुए 01 अक्तूबर, 2015 को 'दि अशोक' में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई।

प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन सहित क्षेत्रवार निष्पादन

क. होटल प्रभाग

अतिथियों के बेहतर अनुभव के लिए दि अशोक, नई दिल्ली के कतिपय क्षेत्रों को नवीकृत किया गया, जिसमें छठे तल का अतिथि कॉरिडोर, 5वें तल का डी–विंग कारिडोर, अवध रेस्टोरैंट का प्रसाधन गृह इत्यादि शामिल हैं।

'दि अशोक' नई दिल्ली की टीम ने विभिन्न सम्मेलनों, समारोहों तथा कार्यक्रमों में भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, फिल्म समारोह निदेशालय तथा अन्य कई विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति से पाककला संबंधी सफलता में योगदान किया। इस होटल को चौथे भारत–अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन, ''अतिथि देवो भवः'' नामक टेलीविजन विज्ञापन तथा ''भारत : योगभूमि'', उच्च स्तरीय विवाह समारोह, कारपोरेट तथा सरकारी समारोह और लाइफस्टाइल प्रदर्शनियां इत्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण सम्मेलन/समारोह की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ।

होटल सम्राट, नई दिल्ली ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ आंदोलन–महिला और बाल विकास मंत्रालय, यूपीएससी, सार्क प्रतिनिधि मंडल, भारतीय निर्वाचन आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, एमएमटीसी, भारतीय नौसेना इत्यादि जैसे कई महत्त्वपूर्ण समूहों की मेजबानी की । यह एकक कोल इंडिया, ईसीजीसी, एनएसई लिमिटेड, सेल, एनसीईआरटी, सीबीजीए, एयर इंडिया और अन्य संगठनों के साथ भी संबद्ध रहा है क्योंकि इन संगठनों ने अपने सम्मेलनों के आयोजन के लिए होटल सम्राट का चयन किया था।

होटल जनपथ की पैक की हुई थाली अतिथियों में अत्यधिक लोकप्रिय हुई है, होटल ने सिविल दिवस समारोह के लिए एक दिन में 3000 थालियों की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की है।

होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना ने एनजीओ, फार्मा, पीएसयू, संस्थानों, उड्डयन, कारपोरेट हाउस, प्रदर्शनियों, अस्पतालों इत्यादि जैसे विभिन्न बाजार क्षेत्रों में सफलतापूर्वक समारोह और सम्मेलन आयोजित किए हैं।

इस एकक ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के पटना के दौरे के दौरान उनके लिए आउटडोर केटरिंग भी की।

होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर ने पर्यटन मंत्रालय, आर्थिक और सांख्यिकी महानिदेशालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए। इस एकक ने राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, महिला और बाल कल्याण, दिव्यांग आयुक्त कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एससीएसटी आरटीआई इत्यादि के विभिन्न कार्यक्रमों को भी आयोजित किया।

होटल जम्मू अशोक, जम्मू ने सफलतापूर्वक आईएसओ प्रमाणन को पूरा किया है। इस होटल ने मारूति सुजुकी, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, खादी ग्रामोद्योग मंत्रालय इत्यादि के कुछ उच्च स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी की है।

ललित महल पैलेस होटल, मैसूर ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान उनकी मेजबानी की। इस एकक ने मैसूर में 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान उनके और उनके अनुगामियों के लिए आउटडोर केटरिंग भी की । ललित महल पैलेस होटल ने केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, एसबीआई लाइफ, कोन्वा टेक इंडिया इत्यादि के लिए कई आवासीय सम्मेलनों की मेजबानी की है। सितम्बर, 2015 में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी टीम के लिए विशिष्ट रात्रि–भोज और एफएएम टुअर भी आयोजित किया गया था। होटल द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के थीम लंच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इस एकक ने सप्ताह–भर के दशहरा उत्सव को भी मनाया।

अशोक समूह के होटलों ने खाद्य उत्सव आयोजित करके अपनी पाक कला संबंधी कौशल का प्रदर्शन किया है।

- अशोक समूह के शेफों ने विश्व के 12 देशों, जिनमें ताशकंद (उज्बेकिस्तान), सिंगापुर, मलेशिया, इक्वाडोर, जापान, फिलीस्तीन, मेक्सिको, लेबनान, मेडागास्कर, मिस्र, इटली और नीदरलैंड शामिल हैं, में भारतीय खाद्य उत्सवों में भाग लिया और सराहना अर्जित की।

- होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर ने जून और अगस्त, 2015 में 10 दिवसीय कॉकटेल कबाब उत्सव और गोवा खाद्य उत्सव आयोजित किया था। दिसम्बर, 2015 में उन्होंने दावत–ए–पुरानी दिल्ली नामक दो दिवसीय खाद्य उत्सव आयोजित करके पुरानी दिल्ली के व्यंजनों को भी बढ़ावा दिया। होटल ने मई, 2015 में भोजन के साथ ही बार में भी विशेष पेशकश की थी।

- होटल जनपथ, नई दिल्ली ने नौ दिन का नवरात्र खाद्य उत्सव तथा महीने–भर का मानसून मील महोत्सव का आयोजन किया। ग्रीष्म मौसम के अनुरूप होटल ने सूप, सलाद और ग्रीष्म पेय उत्सव का दो माह तक आयोजन किया। अपने रेस्टोरेंट के प्रमुख व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए होटल ने शाही गुलनार थाली उत्सव को जारी रखा है।

- होटल जम्मू अशोक ने भी अवधी उत्सव, आम खाद्य उत्सव और कबाब उत्सव जैसे विभिन्न खाद्य समारोहों को आयोजित किया।

- दि अशोक, नई दिल्ली ने दिसम्बर, 2015 में आयोजित 3 दिवसीय पैलेट फेस्ट में हिस्सा लिया।

अशोक होटल समूह को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :

- **दि अशोक, नई दिल्ली** को 11वें हास्पिटैलिटी इंडिया एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पुरस्कार, 2015 में **''बेस्ट माइस होटल''** के रूप में पुरस्कृत किया गया।

- सफारी इंडिया पुरस्कार में **दि अशोक, नई दिल्ली** को वर्ष 2015 का **''बेस्ट माइस होटल''** का पुरस्कार दिया गया।

- दो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेकमाईट्रिप और क्लियरट्रिप द्वारा वर्ष 2015 के लिए **होटल जनपथ, नई दिल्ली को बेस्ट परफार्मिंग बिजनेस होटल** के रूप में पुरस्कृत किया गया। इसे ऑनलाइन समीक्षा पोर्टल माऊथशट.कॉम द्वारा वर्ष 2015 के लिए **''पीपल्स च्वाइस होटल''** के रूप में भी पुरस्कृत किया गया है।

- **होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना** को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ''हॉलिडे आईक्यू'' द्वारा **''बेटर हॉलिडे''** का पुरस्कार प्रदान किया गया।

- **होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर** को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल क्लियर ट्रिप.कॉम द्वारा **''फीचर्ड होटल''** से सम्मानित किया गया तथा हॉलिडे आईक्यू से **''बेटर हॉलिडे''** पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल क्लियरट्रिप द्वारा वर्ष 2015 के लिए **''फीचर्ड होटल''** के रूप में **ललित महल पैलेस होटल, मैसूर** का चयन किया गया। इसे राज्य बागबानी विभाग द्वारा आयोजित दशहरा 2015 के दौरान **''बेस्ट गार्डन पुरस्कार''** भी दिया गया।

- ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेकमाईट्रिप और बुकिंग.कॉम पर भरतपुर के होटलों में **होटल भरतपुर अशोक को प्रथम स्थान** दिया गया।

अशोक होटल समूह के पदाधिकारियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है :

- इंडियन कलिनरी फोरम द्वारा इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित 12वें वार्षिक शेफ पुरस्कार में सिल्वर हैट से पुरस्कृत (23.10.2015)

- आहार 2016 के दौरान आईसीएफ द्वारा कलिनरी आर्ट इंडिया स्पर्धा में दो रजत पुरस्कार

- हॉस्पिटैलिटी इंडिया एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पुरस्कार के साथ–साथ सफारी इंडिया द्वारा वर्ष 2015 के लिए ''बेस्ट बैंक्विट मैनेजर 5 स्टार डीलक्स होटल'' का पुरस्कार

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान होटल प्रभाग ने पिछले वर्ष 2014–15 के ₹ 283.90 करोड़ की तुलना में ₹ 277.55 का कुल कारोबार किया और पिछले वर्ष के ₹ 10.81 करोड़ के निवल लाभ के मुकाबले ₹ 38.90 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया। समग्र रूप से होटल अधिभोग पिछले वर्ष की तरह ही अर्थात 55 प्रतिशत रहा।

ख. अशोक समारोह प्रभाग

अशोक समारोह प्रभाग देश और विदेश दोनों में समाराहों, सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का प्रबंध कार्य संभालता है। वर्षो से इसने अब तक स्वयं को पेशेवर सम्मेलन और समारोह प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान अशोक समारोह प्रभाग ने 200 से अधिक समारोहों को संभाला है। प्रबंधित/समन्वित बड़े समारोहों में शामिल हैं : भारत के माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2016; भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए ''राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2013–14'' सिविल सर्विसेज दिवस 2015 – भारत के माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे; भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ''स्टॉर्ट अप इंडिया'' का शुभारंभ; भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ''स्किल इंडिया'' का आरंभ; भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ''स्मार्ट सिटीज़, अमृत और सबके लिए आवास'' का आरंभ; भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ''शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित साधनों और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय बैठक''; ''अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सम्मेलन 2015'' – इसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे; ''हन्नोवर, जर्मनी में मेक इन इंडिया'' के लिए समारोह समन्वयक – उद्घाटन समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और जर्मनी की महामहिम चांसलर उपस्थित थीं।

अशोक समारोह प्रभाग ने 26 से 31 जनवरी, 2016 तक लाल किले के प्रांगण में आयोजित छह दिवसीय ''भारत पर्व'' का प्रबंध कार्य किया। इस समारोह का एक मुख्य आकर्षण खाद्य उत्सव था जिसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया तथा आईटीडीसी के अशोक आतिथ्य पर्यटन तथा प्रबंधन संस्थान प्रभाग द्वारा खाद्यों के स्टॉल लगाए गए थे। अशोक समारोह प्रभाग द्वारा 3 अगस्त से 15 अगस्त, 2016 तक दिल्ली में पांच विभिन्न स्थलों पर इसी प्रकार ''भारत पर्व'' का प्रबंध कार्य किया गया था।

अशोक समारोह के मुद्रण और उत्पादन विभाग ने भी अपने ग्राहकों के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं।

अपनी समारोह प्रबंधन गतिविधियों के जरिए अशोक समारोह प्रभाग होटल और ट्रैवल एवं टुअर्स समेत आईटीडीसी के अन्य वर्टिकल्स के लिए भी व्यवसाय का सृजन करता है।

अशोक सर्जक सहित अशोक समारोह प्रभाग का पिछले वर्ष 2014–15 के ₹ 12.33 करोड़ की तुलना में 2015–16 के दौरान कुल कारोबार ₹ 23.66 करोड़ था और इसने 2015–16 के दौरान ₹ 4.01 करोड़ लाभ अर्जित किया, जबकि 2014–15 के दौरान निवल लाभ ₹ 2.11 करोड़ था।

ग. अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग

अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग का व्यवसाय मुख्यतः समुद्रपत्तनों पर केंद्रित है। यह प्रभाग 8 समुद्रपत्तनों और एक एयरपोर्ट पर कार्यरत है। इस प्रभाग द्वारा कांडला और कोचीन समुद्रपत्तनों में प्रचालन आरंभ किए जाने की संभावना है।

एआईटीडी ने कुल कारोबार और लाभ में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार हेतु उत्पादों में क्रमिक और सावधानीपूर्वक वृद्धि करना।
- बेहतर योगदान के साथ उत्पादों पर बल देने के लिए विभिन्न उत्पाद सम्मिश्रणों का सावधानीपूर्वक चयन करना।
- सभी स्थलों पर बिक्री के लिए पण्य वस्तुओं की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला समयबद्ध और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
- चेन्नई हब पर समेकित आयात ने पण्य वस्तुओं की इकाई लागत और आदेश देने की लागत में भी कमी करने में सहायता की है।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, मूल्य संवर्धन सहित सम्मिश्रित विपणन के माध्यम से स्टॉक की शीघ्र बिक्री सुनिश्चित हुई है।
- रखाव लागत कम करने के लिए बेहतर मालसूची प्रबंधन।
- फ्रंट प्रचालन की जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए बैक–एंड प्रचालनों को सुचारू करना।
- स्टॉक के समाप्त होने के कारण बिक्री हानि से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्टॉक तैयार करना।
- यात्रियों की संख्या और परिवर्तन दर को बेहतर करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की सहायता से सतत उत्पाद संवर्धन करना।

यह प्रभाग स्थान के आबंटन के लिए तूतीकोरिन और जेएनपीटी पत्तनों के साथ वार्ता कर रहा है। शेष मुख्य पत्तन अर्थात कामराजार अगला लक्ष्य है, जहां आईटीडीसी की प्रचालन आरंभ करने की योजना है।

भारत में सभी मुख्य विमानपत्तन खुदरा प्रचालन का कार्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के पास होने के कारण आईटीडीसी देश में टायर–II शहरों में विमानपत्तनों को लक्ष्य बना रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या इन विमानपत्तनों में भी बढ़ी है।

अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग का कुल कारोबार पिछले वर्ष ₹ 10.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 16.23 करोड़ हो गया है। एआईटी प्रभाग ने ₹ 0.84 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 2.37 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

घ. अशोक ट्रैवल्स और टुअर्स प्रभाग

अशोक ट्रैवल्स और टुअर्स प्रभाग, भारत पर्यटन विकास निगम का आंतरिक ट्रैवल प्रभाग है, जो पिछले 46 वर्षों से विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों, सरकारी विद्यालयों तथा आम जनता को भी एयर टिकट/कार रेंटल/होटल बुकिंग/टुअर पैकेज/एलटीसी पैकेज इत्यादि जैसी यात्रा से संबंधित सेवाएं मुहैया करता रहा है।

वर्ष 2015–16 में अशोक ट्रैवल्स और टुअर्स प्रभाग का कुल कारोबार ₹ 104.37 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष 2014–15 में यह ₹ 119.69 करोड़ था। एटीटी प्रभाग को पिछले वर्ष 2014–15 में ₹ 0.75 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 10.37 करोड़ की हानि हुई है। यह हानि ''एल'' ब्लॉक संपत्ति मामले में ₹ 13.14 करोड़ का प्रावधान करने से हुई, जिसमें आईटीडीसी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में ₹ 13.14 करोड़ जमा किए हैं।

अगले वर्ष 2016–17 में, यह प्रभाग ₹ 125 करोड़ के कुल कारोबार को प्राप्त करने के लिए तैयार है। इसे हासिल करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

क) देश में अधिक जीएसए की नियुक्ति करके हवाई टिकट और पैकेज टुअर दोनों की मात्रा बढ़ाना।

ख) ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल को सुदृढ़ करना, जो वर्तमान समय की जरूरत है।

ग) लीज आयोजना के जरिए नए पर्यटक वाहनों की फ्लीट की खरीद करना।

घ) सरकारी/निजी विद्यालयों के लिए छात्र पैकेज विकसित करना।

ड.) स्कोप कॉम्प्लेक्स में ट्रैवल काउंटर के माध्यम से बिक्री बढ़ाना।

(च) बड़े स्तर पर विस्तार और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए संविदा आधार पर नए और युवा पेशेवर जनशक्ति को शामिल करना।

छ) कार्गो व्यवसाय, जिसमें भारी क्षमता है, में प्रवेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

समग्र रूप से एटीटी, ट्रैवल्स और टुअर्स प्रभाग की संवृद्धि और सुदृढ़ीकरण के लिए नए क्षेत्र तलाश रहा है।

ङ अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन संस्थान

अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एआईएचएंडटीएम) ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सम्राट होटल, नई दिल्ली में एक नया परिसर स्थापित किया है। इस पूर्ण रूप से वातानुकूलित परिसर में एक ही छत के नीचे बड़े क्लास रूम, प्रशिक्षण किचन और बेकरी, कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय और सभी प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

वर्ष 2015 में इस परिसर में राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध आतिथ्य और होटल प्रशासन में बी.एस.सी डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष 60 छात्र लिए जाते हैं।

एआईएचएंडटीएम का शीघ्र ही इस परिसर में एनसीएचएमसीटी द्वारा प्रस्तुत हस्त–कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

एआईएचएंडटीएम आतिथ्य और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से गठजोड़ करने का भी प्रयास कर रहा है।

कुतुब सांस्थानिक परिसर में, एआईएचएंडटीएम ने अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य व्यवसाय प्रबंधन में 4–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक–वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जयपुर, भुवनेश्वर, पुडुचेरी और मैसूर स्थित आईटीडीसी के होटलों में डोनर मंत्रालय की ओर से संचालित आतिथ्य और ट्रैवल ट्रेड में एक वर्षीय आवासीय प्रशिक्षण जारी रखा है। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों को आतिथ्य और यात्रा उद्योग में नियोजित किया गया है।

अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एआईएचएंडटीएम) ने 2015–16 के दौरान ₹ 3.28 करोड़ का कुल कारोबार किया जबकि पिछले वर्ष 2014–15 में यह ₹ 18.23 करोड़ था। 2015–16 के दौरान ₹ 1.54 करोड़ की निवल हानि हुई, जबकि 2014–15 के दौरान ₹ 2.79 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।

च. अशोक परामर्शी व इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग (एसीईएस)

अशोक परामर्शी व इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, वास्तुकला क्षेत्र के अभियंता शामिल हैं। इस प्रभाग के पास आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने, प्रबंध परामर्श एवं साहसिक पर्यटन के लिए सलाहकार एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने की विशेषज्ञता है। यह भारतभर में आईटीडीसी की परिसंपत्तियों का भी रखरखाव और उन्नयन करता है। यह पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजनाएं भी चलाता है। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकारें आईटीडीसी से इन सेवाओं के उपयोग के लिए संपर्क करती हैं।

एसीईएस ने हाल ही में एक संस्थान के रूप में होटल सम्राट में उत्कृष्टता केंद्र सृजित किया है, जहां किचन, बेकरी, कम्प्यूटर लैब इत्यादि जैसी आवश्यक अवसंरचना के साथ होटल प्रबंधन में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है।

एसीईएस अशोक होटल में पांचवें तल और सौंध भवन में प्रसाधन गृह के साथ 45 अतिथि कक्षों के नवीकरण का कार्य कर रहा है। होटल सम्राट में लॉबी क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसाधन गृह के साथ अतिथि कक्षों के 32 प्रसाधन गृहों के नवीनीकरण के साथ–साथ स्विमिंग पूल के पुनरुद्धार और बाहरी भाग के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहा है।

एसीईएस प्रभाग, सीएफए के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना में (1) पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत होटल रांची अशोक, रांची में सम्मेलन केंद्र, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत (2) रांची सराईकेला खरसावन पूर्बी सिंहभूम मेगा टूरिस्ट सर्किट, झारखंड चरण–I एवं II (3) संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लुधियाना में कला दीर्घा और संग्रहालय का

निर्माण, (4) संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत मोरांवली, पंजाब में श्रीमती विद्यावती जी स्मारक के निर्माण के अवसंरचना संबंधी।

ओडिशा राज्य सरकार ने पुरी क्षेत्र में मेगा सर्किट विकास योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास को मंजूरी दी है।

भावी कार्ययोजना में आईटीडीसी परिसम्पत्तियों के नवीकरण/उन्नयन पर ध्यान देना और इन्हें प्रतिस्पर्धा में बराबरी पर लाना, बड़ी परियोजनाओं के लिए डीपीआर बनाने हेतु राज्य सरकारों से सम्पर्क करना तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ विभिन्न अवसंरचना एवं नवीकरण परियोजनाओं पर ध्यान देना शामिल है।

इंजीनियरिंग प्रभाग, जिसमें एसईएल परियोजनाएं शामिल हैं, ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 15.31 करोड़ का कुल कारोबार किया, जबकि पिछले वर्ष कुल कारोबार ₹ 8.09 करोड़ हुआ था। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 2.84 करोड़ की निवल हानि हुई है, जबकि पिछले वर्ष 2014–15 में ₹ 5.34 करोड़ की निवल हानि हुई थी।

छ. ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन

ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है :

1. ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन से संबंधित परामर्शी सेवाएं।

2. लाल किला और पुराना किला, दिल्ली में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनों का प्रचालन।

3. ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

वर्ष 2015–16 के दौरान इस प्रभाग ने गुजरात में सरखेज रोजा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने; लाल किला, दिल्ली और ब्रह्मकुंड वृंदावन, उत्तर प्रदेश के उन्नयन करने का कार्य किया है।

इस प्रभाग ने स्मारकों पर ध्वनि और प्रकाश उपकरणों के प्रभाव निर्धारण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक अनिवार्य आवश्यकता है, का कार्य भी किया है। अब तक प्रभाग द्वारा गुजरात में चंपानेर और सरखेज रोजा के लिए प्रभाव निर्धारण रिपोर्टें तैयार की गई हैं और प्रस्तुत की गईं हैं।

रांची में कांके बांध और ओडिशा में धौली में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन की परियोजनाएं पूरी की गई हैं और प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कोणार्क–ओडिशा, डल झील – जम्मू एवं कश्मीर तथा तिलयार झील – हरियाणा में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन का परियोजना कार्य चल रहा है। उदयगिरि–ओडिशा, दीव पत्तन में परियोजनाएं और सारनाथ में 4 एएसआई संरक्षित स्मारकों की प्रकाश–व्यवस्था का कार्य अंतिम चरण में है।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन की परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

पर्यटन मंत्रालय का अगले तीन वर्षों में देशभर में 100 प्रदर्शन स्थापित करने का विचार है। अतः अच्छे व्यवसाय की संभावना है। साथ ही ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की

प्रक्रिया में गति आई है और यह अन्य राज्य संगठनों में भी पहुंच गई है, जिससे व्यवसाय के अवसरों की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। एक ब्रांड छवि निर्मित करके इस चुनौती का सामना करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

4. भारत पर्यटन विकास निगम – स्वॉट विश्लेषण

शक्ति

- लगभग 50 वर्षों से स्थापित ब्रांड।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर परिसंपत्तियाँ।
- विशाल आवास, खाद्य व पेय एवं सम्मेलन सुविधाएं।
- राजकीय बैंक्विट, वीवीआईपी खानपान, शाही रात्रिभोज, घरेलू तथा वैश्विक समारोह प्रबंधन, ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन तथा मीडिया आयोजना–ब्रांडिंग में सुस्वीकृत विशेषज्ञता।
- टुअर एंड ट्रैवल व्यवसाय से संबधित कई क्षेत्रो म सुस्थापित उपस्थिति
- पर्यटन मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों का संरक्षण।

कमियां

- लंबे समय से परिसंपत्तियों का उन्नयन तथा नवीकरण नहीं किया गया है।
- उम्रदराज और घटती जनशक्ति (विशेषतः वरिष्ठ स्तर पर और प्रमुख कार्यपालक पद पर)।
- तुलनात्मक उच्च वेतन बिल के कारण उच्च प्रचालन लागत।

अवसर

- भारत में पर्यटन अवसंरचना सुधर रही है, जो संभवतः बड़े व्यवसाय अवसरों में बदलेगा।
- उत्पादकता बढ़ाने एवं इसके उपयोग हेतु होटलों के लिए बाजार में कम लागत पर ई–आधारित समाधान एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।
- अतिरिक्त स्थल को पट्टे पर देकर होटल की अवसंरचना का अधिकतम उपयोग।

जोखिम

- अत्यंत आधुनिक सुख–सुविधाओं के साथ नए होटल बन रहे हैं।
- दिल्ली और अन्य शहरों में अत्यधिक कमरों की उपलब्धता के कारण मांग में समग्र कमी जिसका अधिभोग और एआरआर पर प्रभाव पड़ रहा है।
- वेतन तथा उत्पादकता में असंतुलन।
- कुछ परिसंपत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त हो रही है।

4. पर्यावरण प्रबंध प्रयास

आईटीडीसी ने एक जिम्मेदार सीपीएसई होने के नाते अपने होटलों में विभिन्न पर्यावरण हितैषी उपायों, जैसे अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), वर्षा जल संरक्षण प्रणाली और ऊर्जा एवं जल संरक्षण को अपनाया है।

दिल्ली स्थित सभी होटलों में अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), वर्षा जल संरक्षण प्रणाली, सोलर वाटर हीटिंग प्लांट और जैव अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली हैं।

दिल्ली से बाहर होटलों में देखा जाए, तो सभी होटलों में ईटीपी है। दिल्ली स्थित सभी एककों और होटल जयपुर अशोक की किचन आईएसओ प्रमाणित है। वर्ष के दौरान अपने सभी प्रचालनों में आईटीडीसी ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आईटीडीसी ने ऊर्जा संरक्षण पर बल देना जारी रखा।

5. संभावनाएं

भारत पर्यटन और आतिथ्य उद्योग, भारत में सेवा क्षेत्र में विकास के मुख्य प्रेरकों में से एक के रूप में उभरा है। भारत के पास पर्यटन क्षेत्र में व्यापक अप्रयुक्त क्षमता है, जो सामाजिक–आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्वच्छ भारत मिशन जैसी सरकारी पहल, नई पर्यटन नीति और नागर उड्यन नीति इत्यादि शुरू करने के लिए यात्रा और पर्यटन उद्योग की सराहना की गई है।

आईटीडीसी इस संबंध में प्रत्येक वर्टिकल और विभिन्न पहलों पर ध्यान केंद्रित करके अपने समग्र निष्पादन को बेहतर करने का कार्य कर रहा है :

- सभी आईटीडीसी होटलों के लिए टैरिफ का नियमित संशोधन।
- ग्रीष्मकालीन गैट–अवे पैकेज/संवर्धन योजनाओं और अशोक होटल के लिए रॉयल सप्ताहांत पैकेज की शुरुआत।
- आईटीडीसी की पहुंच बढ़ाने के लिए निगम विपणन प्रभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण।
- वर्तमान बाजार और व्यवसाय रूझानों के अनुरूप विभिन्न नीतियों की समीक्षा की जा रही है।
- आईटीडीसी ने व्यापार मेलों एवं यात्रा मार्टों जैसे (नई दिल्ली); ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार 2015 (जयपुर); वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2015 (लंदन); आईटीबी 2015 (बर्लिन); अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2015 (दुबई); माइस ट्रैवल मार्ट (मुम्बई) में भाग लिया।
- हमारी परिसंपत्तियों में यात्रा एजेंटों, राय निर्माताओं, पीएसयू इत्यादि के उत्पाद परिचय दौरों का आयोजन किया गया।
- ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट गोआईबीबो के साथ नई संविदा हस्ताक्षरित की गई।
- आईटीडीसी के होटलों की मालसूची और कीमतें अब चैनल प्रबंधक के माध्यम से प्रबंधित की जा रही हैं।
- वैश्विक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिल्ली स्थित हमारी तीन परिसंपत्तियों का विपणन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

- मौजूदा विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नए विपणन कार्यपालकों को रखा गया है।

- ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन मुहैया कराने के लिए विभिन्न विद्यालयों के साथ गठजोड़ करना।

- एयरपोर्टों पर बढ़े हुए किराए को देखते हुए, शुल्क मुक्त दुकानों की संख्या बढ़ाने के लिए एआईटीडी प्रभाग समुद्रपत्तनों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

6. जोखिम और चिंताएं

पर्यटन एक संवेदनशील उत्पाद है। यह अंतरराष्ट्रीय और देश के भीतर सामान्य आर्थिक स्थितियों जैसे वैश्विक मंदी, सामान्य स्फीतिकारी स्थितियों; सामाजिक–राजनीतिक जोखिम जैसे सामाजिक राजनीतिक माहौल; विदेशों में जारी एडवाइजरी; अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं से प्रतिस्पर्धा; बढ़ती हुई बहिर्गामी यात्रा आदि से प्रभावित होता है।

आईटीडीसी के विभिन्न एककों/प्रभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर कंपनी के विशिष्ट जोखिम इस प्रकार हैं :

आर्थिक जोखिम	:	ग्राहकों के एक क्षेत्र अर्थात सरकार पर निर्भरता
औद्योगिक जोखिम	:	व्यापक सुविधाओं के साथ नई होटल श्रृंखलाओं के कारण बाजार हिस्से को खतरा
कार्मिक जोखिम	:	पर्याप्त कौशल प्राप्त कार्मिकों की अनुपलब्धता और प्रमुख पदों पर घटती जनशक्ति
कानूनी जोखिम	:	संविदात्मक जोखिम और कर जोखिम
प्रचालन जोखिम	:	होटलों की उम्रदराज परिसंपत्तियां

7. आंतरिक नियंत्रण

निगम की अपने व्यापार के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। बोर्ड ने व्यापार के सुव्यवस्थित और कारगर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस कार्यविधि, खरीद कार्यविधियां, इंजीनियरिंग और कार्य मैनुअल शक्तियों का प्रत्यायोजन जैसी उपयुक्त नीतियां और कार्यविधियां निर्धारित की हैं।

आईटीडीसी के सभी एककों/वर्टिकल्स की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटैंट की पेशेवर सेवाएं ली जाती हैं। निदेशक बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल सभी एककों को परिचालित किया गया।

आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली को मॉनीटर करते हैं और उसकी कारगरता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षकों

द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो तो एककों/वर्टिकल द्वारा की जाती है। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती हैं।

8. मानव संसाधन प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंध

निगम में 31.03.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1577 थी, जो कम होकर 31.03.2016 को 1403 रह गई है (प्रत्यक्ष संविदा आधार पर कार्यरत 87 कर्मचारियों को छोड़कर)। 1403 कर्मचारियों में से 416 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 30 अनुसूचित जनजाति तथा 75 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। 64 कर्मचारियों को अगले उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया, जिनमें से 26 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 01 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। 31.03.2016 को आईटीडीसी में 204 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं (55 कार्यपालक और 149 गैर–कार्यपालक), जो निगम के कुल कार्यबल का 14.54 प्रतिशत हैं।

आईटीडीसी में समग्र औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और अच्छे हैं।

चेतावनी वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कम्पनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों और अनुमानों का ब्यौरा देने वाले विवरण लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थों में प्रगतिशील एवं प्रगामी विवरण हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के कारण अभिव्यक्त अथवा अंतर्हित अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुबंध–II

वर्ष 2015–16 के लिए निगम अभिशासन पर रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची–V के अनुसार

निगम अभिशासन

(1) अभिशासन संहिता दर्शन

निगम सुदृढ़ निगम अभिशासन कार्य–पद्धतियों के प्रति वचनबद्ध है। प्रबंधकवर्ग यह मानता है कि सक्षम और सुदृढ़ निगम अभिशासन पारदर्शिता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा पर्याप्त प्रकटनों के जरिए शेयरधारकों की सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन है। निगम निरन्तर इन पहलुओं में सुधार के लिए प्रयास करता रहता है।

(2) निदेशक बोर्ड

भारत पर्यटन विकास निगम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति (एसीसी) के अनुमोदन से की जाती है। निगम के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सभी निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार होगा। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है :

(क) कार्यपालक निदेशक

श्री उमंग नरूला, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, 24.04.2015 से

श्री गिरीश शंकर, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, 09.12.2014 से 23.04.2015 तक

श्री त्रिनाथ बेहेरा, निदेशक (वित्त), 26.04.2013 से 30.06.2015 तक

श्री पीयूष तिवारी, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), 28.05.2015 से

श्री प्रदीप कुमार दास, निदेशक (वित्त), 25.02.2016 से

(ख) गैर–कार्यपालक निदेशक

(क) अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री संजीव रंजन, 01.10.2015 से

डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, 04.09.2013 से 30.09.2015 तक

श्री सुमन बिल्ला 01.10.2015 से 10.07.2016 तक

श्री गिरीश शंकर 24.04.2015 से 30.09.2015 तक

(ख) अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक

श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, 07.10.2013 से

डॉ. उषा किरण राय, 10.12.2013 से

वर्तमान बोर्ड में नौ निदेशक अर्थात् अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), निदेशक (वित्त), दो सरकारी नामिती निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

(क) कार्यपालक निदेशक

श्री उमंग नरूला, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, 24.04.2015 से

श्री पीयूष तिवारी, निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), 28.05.2015 से

श्री प्रदीप कुमार दास, निदेशक (वित्त), 25.02.2016 से

(ख) गैर–कार्यपालक निदेशक

(क) अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक

श्री संजीव रंजन, 01.10.2015 से

सुश्री मीनाक्षी शर्मा, 11.07.2016 से

(ख) अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक

श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, 07.10.2013 से

डॉ. उषा किरण राय, 10.12.2013 से

श्री अजय स्वरूप, 08.08.2016 से

श्री पटेल करसनभाई भिखाभाई, 08.08.2016 से

टिप्पणी : भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9(15)/2012–जीएम के अनुसार सीपीएसई में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अधिकतम दो कार्यकालों, प्रत्येक कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होती है, के लिए की जाती है। श्री अनुगोलू वैंकट रतनम और डॉ. उषा किरण राय का पहला कार्यकाल क्रमशः 06 अक्तूबर, 2016 और 09 दिसम्बर, 2016 को पूरा होगा।

निदेशकों से प्राप्त प्रकटनों के अनुसार निदेशकगण एक–दूसरे के संबंधी नहीं हैं।

2 (क) बोर्ड कार्यविधि

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक बोर्ड की छह बैठकें हुईं (अर्थात् 22 अप्रैल, 2015, 29 मई, 2015, 14 अगस्त, 2015, 29 अक्तूबर, 2015, 27 जनवरी, 2016 और 12 फरवरी, 2016)। इनमें निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी :

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल में बोर्ड की बैठकों की संख्या	कितनी बोर्ड बैठकों में भाग लिया	वार्षिक आम बैठक (अंतिम) में उपस्थिति (हाँ/नहीं)
श्री उमंग नरूला	*05*	*05*	हां
[1]श्री गिरीश शंकर	*03*	*03*	नही
श्री पीयूष तिवारी	*05*	*05*	हां
श्री प्रदीप कुमार दास	*00*	*00*	लागू नही
[2]श्री त्रिनाथ बेहेरा	*02*	*02*	लागू नही
श्री संजीव रंजन	*03*	*01*	लागू नही
[3]डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	*03*	*02*	नही
श्री सुमन बिल्ला	*03*	*01*	लागू नही
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	*06*	*06*	हां
डॉ. उषा किरण राय	*06*	*06*	हां

[1] 01-10-2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
[2] 01-07-2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
[3] 01-10-2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त

2 (ख) अन्य कंपनियों में निदेशक होना

वर्ष 2015–16 के दौरान ऐसी कम्पनियों में निदेशकों की समिति सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशक होने का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अन्य कितनी कम्पनियों में निदेशक हैं	अन्य कम्पनियों की बोर्ड–समितियाँ, जिनमें वे सदस्य/अध्यक्ष हैं
श्री उमंग नरूला	*8*	*1*
[1]श्री गिरीश शंकर	*9*	*1*
श्री पीयूष तिवारी	*7*	शून्य
श्री प्रदीप कुमार दास	*4*	शून्य
[2]श्री त्रिनाथ बेहेरा	*8*	शून्य
श्री संजीव रंजन	*1*	शून्य
[3]डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	शून्य	शून्य
श्री सुमन बिल्ला	शून्य	शून्य
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	*02*	शून्य
डॉ. उषा किरण राय	शून्य	शून्य

[1] 01.10.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
[2] 01.07.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त
[3] 01.10.2015 को बोर्ड में कार्यकाल समाप्त

टिप्पणी : कार्य/कार्यपालक निदेशकों के संबंध में, कार्य निदेशक भी संयुक्त उद्यम/संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियों के बोर्डों पर अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। अतः कार्यपालक निदेशकों का अन्य निदेशक होना आईटीडीसी के संयुक्त उद्यम/संयुक्त उद्यम कंपनियों में उनके निदेशक होने से संबंधित है।

2 (ग) निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति

सरकारी नामिती निदेशक भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं। अतः सरकारी नामिती निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्य निदेशक निगम के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं और उन्हें नियुक्ति की शर्तों और निगम के नियमों के अनुसार वेतन/परिलब्धियां तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत गठित बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने कंपनी के संस्था अंतर्नियमों में निर्धारित पारिश्रमिक नीति को अंगीकृत किया है। संस्था अंतर्नियम के खंड 61(ङ) में निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रावधान है, जो निम्न प्रकार पुनः उद्धृत किया जा रहा है :

61(ङ.) (i) : अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष, सभी अन्य निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक हो अथवा नहीं) का भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित ऐसे उपयुक्त अतिरिक्त पारिश्रमिक का किसी भी निदेशक अथवा निदेशकों को उसके/उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त अथवा विशेष सेवाएं देने के लिए भुगतान किया जाएगा। कोई निदेशक, जो सरकार का कर्मचारी है, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा बशर्ते कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रावधान न किया जाए।

(ii) निदेशक किसी भी निदेशक को अनुमति दे सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं, जो निदेशक बोर्ड की बैठक या आम बैठक या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने अथवा वापस आने अथवा कंपनी के व्यवसाय के संबंध में यात्रा करता है, उसकी यात्राओं तथा होटल और अन्य व्यय को उसके द्वारा उपस्थिति के प्रयोजनार्थ और कंपनी के व्यवसाय के संबंध में वहन किया जाता है। निदेशक को उपर्युक्त उल्लिखित बैठकों में उपस्थित होने के लिए और उसे देय अन्य पारिश्रमिक निदेशकों द्वारा समय–समय पर निर्धारित बैठक शुल्क का भी भुगतान किया जाए।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2015–16 के दौरान, गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को निम्न प्रकार बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था :

(i) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक शुल्क ₹ 10,000/–।

(ii) लेखापरीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 5,000/– तथा स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक सहित बोर्ड की किसी अन्य समिति की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक शुल्क ₹ 1000/–

बोर्ड की बैठकों, आम बैठकों में भाग लेने तथा निगम के कार्यों के संबंध में दौरा करने के लिए निगम स्वतंत्र निदेशकों के लिए हवाई टिकट, सवारी, रहने तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता है।

उपर्युक्त को छोड़कर, निगम की समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसके मौजूदा निदेशकों के साथ धन संबंधी कोई संबंध अथवा लेन देन नहीं थे।

कंपनी के पूर्व–निदेशकों को आईटीडीसी बोर्ड में कम से कम एक अथवा अधिक वर्ष की अवधि के लिए सेवा देने के लिए आईटीडीसी होटलों में आईटीडीसी बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित कतिपय रियायत और छूट दी जाती है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक के पास कंपनी के शेयर नहीं थे। निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का ब्यौरा वार्षिक विवरण का सार, जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है, में दिया गया है।

2 (घ) आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों के लिए कम्पनी द्वारा 20 अक्तूबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में यथा संशोधित व्यवसाय आचार संहिता एवं नीति को निगम की वेबसाइट पर डाल दिया गया। निगम ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त कर ली है।

2 (ङ) प्रबंध चर्चा और विश्लेषण

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

2 (च) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणन इस खंड के अंत में संलग्न है।

(3) लेखापरीक्षा समिति

गठन : वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्न प्रकार था :

निदेशक का नाम	पद	टिप्पणी
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	अध्यक्ष	स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक
डॉ. उषा किरण राय	सदस्य	स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार (30.09.2015 तक)	सदस्य	गैर–स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक
श्री संजीव रंजन (01.10.2015 से)	सदस्य	गैर–स्वतंत्र व गैर–कार्यपालक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। समिति अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, निदेशक (वित्त), निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अध्यक्ष और निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों को आमंत्रित करती है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 27 जुलाई, 2001 को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में निर्धारित और आगे 28 अप्रैल, 2014 को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में यथा संशोधित लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं :

(i) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हो।

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की बोर्ड को सिफारिश करना।

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।

(iv) बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधकवर्ग के साथ विशेष रूप से निम्नलिखित मदों पर विचार करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना :

क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 [अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)] के खंड (2कक) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले;

ख. लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन और इसके कारण, यदि कोई हों;

ग. मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां, जिसमें प्रबंधकवर्ग द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित अनुमान शामिल हैं;

घ. लेखापरीक्षा निर्णयों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

च. किसी संबंधित पार्टी से किए गए लेनदेनों का प्रकटन; और

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

(v) अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधकवर्ग के साथ समीक्षा करना;

(vi) प्रबंधकवर्ग के साथ निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि) के जरिए जुटाई गई राशियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरण पत्र /नोटिस में कथित से इतर प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण तथा मानीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, सार्वजनिक अथवा अधिकार निर्गम की प्राप्तियों के प्रयोग की मानीटरिंग की समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

(vii) प्रबंधकवर्ग के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

(viii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, विभाग में स्टाफ तथा इसके प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ किन्हीं महत्त्वपूर्ण जांच परिणामों पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(x) संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा महत्त्वपूर्ण स्वरूप की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विफल हो जाने से संबंधित मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जांच के परिणामों की समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना;

(xi) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के स्वरूप और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करना तथा किसी चिंताजनक मामले का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद विचार–विमर्श करना;

(xii) जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान करने में हुई बड़ी चूकों के कारणों की जांच करना;

(xiii) यदि विसल ब्लोअर तंत्र अस्तित्व में है तो उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करना; और

(xiv) अभ्यर्थी की अर्हता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि इत्यादि के आकलन के पश्चात् मुख्य वित्त अधिकारी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा वित्त संबंधी कार्य देखने वाला अथवा उसका निष्पादन करने वाला व्यक्ति) की नियुक्ति का अनुमोदन करना।

स्पष्टीकरण : ''संबंधित पार्टी लेनदेन'' का वही अर्थ होगा, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18, संबंधित पार्टी लेनदेन में निहित है।

इसके अतिरिक्त, सूचीकरण विनियमों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित की समीक्षा करेगी :

(i) प्रबंधन संबंधी चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम;

(ii) प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेनों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथापरिभाषित) का विवरण;

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन संबंधी पत्र/आंतरिक नियंत्रण की कमियों संबंधी पत्र;

(iv) आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें; और

(v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, कार्यमुक्ति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के अध्याधीन होंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में अपेक्षित है कि प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप से विनिर्दिष्ट विचारार्थ विषय जो निम्न प्रकार हैं, के अनुसार कार्य करेगी :

(i) कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफारिश;

(ii) लेखापरीक्षक की निष्पक्षता और निष्पादन तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की कारगरता की समीक्षा और निगरानी;

(iii) वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

(iv) कंपनी के संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन अथवा उसमें बाद में किए संशोधन का अनुमोदन;

(v) अंतर–कारपोरेट ऋण और निवेश का अनुवीक्षण;

(vi) जब भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण;

(vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन;

(viii) सार्वजनिक पेशकश के जरिए जुटाई गई निधियों के अंत प्रयोग और संबंधित मामलों की निगरानी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) में कहा गया है कि लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है, के बारे में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती हैं और आंतरिक तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधकवर्ग के साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकती है।

बैठकें : वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें 29.05.2015, 14.08.2015, 29.10.2015 और 12.02.2016 को संपन्न हुईं। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सांविधिक लेखापरीक्षकों, शाखा लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ एक बैठक 11 फरवरी, 2016 को संपन्न हुई जिसमें केवल दो निदेशक (श्री अनुगोलू वैंकट रतनम एवं डॉ. ऊषा किरण राय) उपस्थित थे। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(5), सूचीकरण करार के खंड 49(III) घ के पैरा 7, 12, और 16 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्मित निगम अभिशासन ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार संपन्न हुई थी। यह सूचित किया गया था कि उपर्युक्त कथित आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की वित्त अधिकारियों/प्रबंधकवर्ग की उपस्थिति के बिना सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ कम से कम एक बैठक होनी चाहिए :

(i) लेखापरीक्षा का स्वरूप और कार्यक्षेत्र;

(ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता;

(iii) चिंता के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के पश्चात् विचार–विमर्श।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नप्रकार थी :–

सदस्य का नाम	कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	कार्यकाल के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	05	05
डॉ. उषा किरण राय	05	05
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	02	01
श्री संजीव रंजन	03	00

वित्त वर्ष 2014–15 की 28.09.2015 को संपन्न वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

(4) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने 30 जनवरी, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में एक पारिश्रमिक समिति का गठन तारीख 26.11.2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) की अपेक्षानुसार किया था। पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ निम्न मुद्दों पर विचार करना तथा उनके संबंध में अनुशंसा करना है :

(क) निष्पादन संबंधी वेतन का भुगतान (पीआरपी);

ख) कार्यपालकों का स्तर, जिन्हें कंपनी पट्टा आवास प्रदान किया जाएगा;

ग) कार्यपालकों की विभिन्न श्रेणियों को लागू मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन ग्राह्य अन्य भत्ते और अनुलब्धियां;

घ) 31.03.2009 तक एक सुदृढ़ तथा पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का विकास। 01.01.2007 तथा अधिकतम 31.03.2009 तक पीएमएस के सुव्यवस्थित किए जाने की अवधि के दौरान, डीपीई के वर्तमान दिशानिर्देशों पर पीआरपी का भुगतान, जो किसी उद्यम में वितरण योग्य लाभ के 5 प्रतिशत तक सीमित है; और

ङ) भारत पर्यटन विकास निगम में सीटीसी संकल्पना की शुरुआत।

वर्ष 2015–16 के दौरान, समिति की संरचना निम्न प्रकार थी :

निदेशक का नाम	पद	टिप्पणी
श्री अनुगोलू वैंकट रतनम	अध्यक्ष	स्वतंत्र एवं गैर–कार्यपालक
डॉ. उषा किरण राय	सदस्य	स्वतंत्र एवं गैर–कार्यपालक
डॉ. (सुश्री) टी. कुमार (30.09.2015 तक)	सदस्य	गैर–स्वतंत्र एव गैर–कार्यपालक

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 29 मई, 2015 को संपन्न हुई थी। बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के दो सदस्य बैठक में उपस्थित थे। डॉ (सुश्री) टी. कुमार की अनुपस्थिति की छुट्टी मंजूर की गई थी।

बोर्ड द्वारा 12 अगस्त, 2016 को संपन्न बैठक में किए गए पुनर्गठन के अनुसार, इस समय स्वतंत्र निदेशक श्री अजय स्वरूप समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं – डॉ. ऊषा किरण राय, स्वतंत्र निदेशक तथा सुश्री मीनाक्षी शर्मा, सरकारी नामिती निदेशक।

समिति की संदर्भ शर्तें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 में दिए गए अधिदेश का अनुपालन है। इसके अलावा, समिति, बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर के नीचे के कर्मचारियों तथा बिना यूनियन वाले सुपरवाइजरों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप आईडीए पैटर्न में वेतनमान और निर्धारित सीमा के भीतर इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/वेरियेबल पे पूल एवं नीति का निर्धारण करेगी।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार था :

प्रमुख प्रबंध कार्मिकों (बोर्ड सदस्यों) और उनके संबंधियों को किया गया भुगतान :

पारिश्रमिक	:	₹ 64.21 लाख
बैठक–शुल्क	:	₹ 2.02 लाख
जोड़	:	₹ 66.23 लाख

(5) रिमैटिरिलाइजेशन अनुरोध की प्राप्ति पर शेयर अंतरण, प्रेषण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना और शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

निदेशक बोर्ड ने 07.12.2010 को हुई अपनी बैठक में मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड को रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के रूप में शेयर अंतरण अनुरोध के अनुमोदन के लिए अधिकृत किया है।

रिमैटिरिलाइजेशन अनुरोध की प्राप्ति पर शेयर अंतरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में बोर्ड द्वारा 12 अगस्त, 2016 को संपन्न बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को अधिकार दिया गया है:

(i) प्रधान प्रबंधक (वित्त व लेखा) स्तर का एक कार्यपालक

(ii) कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

(6) शेयरधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के अनुसरण में बोर्ड ने 28 अप्रैल, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में शिकायत निवारण समिति का नाम बदलकर ''स्टेकहोल्डर संबंध समिति'' कर दिया और इसका पुनर्गठन किया। वर्ष 2015–16 के दौरान इस समिति की संरचना निम्न प्रकार थी :

i)	डॉ ऊषा किरण राय, स्वतंत्र निदेशक	:	अध्यक्ष
ii)	श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
iii)	निदेशक (वित्त)	:	सदस्य

वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की एक बैठक 14 अगस्त, 2015 को आयोजित की गई थी, जिसमें समिति के दो सदस्य उपस्थित थे।

शेयरधारकों/निवेशकों के प्रश्नों/शिकायतों पर कार्रवाई सामान्यतः उनकी प्राप्ति की तिथि से 7–10 दिन की अवधि के भीतर की जाती है, सिवाय उन मामलों के, जिनमें बाह्य एजेंसियां शामिल हों या अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाकृत लंबी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं हों। वर्ष 2015–16 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतें निम्न प्रकार हैं :

विवरण	वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त + बकाया	निपटाई गईं	प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निवेशकों के पास लंबित
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	5	4	1 (22.04.2016 को निपटान किया गया)

अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पता निम्नप्रकार है :–

श्री वी. के. जैन, कंपनी सचिव
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
ई–मेल : vkjain@theashokgroup.com
cs_itdc@theashokgroup.com
दूरभाष : 011–24360249
फैक्स : 011–24360249

(7) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सतत् विकास (एसडी) समिति :

04 सितम्बर, 2013 को आयोजित बोर्ड की बैठक में सीएसआर एवं एसडी पर बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, समिति का गठन निम्न प्रकार था :

i)	श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, स्वतंत्र निदेशक	:	अध्यक्ष

ii) अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक : सदस्य

iii) निदेशक (सीएंडएम) : सदस्य

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 29.05.2015 को समिति की एक बैठक हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

(8) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम संशोधित दिनांक 20 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012–जीएम के तहत जारी दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनसूची–IV की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने 27.01.2016 को पृथक बैठक आयोजित की थी।

(9) आम बैठकें

अंतिम तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नप्रकार आयोजित की गई थीं :–

समाप्त वर्ष	दिन व तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
31.03.2013	30.09.2013 (सोमवार)	1600 बजे	अशोक होटल नई दिल्ली	कोई विशेष संकल्प नहीं
31.03.2014	29.09.2014 (सोमवार)	1600 बजे	अशोक होटल नई दिल्ली	संस्था अंतर्नियमों में संशोधन और प्रबंध निदेशक की शर्तों और निबंधनों का अनुमोदन
31.03.2015	28.09.2015 (सोमवार)	1600 बजे	अशोक होटल नई दिल्ली	कोई विशेष संकल्प नहीं

टिप्पणी : संबंधित वार्षिक आम बैठकों की सूचनाओं में विनिर्दिष्ट सभी संकल्प सदस्यों द्वारा विधिवत् पारित किए गए। 31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक में सभी संकल्प मतदान (इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यक्ष दोनों) के माध्यम से पारित किए गए।

(10) प्रकटन

स्थिति निम्नप्रकार है :–

(क) तात्त्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन

निगम ने महत्वपूर्ण प्रकृति का कोई ऐसा पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिसका सामान्यतया कम्पनी के हितों से कोई संभाव्य विरोध हो।

(ख) विधिक अनुपालन

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण ने पूँजी बाजार से संबंधित किसी मामले में निगम पर कोई दण्ड नहीं लगाया है और न ही कटु आलोचना की है। तथापि, स्टॉक एक्सचेंजों ने बोर्ड के गठन के संबंध में सूचीकरण करार के गैर–अनुपालन संबंधी अपनी टिप्पणियों के बारे में समय–समय पर पत्र भेजे हैं।

(ग) विसल ब्लोअर नीति

निगम की एक विसल ब्लोअर नीति है, जो वेबसाइट http://www.theashokgroup.com/Aboutus/RTI पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति के पास पहुंचने से मना नहीं किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते निगम में सतर्कता विभाग है।

सतर्कता प्रभाग का अध्यक्ष, मुख्य सतर्कता अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन होता है।

(घ) जैसाकि यहां ऊपर बताया गया है, निगम ने स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान को छोड़कर, सामान्यतया खण्ड 49/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं

का अनुपालन किया है। निगम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 सूचीकरण करार के खंड 49 की निम्नलिखित गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है :

क) द्वितीय तिमाही के परिणाम वर्ष से तिथि तक का निष्पादन दर्शाते हैं, जो अर्धवार्षिक निष्पादन है।

ख) आंतरिक लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करते हैं, जो उत्तर तैयार करने में एककों के साथ समन्वय करता है और प्रमुख टिप्पणियां यदि कोई हों, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है।

(ङ) निगम अभिशासन से संबंधित सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खण्ड 3.5 के अनुसार, बोर्ड की शक्तियों का विवरण संस्था अंतर्नियमावली के खण्ड 71 में दिया गया है। बोर्ड द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्य निदेशकों को प्रत्यायोजित शक्तियों का विवरण अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्य निदेशकों की डीओपी में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न प्रभागाध्यक्षों/एककाध्यक्षों की शक्तियों और जहां आवश्यक है, प्रभागाध्यक्ष स्तर से नीचे के प्रचालन स्टॉफ की शक्तियों का विवरण संबंधित डीओपी में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(11) जोखिम प्रबंधन

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में जोखिमों की पहचान एवं न्यूनीकरण के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया जोखिम प्रबंधन नीति बोर्ड द्वारा 11 मई, 2010 को हुई उनकी बैठक में अनुमोदित की गई और 23 सितम्बर, 2010 को परिचालित एवं आईटीडीसी की वेबसाइट पर डाली गई। इस नीति के अनुसार सभी रणनीतिक प्रभागों के एकक अध्यक्ष जोखिम प्रबंधक के रूप में नामित किए गए हैं तथा एक जोखिम प्रबंधन अनुपालन समिति (आरएमसीसी), जिसके वर्तमान अध्यक्ष निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) हैं, का गठन निगम की जोखिम प्रबंधन नीति का निरीक्षण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आरएमसीसी की दो बैठकों का आयोजन 16.04.2015 तथा 21.10.2015 को हुआ।

(12) सहायक कम्पनियां

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(ग) के अनुसार किसी सहायक कंपनी को तभी ''महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी'' माना जाएगा, यदि सहायक कंपनी की आय अथवा शुद्ध मालियत सूचीबद्ध कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः पिछले लेखा वर्ष में समेकित आय या शुद्ध मालियत से 20 प्रतिशत वृद्धि कर जाए।

उपर्युक्त परीभाषा के अनुसार निगम की कोई महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कम्पनी नहीं है और इसलिए ऐसी सहायक कम्पनी के निदेशक बोर्ड में निगम के स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता नहीं है। तथापि, नियंत्रक कम्पनी के कार्यपालक निदेशक सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्ड में गैर–कार्यपालक अंशकालिक निदेशक हैं। निगम ने सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक बोर्ड को 29.05.2015 और 29.10.2015 को प्रस्तुत कर दिए हैं।

(13) आंतरिक व्यापार नीति

भारत पर्यटन विकास निगम ने समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता अपनाई है। आचार संहिता के मॉडल को भारत पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बोर्ड ने 29 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में नए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक

व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में आंतरिक व्यापार को रोकने की संहिता को संशोधित किया था। संशोधित संहिता के खंड 10 में मूल्य संबंधी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना पर निष्पक्ष प्रकटन के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। इस संहिता के अंतर्गत आईटीडीसी इन सिद्धांतों का पालन करेगा। मूल्य संबंधी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना पर निष्पक्ष प्रकटन के सिद्धांत और संहिता वेबसाइट http://www.theashokgroup.com पर उपलब्ध है।

निगम ने वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों/प्रबंध कार्मिकों के साथ महत्वपूर्ण प्रकृति का कोई ऐसा लेनदेन नहीं किया है, जिसका सामान्यतया निगम के हितों से कोई संभाव्य विरोध हो।

(14) सम्प्रेषण का माध्यम

निगम अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक आधार पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण करता है। निगम के तिमाही, छमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के तत्काल बाद स्टॉक–एक्सचेंजों को भेजा जाता है। इन परिणामों को निम्नानुसार व्यापक वितरण वाले अग्रणी अंग्रेजी समाचार–पत्र 'दि स्टेट्समैन' और स्थानीय भाषा के समाचार–पत्रों 'जनसत्ता' में प्रकाशित किया जाता है। आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां सीधे प्रेस को रिलीज की जाती हैं। तिमाही परिणामों को निगम की वेबसाइट www.theashokgroup.com पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। प्रबन्ध चर्चा तथा विश्लेषण निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

(15) परिचय कार्यक्रम

निगम ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक परिचय कार्यक्रम तैयार किया है और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट http://www.theashokgroup.com/Aboutus/Investorcorner पर उपलब्ध हैं।

(16) सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक : बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2016

(ii) वित्त वर्ष : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

(iii) लाभांश : लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 25 सितम्बर, 2016 को व्यवसाय धंटों की समाप्ति तक लेखा बहियों में दर्ज रहेंगे। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(iv) खाते बंद रखना : सोमवार, 26 सितम्बर, 2016 से बृहस्पतिवार 29, सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिन शामिल)।

(v) शेयरों का सूचीकरण : निगम के शेयर दिल्ली एवं मुम्बई के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। निगम ने बाम्बे स्टॉक–एक्सचेंज को वित्त वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है। इनके पते निम्न प्रकार हैं :

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई (बीएसई) फिरोज जीजीभाई टावर्स दलाल स्ट्रीट, मुम्बई– 400001	532189
दि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. (डीएसई) डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड नई दिल्ली – 110002	–

कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में निगम की पंजीयन संख्या 55–4363 है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ई–फाइलिंग शुरू करने पर निगम को कॉरपोरेट पहचान सं. एल 74899 डीएल 1965 जीओआई 004363 आबंटित की गई है।

(vi) *बाजार मूल्य आँकड़े* : बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 2015–16 में बाज़ार शेयरों के उच्च एवं निम्न मूल्य, कारोबार किए गए शेयरों की संख्या, कुल कारोबार की संक्षिप्त सूचना निम्नप्रकार है :–

वर्ष 2015–16	रुपए उच्च	निम्न	कारोबार किए गए शेयरों की संख्या	कुल कारोबार (लाख ₹ में)
अप्रैल, 2015	142.00	112.50	53,638	66.97
मई, 2015	169.00	113.00	1,40,542	206.40
जून, 2015	330.20	165.00	12,22,974	3,135.32
जुलाई, 2015	229.00	185.40	3,74,954	780.70
अगस्त, 2015	222.90	166.30	2,98,089	591.29
सितम्बर, 2015	204.40	142.00	2,46,849	437.85
अक्तूबर, 2015	183.80	167.00	78,572	138.38
नवम्बर, 2015	197.00	150.00	1,45,724	256.87
दिसम्बर, 2015	216.30	171.50	2,10,665	414.63
जनवरी, 2016	213.20	153.10	1,83,792	343.98
फरवरी, 2016	213.00	140.00	3,10,646	569.78
मार्च, 2016	255.00	167.00	3,17,712	661.25

मार्च, 2016 के अंतिम कार्यदिवस अर्थात् 31.03.2016 को शेयरों का बंद मूल्य ₹ 226.20 था।

(vii) *रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :*

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32,
गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
सम्पर्क व्यक्ति : श्री रवि शुक्ला/श्रीकृष्णा पेमाराजु
ईमेल : einward.ris@karvy.com
टेलीफोन नं. : 91 40 67162222
टोल मुक्त नम्बर : 1800–345–4001
फैक्स : 91 40 23001153

(viii) *पंजीकृत कार्यालय :* स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली –110003

(ix) *कॉरपोरेट कार्यालय एवं पत्राचार का पता :* स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003

(x) *शेयरधारिता पैटर्न तथा शेयरधारिता का वितरण :*

31.3.2016 को निगम की ईक्विटी का शेयरधारिता पैटर्न बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न वार्षिक विवरण सार में दिया गया है।

31 मार्च, 2016 को शेयरधारिता का वितरण निम्नप्रकार है :–

श्रेणी (शेयर)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों को प्रति प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरों को प्रतिशत
1-5000	2993	89.42	299615	0.35
5001&10000	181	5.41	149290	0.17
10001&20000	94	2.81	139187	0.16
20001&30000	35	1.05	86244	0.10
30001&40000	15	0.45	52477	0.06
40001&50000	8	0.24	37328	0.04
50001&100000	8	0.24	60726	0.07
100001 और इससे अधिक	13	0.39	84944533	99.04
जोड़	**3347**	**100.00**	**85769400**	**100.00**

(xi) *शेयरों को डीमैट करवाना :* निगम के शेयरों को डीमैट करवाने के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास जमा कराया जाता है। 31 मार्च, 2016 को 85761589 शेयर, जो 99.99 प्रतिशत हैं, डीमैट किए जा चुके हैं। प्रवर्तक की सम्पूर्ण धारिता डीमैट स्वरूप में है। आईएसआईएन संख्या : आईएनई353के01014 है।

(xii) *निवेशक पत्राचार* : निवेशक शेयर अंतरण, शेयरों पर लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित किसी भी मामले के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं :

श्री वी के जैन, कम्पनी सचिव
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
ईमेल : vkjain@theashokgroup.com
cs_itdc@theashokgroup.com
टेलीफोन : 011–24360249
फैक्स : 011–24360249

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32,
गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
सम्पर्क व्यक्ति : श्री रवि शुक्ला / श्रीकृष्णा पेमाराजु
ईमेल : einward.ris@karvy.com
टेलीफोन नं. : 91 40 67162222
टोल मुक्त नम्बर : 1800–345–4001
फैक्स : 91 40 23001153

(xiii) होटलों और अन्य एककों आदि की अवस्थिति : निगम के अपने स्वामित्वाधीन तथा प्रबंधित होटलों तथा शुल्क मुक्त दुकानों, एटीटी एककों आदि की सूची **परिशिष्ट** में दी गई है।

(xiv) एडीआर / जीडीआर : निगम ने कोई एडीआर / जीडीआर ईश्यू नहीं निकाला है और न ही ऐसा कोई कन्वर्टिबल इन्स्ट्रूमेंट जारी किया है, जिससे ईक्विटी पूँजी प्रभावित होती हो।

(xv) वित्तीय कैलेण्डर :

पहली तिमाही के परिणाम	:	15 अगस्त, 2016 को अथवा इससे पूर्व
दूसरी तिमाही के परिणाम	:	15 नवम्बर, 2016 को अथवा इससे पूर्व
तीसरी तिमाही के परिणाम	:	15 फरवरी, 2017 को अथवा इससे पूर्व
चौथी तिमाही के परिणाम	:	30 मई, 2017 को अथवा इससे पूर्व
31.3.2017 को समाप्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक	:	30 सितम्बर, 2017 को अथवा इससे पूर्व

(xvi) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डिमैटिरिलाइल्ड शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ एवं प्रत्यक्ष शेयरों के संबंध में पंजीकृत अंतरण एजेंट के पास अपनी ई–मेल आईडी दर्ज करा लें।

(xvii) नामांकन सुविधा : प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने शेयरों के लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। इससे नामित व्यक्ति बाद में शेयरों को अपने नाम पर अन्तरित कराने की लम्बी प्रक्रिया से बच जाएगा।

(xviii) सामान्य शेयरधारक सूचना :

पंजीकृत कार्यालय :
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल
7 लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
टेलीफोन : (011) 24360249
फैक्स : (011) 24360249
ई–मेल : vkjain@theashokgroup.com

घोषणा

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 के प्रावधानों के अन्तर्गत, बोर्ड के सदस्यों और प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आचार–संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अनुबंध–II(i)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा कर ली है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में प्रमुख रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा विवरण छूटा नहीं है, जो भ्रामक हो; और

(ii) ये विवरण निगम के मामलों की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं और विचलनों, लागू विधि तथा विनियमों के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जाने पर वर्तमान लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान निगम द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया, जो कपटपूर्ण हो, अवैध हो अथवा निगम की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उनका अनुरक्षण करने की जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित निगम की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन अथवा प्रचालन में कमी, यदि कोई है, जिसकी हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों के बारे में लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है कि :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए;

(ii) निम्नलिखित को छोड़कर लेखाकरण नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं :

क) नीति संख्या 1 – कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान पर विचार करते हुए "लेखाकरण परिपाटी" को संशोधित किया गया है;

ख) नीति संख्या 9 – उपदान निधि न्यास के प्रकटन के लिए "उपदान" को संशोधित किया गया है;

ग) नीति संख्या 17 – प्रकटन के प्रयोजनार्थ "क्षेत्रवार रिपोर्टिंग" को जोड़ा गया है;

घ) नीति संख्या 18 – प्रकटन के प्रयोजनार्थ "नकदी प्रवाह" को जोड़ा गया है।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए किए गए हैं और इनका लेखाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(iii) किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है तथा उनमें प्रबंधकवर्ग या किसी कर्मचारी की लिप्तता, यदि कोई हो, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

भारत पर्यटन विकास निगम लि.
के लिए और उसकी ओर से

ह./–
(प्रदीप कुमार दास)
निदेशक (वित्त)
तथा मुख्य वित्त अधिकारी

ह./–
(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.05.2016

अनुबंध–II(ii)

सूचीकरण करार के खण्ड 49/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से ii के अधीन निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र

सेवा में

सदस्य
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

1. हमने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार (30 नवम्बर, 2015 तक लागू) (जिसे इसके बाद "करार" कहा जाएगा) के खण्ड 49 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (i) (01 दिसम्बर, 2015 से लागू) में यथा–निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

2. हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगम द्वारा रखे गए और समीक्षा के प्रयोजन से उपलब्ध कराए गए संगत रिकॉर्डों एवं दस्तावेज़ों और ऐसी समीक्षा के दौरान निगम द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर अपनी जाँच की है।

3. निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधकवर्ग की है। हमारी जाँच निगम द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निम्नलिखित के अध्यधीन निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है :

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के पैरा I, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 उप–विनियम (1) की अपेक्षानुसार हमें सूचित किया गया है कि निगम ने वित्त वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। 31 मार्च, 2016 को कंपनी को न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम दो और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता है।

5. हमें यह भी कहना है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो निगम की भावी क्षमता और न ही कम्पनी के कार्यों के संचालन में प्रबंधकवर्ग की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन है।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन 000291एन)

ह./–
(अंशु गुप्ता)
साझीदार
सदस्यता सं. 077891

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 अगस्त, 2016

अनुबंध–II(iii)

वर्ष 2015–16 के लिए निगम अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर

लेखापरीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधकवर्ग के उत्तर
सूचीकरण करार के खण्ड 49 के पैरा Iए, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के उप–विनियम (1) की अपेक्षानुसार निगम ने वित्त वर्ष 2015–16 के अंत तक स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। 31 मार्च, 2016 को निगम को न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम दो और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता है।	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के मामले में, निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय ने 7 अक्तूबर, 2013 को एक स्वतंत्र निदेशक और 10 दिसम्बर, 2013 को दूसरा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त, 2016 को दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है। इस समय, बोर्ड पर एक और स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया जाना अपेक्षित है। सूचीकरण करार/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम का सेवा नेटवर्क
(31.03.2016 को)

क. अशोक समूह के होटल

1. अशोक होटल, नई दिल्ली
2. होटल जनपथ, नई दिल्ली
3. होटल सम्राट, नई दिल्ली
4. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर
5. होटल जयपुर अशोक, जयपुर
6. होटल जम्मू अशोक, जम्मू
7. होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना
8. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर

ख. रेस्टोरैंट

1. ताज रेस्टोरैंट, आगरा

ग. यात्रा/परिवहन एकक

1. वाराणसी
2. बेंगलूर
3. चेन्नई
4. औरंगाबाद
5. पटना
6. दिल्ली
7. कोलकाता
8. मुम्बई
9. हैदराबाद
10. गुवाहाटी
11. राँची

घ. शुल्क मुक्त दुकानें

1.	कोयम्बटूर एयरपोर्ट आगमन लाउंज	1
2.	चेन्नई समुद्रपत्तन	1
3.	कोलकाता समुद्रपत्तन	1
4.	हल्दिया समुद्रपत्तन	1
5.	विशाखापटनम समुद्रपत्तन	1
6.	गोवा समुद्रपत्तन	1
7.	न्यू मेंगलूर समुद्रपत्तन	1
8.	पारादीप समुद्रपत्तन	1
9.	मुंबई समुद्रपत्तन	1
	जोड़	9

ङ. ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन

1. लाल किला, दिल्ली
2. पुराना किला, दिल्ली

च. संयुक्त उद्यम होटल

1. होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी
2. होटल रांची अशोक, रांची
3. होटल नीलाचल अशोक, पुरी (मार्च 2004 से बंद)
4. होटल पांडिचेरी अशोक, पुडुचेरी
5. होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल
6. होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर

छ. प्रबंधित एकक

1. होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर
2. कोसी रेस्टोरैंट, कोसी

ज. खानपान स्थापनाएं

1. राज्य अतिथि गृह व आतिथ्य केन्द्र, हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली
2. वैस्टर्न कोर्ट केटरिंग सर्विस, नई दिल्ली
3. अशोक मयूर रेस्टोरैंट, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

निगम सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है, की संक्षिप्त रूपरेखा :**

29 मई, 2015 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में अनुशंसित और बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित सीएसआर नीति/कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :

''वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, आईटीडीसी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां करेगा :

(i) समुदाय आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों और सफाई तथा स्वच्छता–स्वच्छ भारत परियोजना से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर व्यय।

(ii) पिछड़े क्षेत्र में परियोजना पर व्यय।

आईटीडीसी हमेशा सामाजिक, आर्थिक तथा सतत रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखेगा, जिनसे पर्यावरण संबंधी सम्पोषणीयता बढ़ती हो। आईटीडीसी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करेगा, जो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्य कर और पर्यावरण अनुकूल हों।''

आईटीडीसी बोर्ड ने 27 जनवरी, 2016 को संपन्न अपनी बैठक में पिछड़ा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को अनुमोदित किया :

''चुरू (राजस्थान) में 2 शौचालय ब्लॉक का निर्माण''।

सीएसआर नीति का वेब–लिंक : http://www.theashokgroup.com/Aboutus/Investorcorner

2. **सीएसआर समिति की संरचना :**

बोर्ड द्वारा पुनर्गठित समिति की संरचना निम्नप्रकार है :

1. श्री अनुगोलू वैंकट रतनम, स्वतंत्र निदेशक
2. प्रबंध निदेशक
3. निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन)

3. **पिछले तीन वित्त वर्षों का कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹ 18.78 करोड़**

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 की राशि का 2 प्रतिशत) : ₹ 37.57 लाख**

5. **वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा :**

(क) वित्त वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि : ₹ 37.57 लाख

(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो : कुल ₹ 37.57 लाख राशि में से ₹ 13.58 लाख कुतुब मीनार में ''स्वच्छ भारत अभियान'' पर व्यय की गई, जिसका विवरण नीचे पैरा (ग) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2016 को ₹ 16.50 लाख से शौचालय ब्लॉक बनाने का कार्य चल रहा है।

(जैसाकि वर्ष 2015–16 के वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 27 की टिप्पणियों में दर्शाया गया है, उपर्युक्त कार्य 31 मार्च, 2016 को चल रहा था)।

(ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्र, जिसमें परियोजना शामिल की गई है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) उस राज्य और जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं, अथवा कार्यक्रम चलाए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उपशीर्ष : (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	स्वच्छ भारत परियोजना – कुतुब मीनार की साफ–सफाई और रखरखाव	राष्ट्रीय विरासत, कला तथा संस्कृति, का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्त्व के भवनों और स्थलों का पुनरुद्धार शामिल है	दिल्ली	₹ 18.785 लाख	₹ 13.58 लाख	₹ 13.58 लाख	प्रत्यक्ष
2	निम्नानुसार दो शौचालयों का निर्माण : (1) राजकीय परख बालिका माध्यमिक विद्यालय, चुरू, राजस्थान (2) राजकीय सेठ ला.ना. बागला बालिका उच्च विद्यालय, चुरू, राजस्थान	स्वच्छता तथा पेयजल उपलब्ध कराना	(1) राजकीय परख बालिका माध्यमिक विद्यालय, चुरू, राजस्थान (2) राजकीय सेठ ला.ना. बागला बालिका उच्च विद्यालय, चुरू, राजस्थान	अनुमानित लागत: दोनों शौचालय ब्लॉक हेतु ₹ 19 लाख।	31.03.2016 को : कार्य चल रहा था ₹ 16.50 लाख 31.03.2016 को कार्य चल रहा था।	31.03.2016 को : कार्य चल रहा था ₹ 16.50 लाख। 31.03.2016 को कार्य चल रहा था।	प्रत्यक्ष
	जोड़			₹ 37.785	₹ 30.08	₹ 30.08	

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ अथवा उसके किसी हिस्से का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न करने का कारण बताएगी :

किए गए कार्य को लेखा में नहीं लिया गया है क्योंकि 31.03.2016 तक पूर्णता प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है। 31.03.2016 को कार्य अभी चल रहा था।

हम एतद्द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा यथानुमोदित सीएसआर नीति क्रियान्वित की गई है तथा सीएसआर समिति सीएसआर नीति के अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को मॉनीटर करती है।

ह./–
उमंग नरूला
(अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक)

ह./–
ए. वी. रतनम
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

अनुबंध–III

सतत् विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट

सतत विकास गतिविधियों के अंतर्गत आईटीडीसी ने होटल जनपथ में जैव अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का कार्य पूरा किया है। 100 किलोवाट की सौर ऊर्जा जनन संस्थापना का कार्य चल रहा है।

अनुबंध–IV

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरण पर भारत पर्यटन विकास निगम लि. के सदस्यों की सेवा में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के उत्तर

संगत राय के आधार पर पैरा	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
(क)	सहायक कम्पनियों में निवेश, दीर्घकालिक निवेश है, उनके मूल्य में कमी ह्रास स्थायी नहीं है और इन कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों का मूलभूत मूल्य कंपनियों के देयों और इसके निवेश की लागतों की वसूली के लिए पर्याप्त है। दो गैर–प्रचालनरत कम्पनियों के संबंध में, आनन्दपुर साहिब में अपूर्ण परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रगति पर है और बंद एकक होटल नीलाचल अशोक, पुरी के मामले में, संयुक्त उद्यम कम्पनी न्यायालय मामले के अंतिम निर्णय के बाद व्यवसाय के नए रास्ते तलाशेगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने भी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की होटल परिसंपत्ति की बिक्री/पट्टे का प्रस्ताव शुरू किया है और इसे देखते हुए इसमें संदेह नहीं है कि कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि और अन्य प्राप्य राशि की वसूली हो जाएगी। [टिप्पणी संख्या 17(1), 14क(1) और 32(10) देखें]
(ख)	किसी मांग के अभाव में, अशोक होटल द्वारा प्रदत्त सेवा कर पर ब्याज देयता, यदि कोई हो, खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक अनिर्धारित थी। अतः इसके लिए व्यवस्था करना संभव नहीं था।

अनुबंध–IV

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत पर्यटन विकास निगम लि. के सदस्यों की सेवा में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के उत्तर

संगत राय के आधार पर पैरा	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
(क)	सहायक कम्पनियों में निवेश, दीर्घकालिक निवेश है, उनके मूल्य में कमी ह्रास स्थायी नहीं है और इन कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों का मूलभूत मूल्य कंपनियों के देयों और इसके निवेश की लागतों की वसूली के लिए पर्याप्त है। दो गैर–प्रचालनरत कम्पनियों के संबंध में, आनन्दपुर साहिब में अपूर्ण परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रगति पर है और बंद एकक होटल नीलाचल अशोक, पुरी के मामले में, संयुक्त उद्यम कम्पनी न्यायालय मामले के अंतिम निर्णय के बाद व्यवसाय के नए रास्ते तलाशेगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने भी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की होटल परिसंपत्ति की बिक्री/पट्टे का प्रस्ताव शुरू किया है और इसे देखते हुए इसमें संदेह नहीं है कि कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि और अन्य प्राप्य राशि की वसूली हो जाएगी। [टिप्पणी संख्या 17(1), 14क(1) और 32(10) देखें]
(ख)	किसी मांग के अभाव में, अशोक होटल द्वारा प्रदत्त सेवा कर पर ब्याज देयता, यदि कोई हो, खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक अनिर्धारित थी। अतः इसके लिए व्यवस्था करना संभव नहीं था।

अनुबंध–V

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की रिपोर्ट के अनुबंध में निहित सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर

पैरा सं.	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
''अनुबंध–क''	
i) (क), (ख) और (ग)	अनुपालन के लिए नोट किया।
ii)	अनुपालन के लिए नोट किया।
iii) और iv)	कोई टिप्पणी नहीं।
v)	कोई टिप्पणी नहीं।
vi)	कोई टिप्पणी नहीं।
vii)(क)	अनुपालन के लिए नोट किया।
vii)(ख)	चूँकि बिक्रीकर, आयकर, विलासिता–कर, सीमा–शुल्क इत्यादि के मामलों में उपयुक्त प्राधिकरणों से अपील की गई है, अतः निर्णय होने तक उन्हें लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।
viii) से xvi)	कोई टिप्पणी नहीं।
''अनुबंध–ख''	अनुपालन के लिए नोट किया

उपर्युक्त, जिन टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है, उनके संबंध में सभी एककों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी, ताकि आगामी वर्ष के लेखाओं में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

अनुबंध–V

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट के अनुबंध में निहित लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर

पैरा सं.	प्रबंधकवर्ग का उत्तर
''अनुबंध–क''	अनुपालन के लिए नोट किया।
i) (क), (ख) और (ग)	अनुपालन के लिए नोट किया।
ii)	कोई टिप्पणी नहीं।
iii) और iv)	अनुपालन के लिए नोट किया।
v)	कोई टिप्पणी नहीं।
vi)	कोई टिप्पणी नहीं।
vii)(क)	अनुपालन के लिए नोट किया।
vii)(ख)	चूँकि बिक्रीकर, आयकर, विलासिता–कर, सीमा–शुल्क इत्यादि के मामलों में उपयुक्त प्राधिकरणों से अपील की गई है, अतः निर्णय होने तक उन्हें लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है (टिप्पणी संख्या 31 देखें)।
viii) से xvi)	कोई टिप्पणी नहीं।
''अनुबंध–ख''	अनुपालन के लिए नोट किया

उपर्युक्त, जिन टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है, उनके संबंध में सभी एककों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी, ताकि आगामी वर्ष के लेखाओं में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

अनुबंध–VI

प्रपत्र संख्या, एमआर–3
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण,
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8,
छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

मैंने लागू सांविधिक प्रावधानों तथा **मैसर्स भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईएन एल74899डीएल1965जीओआई004363) (इसमें इसके बाद "कंपनी" कहा गया है)** द्वारा निगम परिपाटी के निर्वहन के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया है, जो हमें निगम आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारी राय व्यक्त करने में एक युक्तिसंगत आधार प्रदान करता है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा रखी गई कंपनी की लेखा पुस्तिकाओं, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दाखिल किए गए विवरणों तथा अन्य रिकार्डों के साथ–साथ कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचनाओं के हमारे सत्यापन के आधार पर, मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक कंपनी में बोर्ड कार्यविधियों तथा अनुपालन का एक उचित तंत्र अस्तित्व में है :

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुस्तिकाओं, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दाखिल किए गए विवरणों और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 "(एससीआरए)" और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(v) भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 "(भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम)" के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश नामशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर अधिग्रहण और ग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टॉक विक्रय स्कीम) दिशानिर्देश, 1999; तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ईक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009;

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

(vi) कंपनी के लिए विशिष्ट रूप से लागू अन्य कानून नामशः

1) संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

3) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1974

4) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

5) वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

मैंने कंपनी द्वारा निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार।

(ख) आईसीएसए द्वारा जारी अनुसचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों और मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि :

कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामोदिष्ट पेशेवरों की समीक्षा के अध्यधीन रही है।

कंपनी का निदेशक बोर्ड विधिवत गठित है जिसमें कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों का उचित संतुलन है सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात् सूचीकरण करार/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की संख्या का 50 प्रतिशत नहीं है। इस समय कंपनी के निदेशक बोर्ड में केवल चार स्वतंत्र निदेशक हैं। तथापि, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से इस अनुरोध के लिए संपर्क किया कि कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने पर विचार किया जाए ताकि कंपनी विधि आवश्यकताओं का पालन करने में समर्थ हो सके। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की तिथि और समय के बारे में सभी निदेशकों को उचित रूप से सूचित किया जाता है, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम

सात दिन पहले भेजी गई थीं तथा बैठक के पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली अस्तित्व में है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में निर्णय बहुमत से लिया गया और निदेशक बोर्ड और बोर्ड की समिति (समितियों) की बैठकों के कार्यवृत्त के भाग में यथा मामलानुसार दर्ज की गई थी।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि :

लागू विधानों, नियमों, विनिमयों और दिशानिर्देशों को मानीटर करने और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के स्वरूप और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और कार्यविधियां मौजूद हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा विशिष्ट आयोजन अथवा कार्रवाई नहीं की गई जिसका ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर असर पड़ा हो।

कृते चंद्रदीप भारती एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./–
(चंद्रदीप भारती)
भागीदार
सदस्यता संख्या 7098
सीपी संख्या 14770

तिथि : 22.08.2016
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणी : यह रिपोर्ट हमारे उसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जिसे अनुबंध क के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुबंध–क

सेवा में
सदस्यगण,
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8
छठा तल, 7 लोदी रोड
नई दिल्ली–110003

महोदय,

वित्त वर्ष 2015–16 की इसी तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ें।

1. सचिवीय रिकार्ड बनाए रखना कंपनी के प्रबंधकवर्ग का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. मैंने सचिवीय रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में पर्याप्त आश्वस्त होने के लिए उचित लेखापरीक्षा व्यवहारों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन जांच आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य प्रतिबिम्बित हो सकें। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और व्यवहार हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, श्रम कानून रिकार्डों, कर्मचारियों के वैयक्तिक रिकार्डों तथा खाता बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है क्योंकि ये विशिष्ट लागू कानूनों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

4. जब भी आवश्यक समझा गया, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रमों इत्यादि के बारे में प्रबंधकवर्ग का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

5. निगम और अन्य विशिष्ट लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधकवर्ग का दायित्व है। हमारी पड़ताल जांच आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न कंपनी की भावी लाभप्रदता और न उसकी कार्यक्षमता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधकवर्ग ने कंपनी का कार्यसंचालन किया है।

कृते चंद्रदीप भारती एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./–
(चंद्रदीप भारती)
साझीदार
सदस्यता संख्या 7098
सीपी संख्या 14770

तिथि : 22.08.2016
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–VII

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अंतर्गत सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उसकी टिप्पणियों और अभ्युक्तियों के संबंध में प्रबंधकवर्ग का स्पष्टीकरण

टिप्पणियां / अभ्युक्तियां	स्पष्टीकरण
कंपनी का निदेशक बोर्ड विधिवत गठित है, जिसमें कार्यपालक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों का उचित संतुलन है सिवाय इसके कि स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात सूचीकरण करार / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की संख्या का 50 प्रतिशत नहीं है। इस समय कंपनी के निदेशक बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशक हैं। तथापि, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से इस अनुरोध के लिए संपर्क किया कि कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने पर विचार किया जाए ताकि कंपनी विधि आवश्यकताओं का पालन करने में समर्थ हो सके। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के मामले में, निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय ने 7 अक्तूबर, 2013 को एक स्वतंत्र निदेशक और 10 दिसम्बर, 2013 को दूसरा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त, 2016 को दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है। इस समय, बोर्ड पर एक और स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया जाना अपेक्षित है। सूचीकरण करार / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन है।

अनुबंध–VIII

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9 (वार्षिक विवरणी का सार)
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

(I) पंजीकरण और अन्य विवरण

i) सीआईएन :एल74899डीएल1965जीओआई004363

ii) पंजीकरण तिथि : 31 मार्च, 1965

iii) कंपनी का नाम : भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी : शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी / संघ सरकार की कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण: स्कोप काम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003,
टेलीफैक्स : 011–24360249
ई–मेल : vkjain@theashokgroup.com
वेबसाइट : http://www.theashokgroup.com

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है : हां

II. कंपनी की प्रमुख कारोबार गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक योगदान करने वाली सभी कारोबार गतिविधियां निम्नप्रकार हैं :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार में प्रतिशत
1.	होटल	55101	59.60
2.	टुअर्स और ट्रैवल्स	79120	22.41

III. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्रक / सहायक / सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड	यू55100बीआर1983एसजीसी001855	सहायक	51	2(87)(ii)
2.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101एमपी1985एसजीसी002735	सहायक	51	–वही–
3.	असम अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101एएस1985जीओआई002306	सहायक	51	–वही–
4.	डोनी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101एआर1987एसजीसी002759	सहायक	51	–वही–
5.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू17111पीवाई1986एसजीसी000417	सहायक	51	–वही–
6.	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	यू45202सीएच1998एसजीसी021936	सहायक	51	–वही–
7.	उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड	यू55101ओआर1983जीओआई001276	सहायक	98	–वही–
8.	आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	यू45400डीएल2007पीटीसी168375	सहयोगी	50	2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल ईक्विटी के प्रतिशत रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) 31.03.2016 को श्रेणी–वार शेयरधारिता

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष 31.03.2016 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(A)	प्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
(क)	वैयक्तिक/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	74641681	0	74641681	87.03	74641681	0	74641681	87.03	0.00
(ग)	निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ क(1) :	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**0.00**
(2)	विदेशी									
(क)	वैयक्तिक (अनिवासी भारतीय/ विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग)	संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ क(2) :	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	जोड़ क = क(1) + क(2)	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**74641681**	**0**	**74641681**	**87.03**	**0.00**
(ख)	सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1)	संस्थाएं									
(क)	म्यूचुअल फंड/यूटीआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	3521111	0	3521111	4.41	3436529	0	3436529	4.01	0.10
(ग)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड)	बीमा कंपनियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(च)	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(छ)	विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ज)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(झ)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ ख(1) :	**3521111**	**0**	**3521111**	**4.41**	**3436529**	**0**	**3436529**	**4.01**	**0.10**

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष 31.03.2016 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	प्रत्यक्ष	जोड़	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(2)	गैर–संस्थाएं									
(क)	निकाय निगम (भारतीय/विदेशी)	6873682	0	6873682	8.01	6868261	0	6868261	8.01	-0.01
(ख)	वैयक्तिक									
	(i) ₹ 1 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	619728	8011	627739	0.73	671575	7811	679386	0.79	0.06
	(ii) ₹ 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	97700	0	97700	0.11	88195	0	88195	0.10	-0.01
(ग)	अन्य									
	(i) समाशोधन सदस्य	1611	0	1611	0.00	48943	0	48943	0.06	0.06
	(ii) अनिवासी भारतीय	5876	0	5876	0.01	6405	0	6405	0.01	0.00
(घ)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड़ ख (2) :	**7598597**	**8011**	**7606608**	**8.87**	**7683379**	**7811**	**7691190**	**8.97**	**0.10**
	जोड़ ख = ख(1) + ख(2)	**11119708**	**8011**	**11127719**	**12.97**	**11119908**	**7811**	**11127719**	**12.97**	**0.00**
	जोड़ (क+ख) :	**85761389**	**8011**	**85769400**	**100.00**	**85761589**	**7811**	**85769400**	**100.00**	**0.00**
	अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर, जिनके लिए निक्षेप प्राप्तियां जारी की गई हैं									
	(i) प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	(i) सार्वजनिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	कुल–जोड़ (क+ख+ग) :	**85761389**	**8011**	**85769400**	**100.00**	**85761589**	**7811**	**85769400**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारित शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	7,46,41,681	87.03	शून्य	7,46,41,681	87.03	शून्य	शून्य
	कुल	7,46,41,681	87.03	शून्य	7,46,41,681	87.03	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(iv) शीर्षस्थ दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर और एडीआर धारकों को छोड़कर) का शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	दि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		6750275	7.87	6750275	7.87
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		3016729	3.52	3016729	3.52
3	देना बैंक – निवेश वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी		394682	0.46		
	22/05/2015	शेयरों की बिक्री- 1253			393429	0.46
	19/06/2015	शेयरों की बिक्री - 29577			363852	0.42
	26/06/2015	शेयरों की बिक्री - 15000			348852	0.41
	30/06/2015	शेयरों की बिक्री - 9776			339076	0.40
	03/07/2015	शेयरों की बिक्री - 7828			331248	0.39
	10/07/2015	शेयरों की बिक्री - 14355			316893	0.37
	17/07/2015	शेयरों की बिक्री - 6793			310100	0.36
	31/03/2016	अंतिम शेष			310100	0.36
4	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		109700	0.13	109700	0.13
5	एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड 19/06/2015	 शेयरों की बिक्री - 22439	22439	0.03	22439 0	0.03 0.00
	31/03/2016	अंतिम शेष			0	0
6	विकास अग्रवाल 12/06/2015	 शेयरों की बिक्री - 1000	21000	0.02	20000	0.02
	31/03/2016	अंतिम शेष			20000	0.02
7	कुमार मंगलम लम्बोरिया 23/10/2015	 शेयरों की खरीद - 16500	0	0.00	16500	0.02
	31/03/2016	अंतिम शेष			16500	0.02
8	क्षितिज पोर्टफोलियो प्रा.लि. 11/12/2015 26/02/2016	 शेयरों की खरीद - 25000 शेयरों की बिक्री - 10000	0	0.00	25000 15000	0.03 0.02
	31/03/2016	अंतिम शेष			15000	0.02
9	प्रीति भाटिया 04/09/2015	 शेयरों की बिक्री - 9170	15000	0.02	5830	0.01
	31/03/2016	अंतिम शेष			5830	0.01
10	प्रमोद प्रेमचंद शाह 26/02/2016	 शेयरों की बिक्री - 14000	14000	0.02	0	0.00
	31/03/2016	अंतिम शेष			0	0.00
11	नीता जतिन झावेरी 26/02/2016	 शेयरों की खरीद - 14000	0	0.00	14000	0.02
	31/03/2016	अंतिम शेष			14000	0.02
12	कैलाश कुमारी अग्रवाल (वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं)		13695	0.02	13695	0.02
13	आदित्य देवरा वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी		0	0.00		
	29/05/2015	शेयरों की खरीद - 2000			2000	0.00
	05/06/2015	शेयरों की खरीद - 4628			6628	0.01
	12/06/2015	शेयरों की बिक्री - 1628			5000	0.01
	26/06/2015	शेयरों की बिक्री - 5000			0	0.00
	11/03/2016	शेयरों की खरीद - 10000			10000	0.01
	18/03/2016	शेयरों की खरीद - 500			10500	0.01
	25/03/2016	शेयरों की खरीद - 2500			13000	0.02
	31/03/2016	अंतिम शेष			13000	0.02
14	दक्षाबेन लक्ष्मीराम धारिया वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी		12005	0.01	12005	0.01
	12/06/2015	शेयरों की बिक्री - 4000			8005	0.01
	26/06/2015	शेयरों की बिक्री - 2000			6005	0.01
	30/06/2015	शेयरों की बिक्री - 5000			1005	0.00
	10/07/2015	शेयरों की बिक्री - 1000			5	0.00
	30/09/2015	शेयरों की बिक्री - 5			0	0.00

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	निदेशक और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	श्री उमंग नरूला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	श्री पीयूष तिवारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	श्री प्रदीप कुमार दास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	श्री संजीव रंजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	श्री सुमन बिल्ला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	श्री ए. वी. रतनम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	डॉ. ऊषा किरण राय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	डॉ. (सुश्री) टी. कुमार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	श्री गिरीश शंकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	श्री वी के जैन (सीएस)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	श्री पी के अग्रवाल (सीएफओ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणभार

कंपनी का ऋणभार, जिसमें बकाया/प्रोद्भूत ब्याज शामिल है, किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं है

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणभार
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणभार				
(i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) देय, किन्तु अप्रदत्त ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़ (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
*वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
*कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में ऋणभार				
(i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) देय, किन्तु अप्रदत्त ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री उमंग नरूला	श्री समीर शर्मा	श्री पीयूष तिवारी	श्री आर के ओखंदियार	श्री प्रदीप कुमार दास	श्री त्रिनाथ बेहेरा
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	21,31,650	11,391	20,91,078	9,68,705	2,27,731	5,62,412
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	-	-	2,64,812	-	5,400	1,58,144
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट ईक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य, बताएं.....	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया बताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
	जोड़ (क)	**21,31,650**	**11,391**	**23,55,890**	**9,68,705**	**2,33,131**	**7,20,556**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा						

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री ए. वी रतनम	डॉ. ऊषा किरण राय	कुल
1.	स्वतंत्र निदेशक			
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	1,01,451	1,00,311	2,01,762
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य, कृपया बताएं	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (1)	1,01,451	1,00,311	2,01,762
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक			
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य, कृपया बताएं	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (2)	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (ख) = (1+2)	1,01,451	1,00,311	2,01,762
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	1,01,451	1,00,311	2,01,762
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा			

ग. प्रमुख प्रबंध कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, प्रबंधक और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंध कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ (श्री पी के अग्रवाल)	जोड़
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		11,55,097	7,10,928	18,11,096
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		शून्य		शून्य
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		शून्य		शून्य
2.	स्टॉक विकल्प		शून्य		शून्य
3.	स्वेट ईक्विटी		शून्य		शून्य
4.	कमीशन				
	– लाभ का प्रतिशत				
	– अन्य, बताएं.....		शून्य		शून्य
5.	अन्य, कृपया बताएं		15,834		15,834
	जोड़		11,70,931	7,10,928	18,81,859

VIII. अपराधों का अर्थदंड/दंड/संयोजन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए अर्थदंड/दंड/संयोजित शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई की हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
अर्थदंड	शून्य				
दंड	शून्य				
संयोजित	शून्य				
ख. निदेशक	शून्य				
अर्थदंड	शून्य				
दंड	शून्य				
संयोजित	शून्य				
ग. चूककर्त्ता अन्य अधिकारी :	शून्य				
अर्थदंड	शून्य				
दंड	शून्य				
संयोजित	शून्य				

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. निगम के एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड** के संलग्न विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, और उसी वर्ष की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है, की लेखापरीक्षा कर ली है, *(जिनमें कंपनी के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखाओं के स्थान पर उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरणियां शामिल की गई हैं।)*

2. निगम के एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधकवर्ग की जिम्मेवारी

कंपनी का निदेशक बोर्ड इन वित्तीय विवरणों जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों जिनमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल हैं, के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाहों की सही व उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेवार है। इस जिम्मेवारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय लेने और आकलन करने जो उचित और विवेकपूर्ण है; के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड बनाए रखना शामिल हैं, इस जिम्मेवारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण से संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण शामिल है जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण और सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करे।

3. लेखापरीक्षक की जिम्मेवारी

हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा के मानकों और मामलों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम और उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों की सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त होने का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों तथा प्रकटन के लेखापरीक्षक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यविधियों का निष्पादन शामिल है। चुनी हुई कार्यविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का निर्धारण शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रकार प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा कार्यविधियां डिजाइन की जा सकें, जो परिस्थितियों के अनुरूप समुचित हों। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए मुख्य अनुमानों की समुचितता का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए उचित तथा पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

4. संगत राय का आधार

(क) सहायक कम्पनियों को दी गई सेवाओं और पेशगियों (उन पर ब्याज सहित) के संबंध में निगम को राज्य सरकारों/उनकी कंपनियों की कुछ सहायक कम्पनियों (जिन पर भारी संचित हानि है) द्वारा 31.03.2016 तक ₹ 1668.87 लाख (31.03.2015 तक ₹ 1332.57 लाख) देय हैं। इसके अलावा 31.03.2016 तक उक्त सहायक कम्पनियों में निगम के ₹ 1060.58 लाख के खाता मूल्य (पिछले वर्ष ₹ 1060.58 लाख) के निवेश हैं। प्रबंधकवर्ग ने हमें बताया है कि ये निवेश दीर्घकालिक प्रकृति के हैं और उनके मूल्य में कमी/ह्रास स्थायी नहीं है तथा इन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का मूलभूत मूल्य निवेशों की लागत और देयों की वसूली के लिए पर्याप्त है, हालांकि इस समय इनमें से दो कम्पनियां प्रचालन में नहीं हैं और इनमें से अधिकांश कम्पनियों की वर्तमान शुद्ध मालियत ऋणात्मक है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने भी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की होटल परिसंपत्ति की बिक्री/पट्टे का प्रस्ताव किया है और इसे देखते हुए इसमें संदेह नहीं है कि कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि और अन्य प्राप्य राशि की वसूली हो जाएगी। [देखें टिप्पणी सं. 17(1), 14ए(1) और 32(10)]।

(ख) कंपनी के एकक दि अशोक होटल, नई दिल्ली की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तारीख 21 मई, 2015, पैरा 4 (iii) की अपनी अंतिम सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार अपनी निविष्टि सेवाओं के लिए उनके द्वारा लिए गए अत्यधिक सेनवैट क्रेडिट के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न तिथियों को सेवा कर विभाग को ₹ 117.04 लाख का भुगतान किया गया है, तथापि एकक ने ₹ 117.04 लाख की उपर्युक्त राशि पर सेवा कर एकक कानून के प्रावधानों के अंतर्गत देय ब्याज का न भुगतान किया है और न लेखा बहियों में इस संबंध में देयता की व्यवस्था की है, अतः वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

5. संगत राय

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त संगत राय पैरा के आधार में वर्णित मामले को छोड़कर उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार यथापेक्षित तरीके से 31 मार्च, 2016 को कंपनी के मामलों, उसी तिथि को समाप्त वर्ष की उसकी लाभ एवं हानि तथा उसके नकदी प्रवाहों की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करता है।

6. मामले की महत्ता

(क) स्टॉक और भंडारण, क्रॉकरी, कटलरी इत्यादि के उपयोग की राशि का आकलन लेखाकरण

नीति के अनुसार आकलित वास्तविक मालसूचियों के आधार पर आरंभिक शेष में वर्ष के दौरान की गई खरीद को जोड़कर और वर्ष के अंत में अंतिम शेष से उन्हें घटाकर किया गया है और तदनुसार, कंपनी के एककों के वित्तीय विवरणों में उनके उपभोग में हानि/कमी/अपव्यय के पृथक प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है [देखें पैरा संख्या 32(3)]। इस मामले पर हम राय नहीं दे सकते हैं।

(ख) हम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 22.04.2016 को खारिज की गई परिसंपत्ति खाली कराने के मामले से संबंधित कंपनी की अपील के संबंध में टिप्पणी 31 पैरा ग की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तथा कंपनी भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करने की प्रक्रिया कर रही है और कानूनी राय के साथ प्रबंधकवर्ग का यह मानना है कि अपील से सफलतापूर्वक चुनौती दी जाएगी और कंपनी की देयता उनके द्वारा जमा की गई ₹ 1,314.21 लाख राशि से काफी कम होगी। तथापि, कंपनी ने विवेकसम्मत आधार पर मामले का अंतिम निर्णय आने तक लेखा बहियों में ₹ 1,314.21 लाख का प्रावधान किया है, 50 प्रतिशत डिक्री राशि के प्रावधन को लाभ और हानि विवरण में अपवादात्मक मद के रूप में दर्शाया गया है तथा 31.03.2016 तक ब्याज सहित बकाया राशि आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल की गई है। इस मामले में हमारी कोई राय नहीं है।

7. अन्य मामला

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल की गई 35 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी 31 मार्च, 2016 को कुल परिसंपत्तियां ₹ 25,369.19 और कुल राजस्व ₹ 29,753.06 है जैसाकि वित्तीय विवरणों में प्रतिबिम्बित हुआ है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों के बारे में हमारी राय है, यह पूर्णतः इन शाखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में हमारी कोई राय नहीं है।

8. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षाओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा उचित समझे गए कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर ''अनुबंध–क'' में विवरण दे रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

संगत टिप्पणी पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले को छोड़कर हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा है, जैसाकि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;

(ख) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने में हमने विविधत रूप से उनका प्रयोग किया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण *लेखा बहियों और शाखाओं जिनमें हम नहीं गए हैं, से प्राप्त विवरणों के अनुरूप हैं।*

(घ) **संगत टिप्पणी के लिए आधार में वर्णित मामले को छोड़कर** ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) संगत टिप्पणी के लिए आधार में वर्णित मामले का हमारी राय में कंपनी की कार्यशैली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है;

(च) भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 29(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है;

(छ) लेखाओं के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं उपरोक्त योग्य राय आधार में बताए अनुसार हैं;

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट ''अनुबंध–ख'' में देखें।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्न प्रकार हैं :

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 देखें;

(ii) कंपनी की व्युत्पाद संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं है जिसके लिए पूर्वानुमानित वास्तविक हानियां हुई हों; और

(iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित ₹ 0.10 लाख की राशि वर्ष के अंत में बकाया थी, जिसे 9 मई, 2016 को जमा किया गया था।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन 000291 एन)

ह./–
(अंशु गुप्ता)
साझीदार
सदस्यता सं. 077891

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.05.2016

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध क''

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं के संबंध में इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ''क'' में हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) कंपनी सामान्यतया मात्रात्मक ब्यौरों तथा स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्डों का रखरखाव करती है सिवाय *कुछ एककों/शाखाओं/सहायक कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर जहां मात्रात्मक ब्यौरा, स्थिति इत्यादि के संबंध में रिकार्ड पूर्ण नहीं थे।*

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा वर्ष के अंत में सामान्यतया स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है। *अधिकांश एककों/शाखाओं के साथ–साथ मुख्यालय में बहियों तथा वास्तविक शेष का समाधान नहीं किया गया है, अतः विसंगतियों को खाता बहियों में आवश्यक समायोजन के लिए निश्चित नहीं किया गया है।*

(ग) निम्नलिखित मामलों में अचल परिसंपत्तियों का हक विलेख कंपनी के नाम में नहीं है :

क्र. सं.	एकक का नाम	हक–विलेख की स्थिति
1	दि अशोक, नई दिल्ली	पट्टा विलेख अशोक होटल्स लिमिटेड के नाम से है, जिसे 28.03.1970 को कंपनी में आमेलित किया गया था और कंपनी के नाम में अंतरित नहीं किया गया है।
2	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	पट्टा विलेख 11.01.2010 को समाप्त हुआ।
3	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	बी. सी. पी. मार्ग स्थित 1.5 एकड़ भूमि बिहार सरकार द्वारा दान की गई थी और इसका हक विलेख नहीं है।
4	एटीटी, दिल्ली	पट्टाधारित भूमि का हक विलेख उपलब्ध नहीं है।
5	सम्राट होटल, नई दिल्ली	पट्टाधारित भूमि (3.19 एकड़) का हक विलेख निष्पादित नहीं किया गया।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा सामान्यतया वर्ष में एक बार मालसूचियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। *कुछ शाखा लेखापरीक्षकों ने बताया कि सत्यापन के लिए वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।*

कंपनी सामान्यतया मालसूची का उचित रिकार्ड का रखरखाव करती है लेकिन अंतिम मालसूची वास्तविक रूप से उपलब्ध मालसूची के आधार पर खाता बहियों में दर्ज की जाती है और वास्तविक कमी/हानि/अपव्यय को दर्ज नहीं किया जाता है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों अथवा अन्य पक्षों को कोई ऋण, रक्षित अथवा अरक्षित नहीं दिया है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(iii)(क)(ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों के संदर्भ में जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकृत नहीं की है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश और कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) हमारी राय में कंपनी सामान्यतया नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों में अविवादित सांविधिक देय, जमा कर रही है। जिनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देय शामिल हैं और यदि जमा नहीं किया गया है *तो संबंधित वर्ष की अंतिम तिथि को देय बकाया सांविधिक देय की बकाया राशि उस तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए देय होगी, जो इस प्रकार है :*

एकक का नाम	राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	अवधि, जिससे राशि सम्बद्ध है
अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंध संस्थान	ईपीएफ	0.21	छः माह से अधिक
विज्ञान भवन	ईएसआई	4.78	छः माह से अधिक
हैदराबाद हाउस	ईएसआई	1.71	छः माह से अधिक

(ख) उपकर, आयकर अथवा बिक्री कर अथवा धन कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्यवर्धित कर के देय निम्नलिखित विवाद की स्थिति में जमा नहीं किए गए हैं :

संविधि/एकक का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	अवधि, जिससे राशि सम्बद्ध है	फोरम, जहां विवाद लंबित है
होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	बिहार वैट	3.09	पूर्व वर्ष	जेसीसीटी, पटना
अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग	सीमा शुल्क	18,478.67	2004–05	सीस्टैट
अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग	सीमा शुल्क	42.17	2003	विवाद समिति
अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग	बिक्री/वैट	2,465.62	1995–08	आयुक्त अपील
अशोक समारोह	सेवा कर	39.65	2006–2009	अपर सेवा कर आयुक्त
कलिंग	उत्पाद शुल्क	13.33	2002–03	उच्च न्यायालय, ओडिशा
कलिंग	सेवा कर	52.91	पूर्व वर्ष	अपर महानिदेशक डीजीसीईआई, कोलकाता
ताज रेस्टोरैंट	व्यापार कर	0.50	30.09.2002	वैट विभाग
ताज रेस्टोरैंट	व्यापार कर	0.79	12.02.2003	वैट विभाग
होटल अशोक	सेवा कर	701.93	पूर्व वर्ष	सीस्टैट, दिल्ली
एलएमपीएच	सेवा कर	16.48	29.03.2016	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैसूर

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष के अंत तक किसी वित्तीय संस्था, बैंक से ऋण नहीं लिया है अथवा डिबेंचर जारी नहीं किए है। अतः वित्तीय संस्था अथवा बैंक अथवा डिबेंचर के देय की वापसी अदायगी में चूक की रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा बाद की सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के जरिए धन नहीं जुटाया गया और न किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से कोई सावधि ऋण लिया गया है। अतः, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई अथवा उसकी सूचना नहीं है।

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार किए गए हैं और जहां भी लागू हो लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में ब्यौरे का प्रकटन किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाएं उस पर लागू नहीं हैं; इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई नकदी–भिन्न लेनदेन नहीं किया है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन 000291 एन)

ह./–
(सी ए अंशु गुप्ता)
(साझीदार)
सदस्यता सं. 077891

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.05.2016

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–ख''

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकवर्ग का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधकवर्ग "इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मापदंड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं"। इन जिम्मेदारियों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो उसके कार्य जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी अथवा चूक की रोकथाम और जांच, लेखांकरण रिकार्डों की सटीकता और संपूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है, के व्यवस्थित और कार्यक्षम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से प्रचालित थे, का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के शाखा लेखापरीक्षकों तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश टिप्पणी और लेखांकरण मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निहित नियमों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं, के अनुसार की है। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकता का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार करें जिससे कि वित्तीय रिपोटिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाए रखे गए तथा ये नियंत्रण सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन कार्यविधियां शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का निर्धारण करना कि तात्विक कमियां व्याप्त हैं तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की जांच करना तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित कार्यविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय जिसमें वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, के जोखिम का निर्धारण शामिल है, पर निर्भर हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त हुए लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग को तैयार करने के संबंध उचित आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधिया शामिल हैं जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित है और कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा निपटान में उचित ब्यौरे अचूक और सही ढंग से प्रतिबिम्बित होते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेनदेनों को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को कंपनी की प्रबंधकवर्ग और निदेशकों के प्राधिकार से ही किया जाता है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिनमें सांठगांठ अथवा नियंत्रणों के विरूद्ध अनुचित प्रबंधन के कारण चूक अथवा धोखाधड़ी से तात्विक मिथ्याकथन आ सकता है, और उसका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या कार्यविधियों की अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी में सामान्यतया सभी महत्त्वपूर्ण संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ये वित्तीय नियंत्रण "आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण के मापदंड" के आधार पर, 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से प्रचालन में थे।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन 000291 एन)

ह./–
(सी ए अंशु गुप्ता)
साझीदार
सदस्यता सं. 077891

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.05.2016

दिनांक 30.05.2016 की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुशेष

सेवा में

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य

एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट :

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1ए. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जांच क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जारी निदेशों के अनुपालन संबंधी हमारी रिपोर्ट **''अनुबंध क–1''** में दी गई है।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन 000291 एन)

ह./–
(अंशु गुप्ता)
साझीदार
सदस्यता सं. 077891

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.07.2016

अनुबंध क–I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निदेशों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एकल वित्तीय विवरण) की रिपोर्ट

क्र सं.	निदेश	टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित भूमि के लिए स्पष्ट विलेख/पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टाधारण का क्षेत्र बताएं, जिसके लिए हक पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास निम्नलिखित मामलों को छोड़कर पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित भूमि के लिए स्पष्ट विलेख/पट्टा विलेख है : क्र.सं. एकक का नाम अभ्युक्तियां 1 दि अशोक अशोक होटल की भूमि के संबंध में पट्टा विलेख भूतपूर्व अशोक होटल लिमिटेड के नाम से दर्ज किया गया था, जिसका 28 मार्च, 1970 को निगम में विलय किया गया। शामिल क्षेत्र 21.155 एकड़ है। 2 होटल सम्राट हक विलेख का निष्पादन नहीं किया गया। शामिल क्षेत्र 15929.762 वर्गमीटर है। 3 होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना यह भूमि बिहार सरकार द्वारा दान में दी गई थी और इसका हक विलेख नहीं है। शामिल क्षेत्र 1.5 एकड़ है। 4 होटल जम्मू पट्टा विलेख 11.01.2010 को समाप्त हो गया। 5 एटीटी, दिल्ली पट्टाधारण भूमि का हक विलेख उपलब्ध नहीं है। शामिल क्षेत्र 8566 वर्ग गज।
2.	क्या ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि माफ किए जाने/ बट्टे खाते डालने के मामले हैं? यदि हां, तो इसके कारण और कुल शामिल राशि।	लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मामलों को छोड़कर/ऋण/ उधार/ ब्याज इत्यादि के माफ किए जाने/बट्टे खाते डालने का कोई मामला नजर नहीं आया : क) होटल जनपथ में ₹ 7,01,047.32 का कुल ऋण और व्यक्तिगत मामले तथा ₹ 25,000.00 से कम बकाया था और लंबी अवधि से प्राप्य नहीं हुआ, को इस प्रयोजनार्थ गठित समिति, जिसे सक्षम

		प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, की सिफारिशों के अनुसार बट्टे खाते डाला गया। ख) एटीटी, दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक पुराने और अप्राप्य ऋणों को इस प्रयोजनार्थ गठित समिति, जिसे बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया, की सिफारिशों पर बट्टे खाते डाला गया। इस संबंध में वित्तीय निहितार्थ ₹ 49,050.79/– (दो) और व्यक्तिगत मामलों में ₹ 40,000/– से कम है।
3.	क्या तीसरे पक्ष के पास रखी गई मालसूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे गए हैं?	प्रबंधकवर्ग द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी तीसरे पक्ष के पास मालसूचियां नहीं हैं तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है सिवाय होटल अशोक, दिल्ली को छोड़कर – वाइन, बीयर और पेय की मालसूची पट्टे पर दिए गए रेस्टोरैंट के पास रखी है, जिसके लिए एकक द्वारा उचित रिकार्डों को रखा गया है।

वर्ष 2015–16
के
लेखे (एकल)

31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी			31.3.2016 को	31.3.2015 को
I.	ईक्विटी एवं देयताएँ				
(1)	शेयरधारकों की निधियाँ				
	शेयर पूँजी	2		8,576.94	8,576.94
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	3		24,635.44	23,928.49
	शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त राशि			-	-
	आस्थगित सरकारी अनुदान			3.63	4.38
(2)	गैर–चालू देयताएँ				
	दीर्घकालिक उधार	4	-		-
	अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	6	671.37		763.41
	दीर्घकालिक प्रावधान	7	3,807.16		4.050.72
				4,478.53	
(3)	चालू देयताएँ				
	अल्पकालिक उधार	8	-		-
	व्यापार देय	9	5,647.70		5,434,59
	अन्य चालू देयताएँ	10	14,212.75		14,525.53
	अल्पकालिक प्रावधान	7	3,536.97		3,716.57
				23,397.42	
	जोड़			61,091.96	61,000.63
II.	परिसंपत्तियाँ				
(1)	गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
	स्थायी परिसंपत्तियाँ				
	सक्रिय प्रयोग में मूर्त परिसंपत्तियाँ	11	4,211.62		4,251.28
	मूर्त परिसंपत्तियाँ, जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं	11क	9.92		11.25
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12	3.93		8.00
	चालू पूँजीगत कार्य	12क	513.39		368.27
	गैर–चालू निवेश	13	1,111.48		1,111.48
	आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5	3,296.48		3,052.98
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	14	345.09		365.37
	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	15	94.39		69.18
				9,586.30	
(2)	चालू परिसंपत्तियाँ				
	मालसूची	16	1,399.82		1,226.75
	व्यापार प्राप्तियाँ	17	10,788.14		11,997.00
	नकद एवं नकद समतुल्य	18	27,841.38		26,947.33
	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	14क	9,707.92		9,859.07
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	1,768.40		1,732.67
				51,505.66	
	जोड़			61,091.96	61,000.63
	लेखाओं पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1			

टिप्पणी सं. 1 से 32 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

(वी के जैन) कम्पनी सचिव | (ए.के. जैन) प्रधान प्रबंधक (वित्त व लेखा) | (प्रदीप कुमार दास) निदेशक (वित्त) | (उमंग नरूला) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स (एफआरएन 000291एन)
(अंशु गुप्ता)
साझीदार
(सदस्यता सं. 077891)

तारीख : 30 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी			31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
	राजस्व				
I.	प्रचालन से प्राप्त राजस्व	20			
	उत्पादों की बिक्री		9,891.09		10,558.47
	सेवाओं की बिक्री		33,675.44		36,522.46
	अन्य प्रचालन राजस्व		146.70	43,713.23	146.87
II.	अन्य आय	21		2,856.10	3,191.18
III.	कुल राजस्व (I+II)			46,569.33	50,418.98
	व्यय				
	उपभुक्त सामग्री एवं प्रदत्त सेवाओं की लागत	22		5,729.53	6,135.45
	व्यापार–भंडार की खरीद	23		1,005.19	1,680.88
	तैयार माल एवं व्यापार–भंडार की मालसूची में परिवर्तन	24		(180.50)	27.44
	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	25		13,183.68	13,908.05
	वित्तीय लागत	26		42.71	20.21
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	11&12	803.13		1,026.62
	घटाएं : परियोजनाओं पर व्यय		(0.19)	802.94	(0.19)
	प्रचालन व्यय एवं अन्य व्यय	27		21,770.54	23,906.66
IV.	कुल व्यय			42,354.09	46,705.12
V.	विशिष्ट, असाधारण मदों एवं पूर्व–अवधि समायोजन से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)			4,215.24	3,713.86
VI.	विशिष्ट मदें	28		(809.88)	407.84
VII.	असाधारण मदों एवं पूर्व–अवधि समायोजन से पहले लाभ/(हानि) (V-VI)			3,405.36	4,121.70
	पूर्व–अवधि समायोजन	29			
	पूर्व–अवधि आय		(9.24)		(11.27)
	पूर्व–अवधि व्यय/समायोजन		154.26	(163.50)	215.43
VIII.	असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि)			3,241.86	3,895.00
IX.	असाधारण मदें			-	-
X.	कर से पहले लाभ/(हानि) (पीबीटी) (VIII-IX)			3,241.86	3,895.00
XI.	जारी प्रचालनों का कर–व्यय				
	चालू–कर (आयकर)		(1,230.00)		(950.00)
	पुनरांकित कर (पिछले वर्ष)		0.05		50.71
	चालू कर (धनकर)		-		(0.79)
	मैट क्रेडिट हकदारी		-		-
	आस्थगित–कर	5	243.49	(986.46)	441.96
XII.	जारी प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (X-XI)			2,255.40	3,436.88
XIII.	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-	
XIV.	बंद प्रचालनों का कर–व्यय		-	-	
XV.	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर–उपरांत) (XIII-XIV)			-	-
XVI.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) {(कर–उपरांत लाभ) (पीएटी)} (XII+XV)			2,255.40	3,436.88
XVII.	प्रति ईक्विटी शेयर आय (₹ में)	30		2.63	4.01
	(1) बेसिक एवं				
	(2) डाइल्यूटिड				

(वी के जैन) कम्पनी सचिव | (ए.के. जैन) प्रधान प्रबंधक (वित्त व लेखा) | (प्रदीप कुमार दास) निदेशक (वित्त) | (उमंग नरूला) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स (एफआरएन 000291एन)
(अंशु गुप्ता)
साझीदार
(सदस्यता सं. 077891)

तारीख : 30 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणी – 1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानदंडों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों का अनुपालन करते हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधकवर्ग के लिए यह अपेक्षित है कि कुछ ऐसी मदों के संबंध में अनुमान और पूर्वानुमान तैयार करें, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसम्पत्तियों और देयताओं की उल्लिखित राशियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय और खर्च की उल्लिखित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम/निष्कर्ष अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन उस अवधि में प्रत्याशित रूप से स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में ऐसे परिणामों को मूर्त रूप दिया जाता है।

3. विवादित आयकर और बिक्रीकर मांगें

पूरे किए जा चुके निर्धारणों के संबंध में विवादित आयकर और बिक्रीकर मांगों, जिनके विरुद्ध अपील दायर की गई है, को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है और निपटान के वर्ष में लेखाओं में प्रभारित किया जाता है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसम्पत्तियां

i) स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर और जहाँ लागू हो, ''सहायता अनुदान'' को घटाने के बाद शेष लागत पर किया जाता है।

ii) सक्रिय उपयोग में नहीं लाई जा रही और निपटान के लिए रखी गई स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य–निर्धारण खाता–मूल्य और/अथवा निवल वसूली–योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है। निर्धारित हानि, यदि कोई है, को लाभ व हानि लेखे में दिखाया जाता है।

iii) जिन मामलों में ठेकेदार/आपूर्तिकर्त्ता के अंतिम बिलों की प्राप्ति/संवीक्षा, अतिरिक्त मदों तथा कीमत वृद्धि आदि के लिए देय दरों के संबंध में समझौता लम्बित है, उन मामलों का पूँजीकरण अनंतिम रूप से परियोजना इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित पूरे किए गए वास्तविक कार्यों के आधार पर किया जाता है। यदि कोई अंतर है, तो उसका लेखाकरण उस वर्ष में करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिस वर्ष में अन्तिम बिलों का निपटान होता है।

iv) अमूर्त परिसम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर) का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है।

ख) मूल्यह्रास

i) मूर्त "परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था यथानुपातिक आधार पर परिसम्पत्ति की उपयोगी अवधि" का पालन करते हुए सरल रेखा पद्धति से निम्न दरों पर की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार उपयोगी अवधि (वर्षों के लिए)		सरल रेखा पद्धति प्रतिशतता दरें	
		होटल	गैर–होटल	होटल	गैर–होटल
1.	आरसीसी ढांचा संरचना के साथ भवन	60	60	1.58	1.58
2.	गैर–आरसी ढांचा संरचना के साथ भवन	30	30	3.17	3.17
3.	बाड़, कूआं, नलकूप	5	5	19.00	19.00
4.	बागबानी और भू–दृश्य निर्माण	3	3	31.67	31.67
5.	संपर्क सड़क – आरसीसी पक्की सड़क	10	10	9.50	9.50
6.	संपर्क सड़क – आरसीसी के अलावा पक्की सड़क	5	5	19.00	19.00
7.	संपर्क सड़क – कच्ची सड़क	3	3	31.67	31.67
8.	संयंत्र और मशीनरी	7.5	15	12.67	6.33
9.	लिफ्टें	7.5	15	12.67	6.33
10.	रसोई उपकरण	7.5	15	12.67	6.33
11.	ध्वनि प्रणाली और वाद्य यंत्र	7.5	15	12.67	6.33
12.	सेनीटरी संस्थापनाएं	7.5	15	12.67	6.33
13.	एयरकंडीनशर (संयंत्र और विंडो दोनों) कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	7.5	15	12.67	6.33
14.	विद्युत संस्थापनाएं	10.0	10	9.50	9.50
15.	कार्यालय और विविध उपकरण	5	5	19.00	19.00
16.	कम्प्यूटर (एंडयूजर डिवाइस डेस्कटॉप, लैपटॉप)	3	3	31.67	31.67
17.	कम्प्यूटर सर्वर और नेटवर्क	6	6	15.83	15.83
18.	फर्नीचर, फिक्सचर्स व फर्निशिंग	8	10	11.88	9.50
19.	वाहन (स्टॉफ कार और स्कूटर)	10	10	9.50	9.50
20.	किराए पर चलने वाले परिवहन वाहन	-	6	-	15.83
21.	किराए पर परिवहन वाहनों के अलावा अन्य वाहन	8	8	11.88	11.88
22.	पट्टाधारित भूमि का पट्टे की अवधि में परिशोधन				

ii) अमूर्त परिसम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर) पर लागत का परिशोधन उसके वैधानिक उपयोग की समय सीमा अथवा 3 वर्ष, जो भी पहले हो, में किया जाता है।

5. निवेश

दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दिखाया जाता है। अस्थायी प्रकृति के निवेशों को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

6. मालसूचियों का मूल्य–निर्धारण

पास में और प्रयोग में लाए जा रहे स्टॉक तथा भंडार, जिनमें क्रॉकरी, कटलरी, काँच के बर्तन तथा लिनन आदि का स्टॉक शामिल है, का मूल्य–निर्धारण लागत एफआईएफओ आधार पर अथवा वसूली–योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7. ग्राहकों के लिए परियोजनाओं का निष्पादन

i) निष्पादित परियोजना, जिसमें कॉस्ट प्लस/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंध कार्य शामिल हैं, के संबंध में किए गए कार्य का मूल्य लेखाओं में ग्राहकों द्वारा संभावित अस्वीकृति, यदि कोई हो, के लिए कटौती के बाद प्रबंधकवर्ग द्वारा उत्कृष्ट अनुमानों पर दिखाया जाता है।

ii) अप्रत्यक्ष लागत को 'अवधि लागत' माना जाता है और जिस वर्ष यह होती है, उसी वर्ष में लाभ व हानि लेखे में प्रभारित की जाती है।

8. व्यवस्थाएं, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

i) जिन व्यवस्थाओं में माप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा शामिल होती है, उन्हें तभी स्वीकार किया जाता है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का निर्गम होगा।

ii) जहाँ पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप संभव देयता हो, किन्तु संसाधनों के निर्गम की संभावना न हो, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, किन्तु टिप्पणियों में उपयुक्त प्रकटन आकस्मिक देयताओं के रुप मे किया जाता है।

iii) आकस्मिक देयताओं को प्रबंधकवर्ग/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को संशोधित किया जाता है और प्रबंधकवर्ग के वर्तमान अनुमान को प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ वित्तीय विवरणों में न स्वीकार की जाती हैं और न ही दिखाई जाती हैं।

9. कर्मचारी हितलाभ

क) भविष्य निधि

भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

ख) उपदान

उपदान के प्रति कंपनी की देयता का निर्धारण स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान संबंधी देयता का भुगतान पृथक न्यास के जरिए प्रशासित निधि में किया जाता है।

ग) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण जिसमें अर्धवेतन छुट्टी शामिल है, की व्यवस्था बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

10. आस्थगित कराधान

i) वर्ष के दौरान आस्थगित–कर की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए लेखाकरण मानक (एएस–22) के अनुसार वित्त रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए तुलन–पत्र की तारीख को परिसम्पत्तियों व देयताओं के कर–आधारों तथा उनकी राशियों के बीच सभी अस्थायी अंतरों पर देयता विधि का प्रयोग किया जाता है।

ii) आस्थगित–कर परिसम्पत्ति, विवेकपूर्ण विचार करते हुए केवल उस सीमा तक स्वीकृत की जाती है, जिस सीमा तक इस बात की उचित निश्चिंतता हो कि पर्याप्त कर–योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित–कर परिसम्पत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। उन स्थितियों में, जहाँ कम्पनी का कोई अन–अवशोषित मूल्यह्रास अथवा आगे ले जाई गई कर–हानि है, आस्थगित–कर परिसम्पत्तियों को तभी स्वीकार किया जाता है, जब विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा वस्तुतः यह निश्चिंतता हो कि आगामी कर–योग्य लाभ के विरुद्ध उनकी वसूली की जा सकेगी।

iii) आस्थगित कर–परिसम्पत्ति व देयता उन दरों पर मापी जाती है, जिनके उस अवधि पर लागू होने की अपेक्षा होती है, जब परिसम्पत्ति प्राप्त होती है अथवा देयता का निपटान कर–दरों (और कर नियमों) के आधार पर किया जाता है, जिन्हें तुलन–पत्र की तारीख को विधिक अथवा पर्याप्त रूप से विधिक बना दिया गया है।

11. सरकारी अनुदान

i) परिसम्पत्तियों के उन्नयन के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को उस वर्ष से आय माना जाता है, जिस वर्ष में संबंधित परिसम्पत्ति का उन्नयन किया जाता है और अनुदान संबद्ध लागत की सीमा तक राजस्व खर्च अर्थात् प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास के रूप में बट्टे खाते डाला जाता है।

ii) सरकारी अनुदान की जितनी शेष राशि को वर्ष के अंत में समायोजित नहीं किया जाता है, उसे वित्तीय विवरणों में 'आरक्षित निधि व अधिशेष' के बाद 'आस्थगित सरकारी अनुदान' के रूप में दिखाया जाता है।

12. राजस्व स्वीकृति

i) परियोजनाओं से आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता प्रणाली के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें कॉस्ट प्लस/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन कार्य शामिल हैं। इस विधि के अनुसार, निष्पादित की जा रही परियोजना की कुल अनुमानित लागत के विरुद्ध खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुपात में राजस्व को स्वीकार किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण में अनुमान तैयार करना शामिल है, जिनमें से कुछ तकनीकी प्रकृति के हैं और, जहाँ संगत हो, पूरा होने की प्रतिशतता, पूरा होने की लागत (अस्वीकृति की लागत सहित), अनुमानित राजस्व आदि से संबद्ध हैं।

ii) परियोजनाओं/लाइसेंस फीस/प्रबंधन फीस के संबंध में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय की गणना (सेवाकर को छोड़कर) करार की शर्तों के अनुसार की जाती है। तथापि, जहाँ पर्याप्त अवधि के लिए ऐसे सेवा प्रभार/फीस की नकद वसूली नहीं होती है, वहाँ उसका प्रोद्भवन पावती पर गणना के लिए स्थगित किया जाता है।

iii) बिक्री से राजस्व (आय और छूट का निवल) पर्याप्त जोखिमों और ग्राहकों को इनामों के अंतरण पर स्वीकार किया जाता है। बिक्रीकर और मूल्यवर्धित–कर को शामिल नहीं किया जाता है।

iv) प्रबंधन फीस आय/सहायक कम्पनियों से कर्जे और पेशगियों पर ब्याज, जिसकी गणना ऊपर (ii) में उल्लिखित उन कम्पनियों में धन की समस्या के कारण प्राप्ति आधार पर अथवा कर–कटौती प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर की जाती है, जिनसे अन्यथा ब्याज से आय और निवेशों से आय की गणना क्रमशः संविदागत दरों पर और/अथवा प्राप्ति के अधिकार के प्रमाणन के समय उपचित आधार पर की जाती है।

v) लाइसेंसधारकों से वसूली योग्य अतिदेय राशियों पर ब्याज/क्षति का परिकलन वसूली आधार पर किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन–देन

i) आरम्भिक मान्यता

विदेशी मुद्रा कारबार को कारबार की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय–दर से गणना करके रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

ii) परिवर्तन

विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम दरों का प्रयोग करके की जाती है। गैर–आर्थिक मदों, जिन्हें विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लाया जाता है, को कारबार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iii) मुद्रा विनिमय अंतर

आर्थिक मदों के निपटान अथवा कम्पनी की आर्थिक मदों की रिकॉर्डिंग/रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान मूल रूप से रिकॉर्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर होने के परिणामस्वरूप आए विनिमय अंतर को, उस वर्ष में आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत से बाहर अर्जित स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित देयताओं पर मुद्रा–विनिमय अंतर को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है।

ख) मुद्रा विनिमय व्यवसाय

i) अवधि के दौरान हुए कारबार को वसूली गई वास्तविक दर के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।

ii) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा शेष को वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) लेखाओं में दिखाई गई मुद्रा विनिमय व्यवसाय से प्राप्त आय मुद्रा की बिक्री की लागत का निवल है।

14. उधार लागत

i) उधार लागत, यदि कोई है, जो अर्हक परिसम्पत्तियों के अर्जन/निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है।

ii) अन्य उधार लागत को उसी वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाता है, जिस वर्ष में वह हुई है।

15. पूर्व–अवधि/असाधारण मदें

i) सभी पूर्व–अवधि मदों, जो महत्वपूर्ण हैं और पूर्व–अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई 'भूल–चूक' के परिणामस्वरूप चालू अवधि में सामने आई हैं, को लाभ व हानि लेखे के वर्तमान विवरण में अलग से दिखाया गया है। तथापि, पूर्व अवधि में 'अधिक अथवा कम अनुमान' के कारण वास्तविक आय/व्यय में होने वाले अंतर को पूर्व–अवधि आय/व्यय के रूप में नहीं माना जाता है।

ii) सभी असाधारण मदों अर्थात् लाभ अथवा हानियाँ, जो ऐसी घटनाओं अथवा कारबार से होती हैं, जो कम्पनी की सामान्य गतिविधियों से भिन्न हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, को अलग से लेखा–विवरण में दिखाया जाता है।

16. दावे

बीमा दावों सहित पूरक दावों को स्वीकृति/प्राप्ति के आधार पर लेखाओं में दिखाया जाता है।

17. क्षेत्रवार रिपोर्टिंगे

क्षेत्रवार राजस्व, क्षेत्रवार व्यय, क्षेत्रवार परिसंपत्तियां और क्षेत्रवार देयताएं उन क्षेत्रवारों की प्रचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर चिन्हित की जाती हैं। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं जो समग्र रूप से कंपनी से संबंधित हैं और पर्याप्त आधार पर क्षेत्रवारों को आबंटन योग्य नहीं हैं, को अन्य राजस्व/व्यय/ परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

18. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण ''नकदी प्रवाह विवरण'' संबंधी लेखाकरण मानक (एएस)–3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

शेयर पूंजी

टिप्पणी – 2

प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रति शेयर सम मूल्य

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 15,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 15,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	15,000.00
जारी एवं अभिदत्त शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर)	8,576.94	8,576.94
	8,576.94	8,576.94
प्रदत्त शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर)	8,576.94	8,576.94
जोड़	8,576.94	8,576.94

₹ 100–100 के 15,238 ईक्विटी शेयर (इन्हें ₹ दस–दस के 1,52,380 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत समामेलन आदेश (1966) के अनुसरण में पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए थे।

₹ 100–100 के 75,000 ईक्विटी शेयर (इन्हें ₹ दस–दस के 7,50,000 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया है) कुछ परिसम्पत्तियों का स्वामित्व अंतरित करने के लिए पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए थे।

जारी.....

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या का समाशोधन

(संख्या में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400
जोड़ें :		
वर्ष के दौरान पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के दौरान एक संविदा के अनुसरण में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना आबंटित पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की संख्या	-	-
ईएसओपी/ईएसपी के अनुसरण में कर्मचारियों को आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
पब्लिक इश्यू के अनुसरण में नकद पर आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
	8,57,69,400	8,57,69,400
घटाएं :		
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400

शेयरों की श्रेणी से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध (लाभों के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2016 को
	शेयरों की श्रेणी	शेयरों की श्रेणी
कंपनी के पास ₹ 10 प्रति शेयर के सम मूल्य की एक ईक्विटी शेयर श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के उपरांत तय किया जाएगा। परिसमापन की स्थिति में ईक्विटी शेयरधारक अधिमानी राशियों के वितरण के उपरांत शेष परिसंपत्ति को अपनी शेयरधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।	ईक्विटी शेयर	ईक्विटी शेयर

5 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी शेयर रखने वाले कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की प्रतिशतता
i) भारत के राष्ट्रपति	7,46,41,681	87.030	7,46,41,681	87.030
ii) इंडियन होटल्स कं. लिमिटेड	67,50,275	7.870	67,50,275	7.870

आरक्षित निधि एवं अधिशेष

टिप्पणी – 3

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को	31.3.2015 को
पूँजीगत आरक्षित निधि			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		23.54	23.54
प्रीमियम आरक्षित प्रतिभूतियां			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5,475.00		5,475.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-
		5,475.00	
सामान्य आरक्षित निधि			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	18,412.02		17,495.42
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों हेतु समायोजन -		(483.40)	
जोड़ें / (घटाएं) : चालू वर्ष के समायोजन	700.00		1,400.00
अंतिम शेष		19,112.02	18,412.02
लाभ व हानि विवरण में अधिशेष			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	17.93		45.65
लाभ व हानि लेखे से अंतरण	2,255.40		3,436.88
वर्ष के लिए अधिशेष	2,273.33		3,482.53
विनियोजन / समायोजन			
प्रस्तावित लाभांश	1,286.54		1,715.39
लाभांश–कर	261.91		349.21
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	700.00		1,400.00
		24.88	
कुल जोड़		24,635.44	23,928.49

दीर्घकालिक ऋण

टिप्पणी – 4

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क)	बॉण्ड / डिबेंचर		
	रक्षित	-	-
	अरक्षित	-	-
(ख)	बैंकों से सावधि ऋण	-	-
(ग)	अन्य से सावधि ऋण	-	-
(घ)	संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम		
	रक्षित	-	-
	अरक्षित	-	-
(ङ)	सरकारी जमाराशियां (अरक्षित)	-	-
(च)	वित्तीय पट्टा देयताओं की दीर्घकालिक परिपक्वता	-	-
	जोड़	-	-

आस्थगित–कर परिसंपत्तियां (निवल)

टिप्पणी – 5

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
आस्थगित–कर देयताएं	-	-
आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ	3,296.48	3,052.98
आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**3,296.48**	**3,052.98**

टिप्पणियां :–

आयकर के लिए लेखाकरण – लेखाकरण मानक – 22 – आस्थगित–कर :
31.03.2016 को आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल) के मुख्य घटक निम्नप्रकार हैं :

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016		31.3.2015	
आस्थगित–कर देयताएं				
मूल्यह्रास	35.14		136.04	
आस्थगित–कर परिसंपत्तियां				
अग्रेनीत व्यवसाय हानि	-		-	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,427.00		1,318.05	
उपदान के लिए प्रावधान	153.09		179.84	
संदिग्ध ऋणों और पेशगियों के लिए प्रावधान तथा ह्रासित मालसूची	1,621.27		1,611.07	
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अस्वीकृतियाँ	130.26		80.06	
		3,331.62		3,189.02
आस्थगित–कर परिसंपत्तियां (निवल)		3,296.48		3,052.98

जैसाकि लेखाकरण मानक–22 में अपेक्षित है, प्रबंधकवर्ग ने कर–परामर्शदाता की सलाह के आधार पर आस्थगित–कर परिसंपत्तियों / देयताओं की समीक्षा की थी और चालू वर्ष में पर्याप्त कर योग्य लाभ होने व यह आशा होने कि आस्थगित–कर परिसंपत्ति की वसूली के लिए भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, के अनुसार ही 31.03.2016 तक उपर्युक्त आस्थगित–कर परिसंपत्ति (निवल) को वित्तीय विवरणों में दिखाया है।

अन्य दीर्घकालिक देयताएं

टिप्पणी – 6

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण राशि	671.37	763.41
जोड़	671.37	763.41

प्रावधान

टिप्पणी – 7

(लाख ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	जोड़	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	जोड़
कर्मचारी हितलाभ						
उपदान	5,931.85	1,732.98	7,664.83	6,450.39	1,629.15	8,079.54
घटाएं : उपदान नीति के अनुसार निवेश–निधि का आकार	(5,489.50)	(1,732.98)	(7,222.48)	(5,930.75)	(1,629.15)	(7,559.90)
छुट्टी नकदीकरण	3,364.81	758.52	4,123.33	3,531.08	701.18	4,232.26
	3,807.16	758.52	4,565.68	4,050.72	701.18	4,751.90
आयकर						
आयकर के लिए प्रावधान	-	1,230.00	1,230.00	-	950.00	950.00
	-	1,230.00	1,230.00	-	950.00	950.00
धनकर						
धनकर के लिए प्रावधान	-	-	-	-	0.79	0.79
	-	-	-	-	0.79	0.79
प्रस्तावित लाभांश						
प्रस्तावित लाभांश	-	1,286.54	1,286.54	-	1,715.39	1,715.39
लाभांश–कर	-	261.91	261.91	-	349.21	349.21
	-	1,548.45	1,548.45	-	2,064.60	2,064.60
जोड़	**3,807.16**	**3,536.97**	**7,344.13**	**4,050.72**	**3,716.57**	**7,767.29**

अल्पकालिक ऋण

टिप्पणी – 8

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) माँग पर प्रतिदेय ऋण		
रक्षित	-	-
अरक्षित	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित	-	-
अरक्षित	-	-
(ग) सरकारी जमाराशियां (अरक्षित)	-	-
जोड़	-	-

व्यापार देय

टिप्पणी – 9

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
व्यापार देय	5,647.70	5,434.59
जोड़	5,647.70	5,434.59

टिप्पणी :–

व्यापार देय, जिसमें ₹ 1,750.24 लाख का 3 वर्ष से अधिक पुराना ऋण बकाया शामिल है, को चालू खाता भुगतान में दर्शाया जाता है। इन्हें समाशोधन के पश्चात समायोजित/वसूल किया जाना होता है।

अन्य चालू देयताएं

टिप्पणी – 10

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
विविध लेनदार (व्यापार देय के अलावा)	4,107.76	3,808.07
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि	2,857.68	2,701.18
ग्राहकों से अग्रिम	4,953.32	5,631.86
बेदावा लाभांश*	0.55	0.35
अन्य देयताएं	2,293.44	2,384.07
जोड़	14,212.75	14,525.53

*इन आंकड़ों में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को देय और बकाया ₹ 0.10 लाख शामिल है (चूंकि 9 मई, 2016 को जमा किया गया)।

टिप्पणियां :–

विविध लेनदारी में ग्राहकों से प्राप्त ऐसी लगभग ₹ 170.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 69.75 लाख) की असंबद्ध पावतियाँ शामिल हैं, जो अपने ग्राहक खातों के पर्याप्त विवरण के अभाव में संबद्ध नहीं की जा सकी हैं।

सक्रिय प्रयोग में मूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 11

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल निरुद्ध पूंजी: 31.3.2015 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाले गए एवं समायोजन	31.3.2016 तक	मूल्यह्रास: 31.3.2015 तक	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई राशि एवं समायोजन	31.3.2016 तक	क्षति: 31.3.2015 को	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	31.3.2016 तक	निवल रखाव राशि: 31.3.2016 को	31.3.2015 को
1.	भूमि														
	पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड)	20.60	-	-	20.60	2.25	-	-	***2.25	-	-	-	-	18.35	18.35
	पट्टे पर	326.60	-	-	326.60	115.08	3.43	-	*118.51	-	-	-	-	208.09	211.52
2.	भवन	2,664.89	-	-	**2,664.89	1,547.11	43.26	0.14	1,590.51	-	-	-	-	1,074.38	1,117.78
3.	संयंत्र एवं उपकरण	7,477.12	615.81	(0.05)	8,092.88	5,315.12	533.92	0.63	5,849.67	-	-	-	-	2,243.21	2,162.00
4.	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	2,875.31	121.92	-	2,997.23	2,337.01	153.22	0.02	2,490.25	-	-	-	-	506.98	538.30
5.	वाहन	138.88	-	-	138.88	119.25	3.75	0.38	123.38	-	-	-	-	15.50	19.63
6.	कार्यालय उपकरण	1,459.23	22.16	(0.87)	1,480.52	1,275.53	59.49	0.39	1,335.41	-	-	-	-	145.11	183.70
	जोड़	14,962.63	759.89	(0.92)	15,721.60	10,711.35	797.07	1.56	11,509.98	-	-	-	-	4,211.62	4,251.28
	पिछले वर्ष का जोड़	14,447.58	553.37	(38.32)	14,962.63	9,264.22	1,007.12	440.01	10,711.35	-	-	-	-	4,251.28	-

– पट्टे पर भूमि के अतिरिक्त अन्य मूर्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व निगम के पास है।

* यह पट्टा भूमि के परिशोधन को दर्शाता है।

* इसमें स्टाफ क्वार्टर्स का मूल्य ₹ 194.03 लाख (पिछले वर्ष ₹ 194.03 लाख) शामिल है। तथापि, कुछ एककों के स्टाफ क्वार्टर्स का मूल्य–निर्धारण नहीं हो पाने के कारण उनका मूल्य इसमें शामिल नहीं है।

*** मुख्यालय स्थित पट्टे पर रिहायशी फ्लैटों का उनके पूर्ण स्वामित्व में बदले जाने से पूर्व, परिशोधन शामिल है।

टिप्पणियां :

(क) पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण एवं स्वामित्व विलेख का पंजीकरण/पट्टा विलेख का कार्यान्वयन न होने के फलस्वरूप पटना स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक, नई दिल्ली स्थित अशोक इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट (एआईएचएंडटीएम) तथा टेनिस कोर्ट से संबंधित लागत पट्टा/किराया, भूमि किराया, पंजीकरण शुल्क इत्यादि की देयताएं तय नहीं की गई हैं।

(ख) होटल सम्राट की भूमि एवं स्कोप के कार्यालय परिसर से संबंधित पट्टा विलेख/स्वामित्व विलेख को अब तक निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है।

(ग) अशोक होटल, नई दिल्ली की भूमि का पट्टा विलेख भूतपूर्व अशोका होटल्स लिमिटेड के नाम पंजीकृत है, जिसका निगम के साथ 28 मार्च, 1970 में विलय कर दिया गया था।

(घ) निगम के पक्ष में स्वामित्व विलेख का पंजीकरण निम्नलिखित मामलों में प्रभावी नहीं हुआ है :

i) आगरा स्थित ताज रेस्टोरैंट की भूमि एवं भवन

ii) गुलमर्ग में भूमि

(ङ) होटल जम्मू अशोक का पट्टा विलेख दिनांक 11.01.2010 को समाप्त हो चुका है। इसका नवीकरण लंबित होने के कारण पट्टा किराया देयता आदि के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

(च) लागत को अंतिम रूप देने और उसका समायोजन लंबित होने के कारण पर्यटन मंत्रालय से अधिगृहीत पथिक निवास, रेस्टोरैंट और होटल आदि की भूमि ,भवन, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स तथा उपकरणों का पूंजीकरण भुगतान के आधार पर किया गया है।

(छ) संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं के अंतिम बिल की प्राप्ति/संवीक्षा, अतिरिक्त सामग्री की दरों और वृद्धि इत्यादि का समाधान लंबित होने के कारण, पूँजीकरण एवं/अथवा ₹ 1,955.42 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,215.20 लाख) व्यय का प्रभार विभिन्न परियोजनाओं में किए गए कार्यों के लिए परियोजना इंजीनियरों द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के आधार पर किया गया है। लागत में समायोजन, यदि कोई हो, बिलों के अंतिम निपटान पर किए जाने का प्रस्ताव है।

सक्रिय प्रयोग में नहीं आने वाली मूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 11क

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल निरुद्ध पूँजी				मूल्यह्रास					निवल निरुद्ध पूँजी	
	31.3.2015 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई एवं समायोजन	31.3.2016 को लागत	31.3.2015 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई और समायोजन	31.3.2016 तक संचित मूल्यह्रास	31.3.2016 को ह्रासित मूल्य	31.3.2016 को निवल वसूलीयोग्य मूल्य	शेष के लिए व्यवस्था
क. निवल वसूलीयोग्य मूल्य ह्रासित मूल्य से अधिक है											
संयंत्र एवं उपकरण	117.51	0.58	(0.61)	117.48	109.87	0.56	(0.58)	109.85	7.63	7.63	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	7.11	-	-	7.11	6.74	-	-	6.74	0.37	0.37	-
वाहन	3.93	-	-	3.93	3.74	-	-	3.74	0.19	0.19	-
कार्यालय उपकरण	2.64	-	0.19	2.83	1.88	-	0.30	2.18	0.65	0.65	-
जोड़–क	131.19	0.58	(0.42)	131.35	122.23	0.56	(0.28)	122.51	8.84	8.84	-
ख. निवल वसूलीयोग्य मूल्य ह्रासित मूल्य से कम है											
संयंत्र एवं उपकरण	26.16	-	-	26.16	16.96	-	-	16.96	9.20	0.43	8.77
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	35.64	-	-	35.64	33.88	-	-	33.88	1.76	0.25	1.51
वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	10.76	-	0.41	11.17	9.33	-	0.28	9.61	1.56	0.40	1.16
जोड़–ख	72.56	-	0.41	72.97	60.17	-	0.28	60.45	12.52	1.08	11.44
जोड़–(क+ख)	203.75	0.58	(0.01)	204.32	182.40	0.56	-	182.96	21.36	9.92	11.44
पिछले वर्ष का जोड़	173.27	41.12	(10.64)	203.75	152.26	39.10	(8.96)	182.40	21.35	11.25	10.10

-पट्टा भूमि के अतिरिक्त सक्रिय प्रयोग में नहीं आ रहीं मूर्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व निगम के पास है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 12

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल निरुद्ध पूंजी				संचित मूल्यह्रास			संचित क्षति				निवल रखाव राशि	
		31.3.2015 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	31.3.2016 को	31.3.2015 को	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	जोड़ें/(घटाएँ) वर्ष के दौरान समायोजन	31.3.2016 को	31.3.2015 को	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	31.3.2016 को	31.3.2016 को	31.3.2015 को
1.	गुडविल														
2.	ब्रांण्ड/ट्रेड मार्क														
3.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर														
	– अर्जित	97.72	1.99	-	99.71	89.72	6.06	-	95.78	-	-	-	-	3.93	26.36
	– आंतरिक रूप से तैयार														
4.	मास्टहेड्स														
5.	खनन अधिकार														
6.	कॉपीराइट														
	– अर्जित														
	– आंतरिक रूप से तैयार														
7.	पेटेंट														
	– अर्जित														
	– आंतरिक रूप से तैयार														
	जोड़	97.72	1.99	-	99.71	89.72	6.06	-	95.78	-	-	-	-	3.93	26.36
	पिछले वर्ष का जोड़	96.58	1.14	-	97.72	70.22	19.50	-	89.72	-	-	-	-	26.36	-

चालू पूँजीगत कार्य

टिप्पणी – 12क

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
I) चल रहे कार्य (लागत पर), जिनमें निर्माण–स्थल पर रखी सामग्री और प्रयोग में न लाई जा रही स्थायी परिसंपत्ति, किए गए कार्य एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का मूल्य शामिल है।	625.86	473.89
II) विनिधान होते तक परियोजनाओं के संबंध में किया गया खर्च	113.99	110.87
III) पास में और मार्गस्थ पूँजीगत माल	0.29	7.34
	740.14	592.10
घटाएं – क्षति के लिए प्रावधान	(226.75)	(223.83)
जोड़	513.39	368.27

टिप्पणियां :–

1. विनिधान होने तक परियोजनाओं को आबंटित व्यय निम्नप्रकार है :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष	110.87	118.12
जोड़ें :–		
अन्य परियोजना उपरिव्यय	2.93	18.42
पट्टे का मूल्यह्रास/परिशोधन	0.19	0.19
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.00)	(25.86)
अंतिम शेष	113.99	110.87

2. चालू पूँजीगत कार्य में परियोजनाओं पर व्यय शामिल है, जिसे विभिन्न परियोजनाओं के समाप्त होने पर प्रभाजित किया जाना है।

गैर–चालू निवेश

टिप्पणी – 13

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को	31.3.2015 को
गैर–व्यापार निवेश			
क. सहायक कम्पनियों में व्यापार (अनुद्धृत)*			
(i) ईक्विटी इन्स्ट्रूमेंटों में निवेश			
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.			
₹ दस–दस के 11,90,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 11,90,000)		119.00	119.00
रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
₹ एक–एक हजार के 24,988 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 24,988)		249.88	249.88
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
₹ एक–एक हजार के 8,160 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8,160)		81.60	81.60
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
₹ एक–एक हजार के 5,100 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5,100)		51.00	51.00
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
₹ एक–एक हजार के 8,160 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8,160)		81.60	81.60
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
₹ एक–एक सौ के 50,896 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 50,896)		50.90	50.90
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड			
₹ दस–दस के 12,75,000 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 12,75,000)		127.50	127.50
		761.48	761.48
(ii) अधिमानी शेयरों में निवेश*			
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.			
₹ दस–दस के 14 प्रतिशत गैर–संचयी 35,00,000 अधिमानी शेयर (पिछले वर्ष 35,00,000) 30.3.2017 को विमोच्य		350.00	350.00
ख. संयुक्त उद्यम कम्पनी में शेयर (व्यापार अनुद्धृत)			
भारत पर्यटन विकास निगम एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**			
₹ दस–दस के 5,000 (पिछले वर्ष 5,000) पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर	0.50		0.50
घटाएं : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	0.50	-	0.50
		-	-
ग. अन्य (व्यापार अनुद्धृत)			
1. दिल्ली मैदा उपभोक्ता सहकारी समिति लि., दिल्ली			
₹ 25–25 का एक ईक्विटी शेयर***	-	-	-
जोड़		1,111.48	1,111.48

* शेयर सह–प्रवर्तकों की सहमति के बिना दस वर्ष के भीतर हस्तांतरणीय नहीं हैं। दस वर्ष के उपरांत भी शेयर निजी पार्टियों को हस्तांतरणीय नहीं हैं।

** भारत में शुल्क मुक्त व्यापार चलाने के प्रयोजन से निगम ने 18.09.2007 को स्पेन के मैसर्स एल्डिआसा के साथ दिनांक 10.07.2007 को हुए करार द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की। संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार, निगम एवं एल्डिआसा को संयुक्त उद्यम की पूँजी के लिए बराबर अंशदान करना था और तदनुसार प्रवर्तक अभिदाता होने के कारण निगम ने संयुक्त उद्यम में ₹ 50,000 (10–10 रुपए के 5,000 ईक्विटी शेयर) का निवेश किया, हालाँकि संयुक्त उद्यम कंपनी से शेयर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना शेष है। संयुक्त उद्यम कंपनी की मसौदा वित्त व्यवस्था के आधार पर इस साझेदारी से वर्ष के दौरान ₹ 2.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2.62 लाख) का लाभ रिकॉर्ड किया गया है।

*** पूर्णांक बनाने के लिए ₹ 25/– के निवेश को शून्य माना गया है।

टिप्पणी :–

महत्वपूर्ण संचित हानियों के बावजूद उपर्युक्त में से कुछ सहायक कंपनियों में हुए ₹ 1,060.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1060.58 लाख) के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। पुनर्भुगतान उनको प्रभारित राशि के अनुरूप नहीं होने के कारण 2008–09 से इन कंपनियों से हुई आय (यथा प्रबंधन शुल्क और दिए गए ऋणों पर ब्याज) का लेखाकरण निगम वास्तविक वसूली/उनसे लिए गए शुल्क की दृष्टि से स्रोत पर कटौती किए गए कर–जमा की सीमा तक कर रहा है। तथापि उपर्युक्त प्राप्य लेखाओं को कंपनियों के साथ दीर्घकालिक संबंध को तथा उन कंपनियों द्वारा धारित परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य को देखते हुए वसूली के लिए प्राप्य समझा गया है।

दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी – 14

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
क) प्रतिभूति जमा		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	3.62	1.89
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	177.04	202.51
संदिग्ध	77.38	42.63
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	(77.38)	(42.63)
जोड़ (क)	180.66	204.40
(ख) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	164.43	160.97
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	
जोड़ (ख)	164.43	160.97
जोड़ {(क)+(ख)}	345.09	365.37

अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी – 14क

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	1,333.17	995.65
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (क)	1,333,17	995.65
(ख) कंपनी के निदेशक अथवा अधिकारीगण अथवा उनमें से किसी एक या कुछ या अन्य के साथ संयुक्त रूप से या किसी फर्म या निजी कंपनियों, जिनमें कोई निदेशक क्रमशः साझीदार अथवा निदेशक अथवा सदस्य है, द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	2.99	4.63
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (ख)	2.99	4.63
(ग) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	0.51	5.54
अरक्षित, प्राप्य समझे गए#	1,713.93	1,738.39
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़ (ग)	1,714.44	1,743.93
(घ) आयकर अग्रिम एवं स्रोत पर कटौती किया गया कर	6,611.17	7,115.55
जोड़ (घ)	6,611.17	7,115.55
(ङ) बिक्रीकर का अग्रिम भुगतान	46.15	31.68
जोड़ (ङ)	46.15	31.68
जोड़ {(क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)}	9,707.92	9,891.44

टिप्पणियां :–

1. ऋण एवं अग्रिम में निम्नलिखित सहायक कंपनियों संबंधी ₹ 1,333.17 लाख (निवल) (पिछले वर्ष ₹ 995.65 लाख (निवल) शामिल हैं।

(लाख ₹ में)

कंपनी का नाम		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	71.53	71.01
ii)	डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	(1.75)	(1.22)
iii)	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	173.25	179.55
iv)	पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	26.69	23.61
v)	राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	99.18	98.56
vi)	उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.*	931.47	591.98
vii)	पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	32.80	32.16
	जोड़	1,333.17	995.65
घटाएँ : किए गए प्रावधान		-	-
	निवल	1,333.17	995.65

(*) 31.03.2004 से प्रचालन में नहीं है

2. ऋण एवं अग्रिम में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों पर बकाया अग्रिम	2.99	4.63
वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से अधिकतम प्राप्य राशि	4.24	7.20

न्यायालय के आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के पास जमा की गई ₹ 1.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.62 लाख) की एफडीआर राशि शामिल है।

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 15

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) चालू से अन्यथा दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य (आस्थगित उधार शर्तों पर व्यापार प्राप्य सहित)		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	59.85	7.81
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	28.08	54.02
संदिग्ध	3,858.37	3,458.91
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(3,858.37)	(3,458.91)
जोड़ (क)	87.93	61.83
(ख) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	6.46	7.35
संदिग्ध	450.43	449.78
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	(450.43)	(449.78)
जोड़ (ख)	6.46	7.35
जोड़ {(क)+(ख)}	94.39	69.18

मालसूची

टिप्पणी – 16

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(प्रबंधकवर्ग द्वारा लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य में से निम्नतर पर तैयार, मूल्यांकित और प्रमाणित की गई मालसूचियों के अनुसार)		
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	208.17	222.59
औजार	0.64	0.52
क्रॉकरी, कटलरी, कांच के बर्तन और लिनन आदि (पास में और प्रयोग में)	250.54	273.95
अन्य स्टॉक एवं भंडार (अन्य)	980.51	769.66
मार्गस्थ माल	-	-
घटाएं : ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	(40.04)	(39.97)
जोड़	1,399.82	1,226.75

व्यापार प्राप्य

टिप्पणी – 17

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
1. चालू व्यापार प्राप्य		
(क) भुगतान के लिए देय तारीख से 6 महीने से अधिक समय की बकाया व्यापार प्राप्य :		
(i) रक्षित, प्राप्य समझे गए	101.46	76.10
(ii) अरक्षित, प्राप्य समझे गए	3,720.60	3,592.52
(iii) संदिग्ध	154.73	504.58
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(154.73)	(504.58)
जोड़ (क)	3,822.06	3,668.62
(ख) व्यापार प्राप्य (अन्य)		
(i) रक्षित, प्राप्य समझे गए	342.06	173.68
(ii) अरक्षित, प्राप्य समझे गए	6,624.02	8,122.33
(iii) संदिग्ध	103.73	10.33
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(103.73)	(10.33)
जोड़ (ख)	6,966.08	8,296.01
जोड़ {क+ख}	10,788.14	11,964.63

टिप्पणियां :–

1. व्यापार प्राप्यों में निम्नलिखित सहायक कंपनियों संबंधी ₹ 335.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 335.70 लाख – निवल) शामिल हैं :

(लाख ₹ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(i) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	106.42	106.42
(ii) डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	-	-
(iii) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	77.84	77.84
(iv) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	50.30	50.30
(v) राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	76.58	76.58
(vi) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.*	24.56	24.56
(vii) पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	-	-
जोड़	335.70	335.70
घटाएं : किया गया प्रावधान	-	-
निवल	335.70	335.70

(*)31.03.2004 से प्रचालन में नहीं है

2. व्यापार प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से प्राप्य ऋण	-	-
वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से अधिकतम प्राप्य राशि	-	-

3. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में किया जाता है :

(i) बैंक गारंटी के अलावा प्राप्त की गई रक्षित जमा राशि को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए देनदार, यदि कोई हो, के संबंध में

(ii) मामले के गुणदोष के आधार पर तीन वर्ष से कम अवधि के लिए देनदार के संबंध में

(iii) सहायक कंपनियों से देय देनदारों के मामले में, इन कंपनियों द्वारा धारित परिसंपत्तियों के मूलभूत मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रावधान नहीं किया जाता है।

नकद एवं नकद समतुल्य

टिप्पणी – 18

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) पास में नकद		
पास में नकद*	24.19	16.43
(ख) बैंकों में शेष		
चालू खाते में**	5,585.61	3,600.15
बचत खाते में	0.76	0.73
संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	-	-
(ग) पास में चैक, ड्राफ्ट		
पास में चैक	419.74	74.69
पास में ड्राफ्ट	-	-
(घ) अन्य बैंक शेष		
बैंकों में 12 महीनों से कम अवधि के लिए सावधि जमा***	21,805.14	23,249.75
बैंकों में 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा	5.94	5.58
(ड.) अन्य	-	-
जोड़	27,841.38	26,947.33

** ₹ 4.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.45 लाख) के समतुल्य विदेशी मुद्रा शामिल है।*

*** गैर–दावाकृत लाभांश के ₹ 0.55 लाख शामिल है।*

**** जमानत के रूप में ₹ 53.49 लाख के एफडीआर (पिछले वर्ष ₹ 50.78 लाख) शामिल हैं।*

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

टिप्पणी – 19

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
उपचित ब्याज लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं	1,294.77	1,309.04
अन्य	473.63	423.63
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	-	-
जोड़	1,768.40	1,732.67

टिप्पणियां :–

(i) अन्य में आरपीएफसी, जयपुर में जमा ₹ 1.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.58 लाख) का एफडीआर शामिल है।

(ii) अन्य में संविदाकर्ता के 60 कामगारों द्वारा दाखिल मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार मार्च, 2016 तक वेतन के रूप में संविदा कामगारों को प्रदत्त ₹ 166.55 लाख शामिल है। इस मामले का अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है।

प्रचालन से आय

टिप्पणी – 20

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री (क)		
खाद्य	6,703.25	6,489.29
बियर, वाइन एवं स्पिरिट	2,709.61	2,486.62
सिगार एवं सिगरेट	68.31	33.01
सॉफ्ट ड्रिंक्स	285.12	248.56
पेट्रोल, तेल एवं ल्यूब्रिकेंट	-	1,166.48
पर्यटक साहित्य एवं अन्य प्रकाशन	120.18	132.83
विविध बिक्री	4.62	1.68
जोड़ (क)	**9,891.09**	**10,558.47**
सेवाओं की बिक्री (ख)		
कमरे का किराया	11,966.82	12,812.15
लाइसेंस शुल्क	5.024.15	4,967.45
बैंक्विट हॉल/लान का किराया	1,172.05	991.54
यातायात से आय एवं पैकेज टुअर्स	1,659.40	1,859.82
यात्रा सेवाएँ	8,642.56	10,041.57
प्रबंधन/परामर्श/समारोह प्रबंध/प्रशिक्षण शुल्क	2,660.46	3,080.10
परियोजनाओं के निष्पादन से राजस्व	1,428.27	1,728.97
ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन	93.54	85.96
प्राप्त कमीशन	95.63	33.76
विद्युत प्रभार	499.40	484.09
दूरभाष सेवाएँ	4.46	6.34
विज्ञापन आय	37.96	33.88
सेवा प्रभार	390.74	396.83
जोड़ (ख)	**33,675.44**	**36,522.46**
अन्य प्रचालन राजस्व (ग)		
विविध आय	146.70	146.87
जोड़ (ग)	**146.70**	**146.87**
जोड़ (क)+(ख)+(ग)	**43,713.23**	**47,227.80**

टिप्पणियां :–

(i) नए लाइसेंस करारों का निष्पादन लंबित होने के कारण लाइसेंस शुल्क से आय (वर्तमान लाइसेंसधारकों से) का लेखाकरण अनंतिम आधार पर और/अथवा पूर्व लाइसेंस करारों के आधार पर किया गया है।

(ii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली जो संपदा निदेशक, नई दिल्ली के साथ संविदा के अंतर्गत केटरिंग सेवाएं प्रदान करता रहा है, की संविदा 17.11.2015 को समाप्त हुई। अगला नवीकरण प्रक्रियाधीन है तथा वर्ष के अंत तक लंबित नवीकरण राजस्व को उपर्युक्त करार के आधार पर मान्यता दी गई है।

अन्य आय

टिप्पणी – 21

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
अन्य आय		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ब्याज (सकल)	2,251.28	2,537.42
कर्मचारियों को ऋण	0.58	0.61
आयकर वापसी पर	202.15	-
अन्य	0.84	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.02	3.98
विदेशी मुद्रा अंतर पर लाभ	5.27	3.80
पर्यटन मंत्रालय से अनुदान	0.09	0.35
अन्य	395.87	645.02
जोड़	2,856.10	3,191.18

टिप्पणी :–

पर्यटन मंत्रालय से परिसंपत्तियों के नवीकरण/उन्नयन के लिए प्राप्त आस्थगित सरकारी अनुदान की ₹ 4.38 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4.73 लाख) की शेष राशि में से वर्ष के दौरान खर्च हुई ₹ 0.75 लाख, जिसमें पूर्व वर्षों की ₹ 0.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.35 लाख) की राशि को संबंधित व्यय शीर्ष में प्रभारित किया गया है। अनुदान संबद्ध व्यय/समायोजित की गई लागत के बराबर की राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के अंत में शेष ₹ 3.63 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4.38 लाख) की राशि को आरक्षित निधि व अधिशेष के अंतर्गत आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है।

उपभुक्त सामग्री व प्रदत्त सेवाओं की लागत

टिप्पणी – 22

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	कच्चे माल का उपभोग, बेची गई अन्य सामग्री व प्रदत्त सेवाओं की लागत		
i)	रसद, पेय एवं धूम्रपान		
	प्रारंभिक स्टॉक	58.60	82.78
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	2,368.38	2,228.73
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	(100.00)	(254.19)
	अंतिम स्टॉक	78.38	58.60
	जोड़ (i)	**2,248.60**	**1,998.72**
ii)	वाइन एवं शराब		
	प्रारंभिक स्टॉक	323.25	337.99
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	541.31	730.03
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	(89.57)	(250.32)
	अंतिम स्टॉक	331.63	323.25
	जोड़ (ii)	**443.36**	**494.45**
iii)	अन्य सामग्री		
	प्रारंभिक स्टॉक	-	-
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	89.23	103.20
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	-	-
	अंतिम स्टॉक	-	-
	जोड़ (iii)	**89.23**	**103.20**
	जोड़ (i+ii+iii) (क)	**2,781.19**	**2,596.37**
(ख)	प्रदत्त/खरीदी गई सेवाओं की लागत :–		
	– परियोजना का निष्पादन	1,308.48	1,610.48
	– अन्य सेवाएँ	1,654.83	1,943.92
	जोड़ (ख)	**2,963.31**	**3,554.40**
	जोड़ (क+ख)	**5,744.50**	**6,150.77**
	घटाएं : विदेश मंत्रालय को प्रभारित	(14.97)	(15.32)
	कुल जोड़	**5,729.53**	**6,135.45**

टिप्पणी :–

कच्चे माल के उपभोग, बेची गई अन्य सामग्री तथा प्रदत्त सेवाओं की लागत में प्रचालन स्टाफ द्वारा खानपान स्थापनाओं में उपभुक्त खाद्य सामग्री शामिल है (राशि निश्चित नहीं)।

व्यापार माल की खरीद

टिप्पणी – 23

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	40.47	17.56
ii)	वाइन एवं शराब	962.91	556.16
iii)	अन्य सामग्री	1.81	1,107.16
	जोड़	**1,005.19**	**1,680.88**

व्यापार माल की मालसूची में परिवर्तन

टिप्पणी – 24

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रारंभिक स्टॉक		
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	8.57	7.21
ii)	वाइन एवं शराब	373.37	370.64
iii)	अन्य सामग्री	3.58	35.11
	जोड़	**385.52**	**412.96**
(ख)	अंतिम स्टॉक		
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	16.01	8.57
ii)	वाइन एवं शराब	547.94	373.37
iii)	अन्य सामग्री	2.07	3.58
	जोड़	566.02	385.52
(ग)	मालसूची में परिवर्तन	(180.50)	27.44
		(180.50)	27.44

कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

टिप्पणी – 25

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	11,150.43	11,737.76
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में नियोक्ता द्वारा अंशदान	997.57	973.68
कर्मचारी कल्याण व्यय (कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान सहित)	848.31	964.65
वर्दी	31.66	22.46
कर्मचारी उपदान योजना में प्रावधान/अंशदान (निवल)	432.11	505.24
	13,460.08	14,203.79
घटाएं :–		
पर्यटन मंत्रालय की परियोजनाओं को प्रभारित	61.39	56.84
विदेश मंत्रालय को प्रभारित	215.01	238.90
जोड़	13,183.68	13,908.05

टिप्पणियां :–

1. लेखाकरण मानक–15 (संशोधित) संबंधी प्रकटन – कर्मचारी हितलाभ :–

क) भविष्य निधि – मूल वेतन का 12 प्रतिशत (मंहगाई वेतन सहित) एवं मंहगाई भत्ता, मान्य भविष्य निधि में अंशदान।

ख) छुट्टी नकदीकरण – पात्र कर्मचारियों को जमा अर्जित अवकाश के लिए सेवा से अलग होने पर देय।

ग) उपदान – पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 अथवा उससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा की हो, को सेवानिवृत्त होने पर पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की दर पर देय। अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख।

कर्मचारी हितलाभ पर लेखाकरण मानक–15 (संशोधित) के अनुसार निम्न प्रकटन यथापेक्षित स्थिति दर्शाता है :–

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन अवकाश
परिभाषित दायित्वों का उचित मूल्य			
01.04.2015 को अनुमानित दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,079.54	4,179.68	52.58
चालू सेवा लागत	292.34	180.98	5.72
ब्याज लागत	646.36	335.29	4.22
बीमांकिक लाभ (–)/हानि (+)	52.35	(621.51)	(13.63)
पिछली सेवा लागत	-	-	-
प्रदत हितलाभ	(1,405.77)	-	-
31.03.2016 को अनुमानित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,664.83	4,074.44	48.89

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन अवकाश
परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाशोधन			
01.04.2015 को योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	7,559.90	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित लाभ	591.30	-	-
कम्पनी का वास्तविक अंशदान	509.40	-	-
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	(32.35)	-	-
प्रदत हितलाभ/समायोजन	(1,405.77)	-	-
31.03.2016 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,222.48	-	-
परिभाषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-	-
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (टिप्पणी–7)	442.35	4,074.44	48.89
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण में स्वीकृत खर्च			
चालू सेवा लागत	292.34	180.98	5.72
ब्याज लागत	646.36	335.29	4.22
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	84.70	(621.51)	(13.63)
पिछली सेवा लागत	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	(591.30)	-	-
लाभ व हानि लेखे में प्रभारित कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ			
क) उपदान	432.11	-	-
ख) अन्य	-	(105.24)	(3.69)
उपदान निधि निवेश विवरण (निधि देने की सीमा तक निधि प्रबंधकवार)			
भारतीय जीवन बीमा निगम	2,074.25	-	-
मेटलाइफ ट्रेडिशनल फंड	664.63	-	-
मेटलाइफ यूनिट लिंक्ड	-	-	-
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	690.86	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस	353.03	-	-
बिड़ला सन–लाइफ इंश्योरेंस फंड	1,924.40	-	-
फ्यूचर जेनेरली इंडिया फंड	1,535.32	-	-
जोड़	7,222.48	-	-

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन अवकाश
बीमांकिक अनुमान			
बट्टा दर	8.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष	8.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अंतिम	आईएएलएम (2006–08) अंतिम	आईएएलएम (2006–08) अंतिम
आहरण दर (18–30 वर्ष)	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष
आहरण दर (31–44 वर्ष)	1.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष
आहरण दर (44–58 वर्ष)	3.00% प्रतिवर्ष	3.00% प्रतिवर्ष	3.00% प्रतिवर्ष
लाभ की अनुमानित दर	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
भावी वेतनवृद्धि	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
सेवानिवृति आयु	58 वर्ष	58 वर्ष	58 वर्ष
पद्धति	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट

वित्तीय लागत

टिप्पणी – 26

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज	40.72	19.88
अन्य उधार लागत	1.99	0.33
जोड़	42.71	20.21

प्रचालन एवं अन्य व्यय

टिप्पणी – 27

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
यात्रा एवं सवारी			
(क) निदेशक	28.54		31.62
(ख) अधिकारी एवं कर्मचारी	105.02		125.27
(ग) स्टाफ कार व्यय	77.14		61.93
		210.70	
किराया, पौरकर, कर एवं बीमा			
(क) किराया	252.19		398.32
(ख) पौरकर एवं कर	320.10		315.34
(ग) बीमा	103.10		101.24
		675.39	
मरम्मत एवं अनुरक्षण			
(क) संयंत्र एवं मशीनरी	510.11		440.92
(ख) भवन	748.80		945.22
(ग) वाहन	5.72		10.23
(घ) अन्य	1,030.62		1,192.39
		2,295.25	
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)			
(क) लेखापरीक्षा शुल्क	19.39		18.91
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	5.81		5.67
(ग) प्रमाणन	-		-
(घ) कराधान मामले	-		-
(ङ) कंपनी विधि मामले	-		-
(च) जेबी खर्च	0.06		0.29
		25.26	
निदेशकों का बैठक–शुल्क		2.02	1.43
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		191.90	173.85
मुद्रण, स्टेशनरी एवं पत्रिकाएं		115.12	167.80
संचार व्यय		110.91	111.15
बिजली एवं ईंधन		3,000.42	3,033.16
विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री संवर्धन		336.96	395.86
मनोरंजन		12.19	13.10
बैंड एवं संगीत		34.16	34.90
ट्रैवल एजेंटों एवं क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कमीशन		99.78	63.45
लाइसेंसधारकों का लाभ में हिस्सा		-	1.67
विविध व्यय		60.54	111.53
रखरखाव, सेवा लागत और अन्य प्रचालन खर्च		13,810.64	14,822.45
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री/परिसम्पत्तियों को बट्टे–खाते डालने पर हानि		0.07	1.06
क्रॉकरी, कटलरी एवं बर्तनों आदि में ह्रास/उपभोग एवं टूट–फूट		53.62	56.54
बिक्री प्रतिफल की प्रतिपूर्ति		486.19	723.95

अशोध्य ऋण	7.58	19.13
विदेशी मुद्रा विचलनों से हानि	-	5.91
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	388.44	596.48
क्षति के लिए प्रावधान	2.93	2.10
स्थायी परिसंपत्तियों में ह्रास के लिए प्रावधान	1.27	-
ह्रासित मालसूची/बट्टे–खाते डाली गई मालसूची के लिए प्रावधान	0.08	-
निगम सामाजिक दायित्व*	13.58	14.08
मुकदमेबाजी में हानि	2.79	57.79
	21,937.79	24,054.74
घटाएं :–		
पर्यटन मंत्रालय की परियोजनाओं को प्रभारित	22.30	17.53
विदेश मंत्रालय को प्रभारित	144.95	130.55
	167.25	148.08
	21,770.54	23,906.66

टिप्पणियां :–

1. बिजली उत्पादन पर व्यय :–

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	6.27	6.00
ईंधन	35.73	46.51
मूल्यह्रास	40.50	46.23
मरम्मत	39.06	35.95
अन्य	0.50	-
जोड़	122.06	134.69

(उपर्युक्त में कुछ एककों द्वारा किए गए व्यय, जिन्हें निश्चित नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं हैं)

2. विभागीय रूप से की गई मरम्मत के लिए तैनात स्टाफ के वेतन, मजदूरी आदि को मरम्मत एवं रख–रखाव लेखा में अलग से प्रभारित नहीं किया गया है।
3. वर्ष के दौरान विभिन्न होटलों के नवीकरण पर किए गए ₹ 1,382.32 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1153.92 लाख) के व्यय को परियोजना इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, जिन पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है, के आधार पर ₹ 688.12 लाख (पिछले वर्ष ₹ 477.29 लाख) की पूंजी एवं ₹ 694.20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 676.64 लाख) के राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

* निगम सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय का ब्यौरा

क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि ₹ 38.10 लाख है।

ख) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर खर्च राशि :

(लाख ₹ में)

विवरण	**नकद**	**चालू कार्य के लिए नकद में भुगतान की जाने वाली राशि**	**जोड़**
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	.	.	.
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर अन्य प्रयोजनों पर	13.58	16.50	30.08

अपवादात्मक मदें

टिप्पणी – 28

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
प्रावधान, जिनके पुनरांकन की आवश्यकता नहीं है	504.34	407.84
अन्य*	(1,314.22)	-
जोड़	(809.88)	407.84

*टिप्पणी 31 ग देखें।

टिप्पणी :–

प्रावधान/देयताएं, जिनके वर्ष के दौरान पुनरांकन की आवश्यकता नहीं है तथा लाभ व हानि लेखे में निम्नप्रकार दिखाई गई हैं :

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	209.45	86.13
2. मूल्यह्रास	0.29	83.98
3. बेची गई सामग्री एवं प्रदत्त सेवाओं की लागत	1.42	19.36
4. वेतन, मजदूरी एवं हितलाभ	2.10	4.02
5. वित्त लागत	-	14.74
6. मरम्मत एवं अनुरक्षण	130.62	3.75
7. रखरखाव एवं सेवा लागत	9.97	59.35
8. अन्य प्रचालन एवं प्रशासनिक व्यय	0.57	0.01
9. ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	-	2.40
10. अन्य	149.92	134.10
जोड़	504.34	407.84

पूर्व–अवधि समायोजन

टिप्पणी – 29

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
पूर्व–अवधि आय	(9.24)	(11.27)
पूर्व–अवधि व्यय	154.26	215.43
निवल पूर्व–अवधि आय / (व्यय)	(163.50)	(226.70)

टिप्पणी :–

1. लाभ व हानि लेखे में प्रभारित पिछले वर्षों से संबंधित आय / व्यय और समायोजन निम्नप्रकार हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय :		
1. बियर, वाइन एवं स्पिरिट की बिक्री	-	-
2. प्रदत्त सेवाओं से आय :		
कमरा किराया / लाइसेंस फीस	-	4.01
परामर्श	(13.56)	-
3. अन्य :		
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	1.91	-
किराए के वाहनों से आय	-	(9.89)
आस्थगित सरकारी अनुदान	0.66	-
विविध आय	1.75	(5.39)
जोड़	(9.24)	(11.27)
व्यय :		
1. कच्चे माल की खपत, बेची गई अन्य सामग्री व सेवाओं की लागत	21.03	1.88
2. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	6.54	1.03
3. यात्रा एवं सवारी	0.28	(0.02)
4. किराया, पौरकर, कर एवं बीमा	1.20	148.25
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण	20.97	(48.05)
6. लेखापरीक्षा शुल्क	0.03	(0.01)
7. विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	4.48	5.56
8. कर्मचारी कल्याण	3.32	(8.31)
9. संचार व्यय	2.10	2.01
10. विद्युत एवं ईंधन	26.11	17.00
11. विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	1.66	-

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
12. विविध व्यय	2.28	(0.12)
13. रखरखाव एवं सेवा लागत एवं अन्य प्रचालन व्यय	16.34	15.17
14. मूल्यह्रास	2.47	76.32
15. किराए पर वाहनों को भुगतान	2.63	-
16. शुल्क और अंशदान	0.03	-
17. डाटा प्रोसेसिंग	0.34	0.07
18. अन्य	42.45	4.65
जोड़	154.26	215.43

प्रति शेयर आय

टिप्पणी – 30

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
लेखाकरण मानक–20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नप्रकार है :		
बेसिक व डाइल्यूटिड		
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध निवल (हानि) / लाभ (लाख ₹ में)	2,255.40	3,436.88
₹ 10–10 के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400
बेसिक आय प्रति शेयर (₹)	2.63	4.01

आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(लाख ₹ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क.	आकस्मिक देयताएं		
(क)	निगम के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया है।		
(i)	निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है {जिसमें सीमा–शुल्क प्राधिकरण से ₹ 18,520.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 18,520.84 लाख) की मांग शामिल है और न्यायालय में विचाराधीन है}।	72,857.40	83,613.08
(ii)	विभिन्न प्राधिकरणों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम निष्पादित गारंटी–पत्र {इसमें सहायक कम्पनियों द्वारा प्राप्त ₹ 360.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 351.74 लाख) के ऋण के विरुद्ध दी गई गारंटियां शामिल हैं}।	516.21	578.74
(iii)	आयकर के मामले, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं {इसमें आयकर विभाग द्वारा की गई अपीलें शामिल हैं ₹ 475.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 475.84 लाख)}।	847.92	1,250.17
(iv)	बिक्रीकर के मामले, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं {बंद शुल्क मुक्त दुकान, मुम्बई के संबंध में ₹ 2,465.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,465.62 लाख रुपए) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध अपीलें महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिकरण/उच्च न्यायालय में लंबित हैं}।	2,949.13	2,951.88
(v)	(क) 31.3.2007 तक होटलों में खानपान कार्यकलापों सहित बैंक्विटिंग से संबंधित सेवाकर (उस पर ब्याज सहित) के लिए देयता।	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं
	(ख) एककों में किए जा रहे भवन मरम्मत कार्य से संबंधित कार्य संविदा–कर (उस पर ब्याज सहित) के लिए देयता।		
ख.	प्रतिबद्धताएँ		
	पूँजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम एवं वृद्धि दरों को छोड़कर, यदि कोई हो) (कार्य पूर्ण होने पर उसका कुछ अंश राजस्व व्यय के रूप में आ सकता है)	386.65	140.03

टिप्पणी सं. (1) : क्रम सं. क(क)(i), क(क)(iii) व क(क)(iv) पर आकस्मिक देयताएं न्यायालय के निर्णय/न्यायालय से बाहर समझौते/अपील के निपटान आदि पर निर्भर हैं।

टिप्पणी सं. (2) : निगम के विरुद्ध आकस्मिक देयता/दावे के रूप में दिखाई गई राशि केवल मूल मूल्य को दर्शाती है। विधिक और अन्य लागतों, जिनका इस अवस्था में निर्धारण नहीं किया जा सकता, पर विचार नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. (3) : उपर्युक्त क्रम सं. क(क)(i) पर दी गई आकस्मिक देयता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से फर्नीचर की आपूर्ति और फ्लैट तैयार करने से संबंधित कार्यों के संबंध में माध्यस्थम के अंतर्गत आने वाले मामलों के विषय में ₹ 4,858.04 लाख शामिल हैं। तथापि, डीडीए के साथ किए गए समझौता–ज्ञापन से पता चलता है कि निर्धारित राशियों, यदि कोई हों, के भुगतान के मामले में माध्यस्थम द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार न्यायालय का निर्धारण डीडीए द्वारा किया जाएगा।

ग. निगम ने 1965 में एनिमी प्रोपर्टी के अभिरक्षक से एक सम्पत्ति किराए पर ली थी। बाद में अभिरक्षक ने उक्त परिसम्पत्ति उसके वर्तमान स्वामी को रिलीज कर दी थी। सम्पत्ति के स्वामी ने उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वामी के पक्ष में निर्णय दिया और निगम को सम्पत्ति खाली करने का निदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने एकमुश्त/तदर्थ आधार पर ब्याज सहित केवल जनवरी, 1980 माह के लिए ₹ 30,000 किराया भी निर्धारित किया और 1.2.1980 से सम्पत्ति का कब्जा सौंपने तक की अवधि के लिए किराए की राशि निर्धारित करने हेतु एक स्थानीय आयुक्त भी नियुक्त किया। इस निर्णय से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया। तदनुसार, परिसर को खाली किया गया और 28.2.2007 को मालिक को उसका कब्जा सौंप दिया गया। स्थानीय आयुक्त ने मध्यवर्ती लाभों के कारण श्री अनिल कुमार खन्ना और अन्य का लगभग ₹ 300 करोड़ का दावा खारिज कर दिया है और उसने रिपोर्ट में यथा उलिखित 15% प्रत्येक वर्ष की वृद्धि और 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 9.37 प्रति वर्ग फीट प्रति माह के आधार किराए को लेते हुए मध्यवर्ती लाभ का परिकलन किया है। स्थानीय आयुक्त के अनुसार कुल देय राशि फरवरी, 2007 को ₹ 12,15,55,555/– बैठती है। इसके अलावा, भुगतान की तारीख तक, रिपोर्ट के अनुसार, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। स्थानीय आयुक्त के निर्णय द्वारा व्यथित होकर आईटीडीसी ने उच्च न्यायालय में आपत्ति दायर की है। स्वामियों/वादियों ने भी रिपोर्ट पर आपत्तियां दायर की हैं, जिनमें सम्पत्ति के कब्जे की तारीख अर्थात् 28.02.2007 तक 01.02.1980 से ₹ 2,96,23,97,284/– का दावा किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 17.7.2015 के निर्णय में कहा है कि स्थानीय आयुक्त द्वारा अपनाई गई मध्यवर्ती लाभ की दर उचित है और याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान तक देय मध्यवर्ती लाभ की तिथि से वार्षिक साधारण ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत दर से प्राप्त की गई।

दोनों पक्षों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील दायर की। याचिकाकर्ता की अपील खारिज की गई तथा आईटीडीसी की अपील पर माननीय उच्च न्यायालय ने एकल बेंच के आदेश पर इस शर्त पर स्थगनादेश दिया कि आईटीडीसी डिक्री की 50 प्रतिशत राशि जमा करेगा। तदनुसार, आईटीडीसी ने 14.1.2016 के बैंकर्स चेक के द्वारा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में ₹ 13,14,21,951 की राशि जमा की। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22.4.2016 को आईटीडीसी की अपील खारिज की गई। अगली कार्रवाई उचित समय पर की जाएगी। मामला लंबित होने के कारण 50 प्रतिशत डिक्री राशि को लाभ और हानि खाते में अपवादात्मक मद में दर्शाया गया है तथा शेष राशि को उपर्युक्त आकस्मिक देयता क(क)(i) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

घ. मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य प्राइवेट एयरपोर्ट प्रचालकों ने 10.9.2004 से विभिन्न स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानों और अशोक एयरपोर्ट रेस्टोरैंट के लिए अपनी लाइसेंस फीस के बिल/रॉयल्टी पर सेवाकर भी शामिल किया है। तथापि, भारत सरकार के तारीख 17.9.2004 को जारी परिपत्र में यह व्यवस्था है कि एयरपोर्ट/सिविल एनक्लेव परिसर के किसी भी भाग को किराए पर देने, पट्टे पर देने का कार्यकलाप सेवा देने में नहीं आता है और इस प्रकार इस संबंध में देय लाइसेंस फीस/रॉयल्टी पर सेवाकर नहीं लगता है। मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ–साथ इस निर्णय के लिए सीस्टेट में अपील दायर की थी कि क्या विभिन्न व्यक्तियों को उनकी व्यवसाय गतिविधियों के लिए विमानपत्तन सिविल परिसर के भीतरी स्थान को किराए/पट्टे पर देने से प्राप्त अपीलकर्ता के राजस्व पर सेवा कर प्रभारित होता है। सीस्टेट ने अपने दिनांक 2.1.2015 के आदेश में कहा है कि उपर्युक्त किराए/पट्टे पर सेवा कर देय है। एएआई ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। आगे, आईटीडीसी द्वारा 2006–07 के दौरान सावधि जमा के रूप में प्रतिभूति जमा के तौर पर ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा उपर्युक्त सेवा कर के रूप में नकदीकरण किया गया। मामले का अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण 10.9.2004 से 31.03.2008 तक ₹ 1,779.49 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,779.49 लाख) की अनुमानित देयता को उपर्युक्त पैरा क(क)(i) में आकस्मिक देयता के रूप में शामिल किया गया है और ₹ 1.61 करोड़ को मैसर्स डायल से प्राप्य राशि के रूप में शामिल किया गया है।

ङ. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) ने चार होटल/खानपान एककों के संबंध में ईएसआई देय राशि के लिए कुल ₹ 803.13 लाख (पिछले वर्ष ₹ 780.92 लाख) की मांग (जिसमें ब्याज, जहाँ लागू हो, शामिल है) की है, जिसके विरुद्ध उक्त प्राधिकरणों के पास निगम ने ₹ 334.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 334.85 लाख) (ऋणों और अग्रिमों में शामिल) (बैंक एकाउन्ट फ्रीज होने के बाद प्राधिकरणों द्वारा वापस लिए गए ₹ 310.09 लाख तथा जमा राशि ₹ 24.76 लाख) जमा किए हुए हैं। इसके विरुद्ध निगम की कर्मचारी राज्य बीमा देयताओं के प्रति ₹ 215.43 लाख (पिछले वर्ष ₹ 215.43 लाख) की देनदारी बनती है। ₹ 587.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 565.49 लाख) के शेष के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है और इस बारे में अंतिम निर्णय होने तक इसे उपर्युक्त क्रम सं. क(क)(i) में आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

च. दिल्ली स्थित तीनों परिसंपत्तियों अर्थात अशोक, सम्राट और जनपथ के संबंध में सम्पत्तिकर के निर्धारण से संबंधित मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन था। कार्यवाही के दौरान एनडीएमसी ने होटल सम्पत्तियों के सम्पत्तिकर के निर्धारण के लिए आधार प्रस्तुत किया, जिस पर आईटीडीसी भी सहमत हो गया। तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने एनडीएमसी को होटलों से देय सम्पत्तिकर को पुनःनिर्धारित करने और मामले में होटलों द्वारा पूर्ण सहयोग का निदेश देते हुए उक्त याचिका का अपने दिनांक 19.10.2010 के आदेश द्वारा निपटान कर दिया। एनडीएमसी ने अपने दिनांक 31.03.2013 के निर्धारण आदेश द्वारा 31.3.2009 तक का नया निर्धारण किया और सम्पत्तिकर के निर्धारण का आधार दिया, जिस पर आईटीडीसी द्वारा सहमति दी गई।

वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एनडीएमसी ने अपने दिनांक 11.02.2016 के आदेश के तहत उपर्युक्त तीनों परिसंपत्तियों का यूनिट एरिया पद्धति से दिनांक 31.3.2013 के आदेश के तहत वर्ष 2008–09 तक निर्धारित आरवी से अधिक दर पर निर्धारण किया है। आईटीडीसी ने यूनिट एरिया पद्धति के अंतर्गत किए गए निर्धारण को चुनौती दी और दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन रिट याचिकाएं प्रस्तुत कीं। यह मामला 8.3.2016 को सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष आया था। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आईटीडीसी द्वारा स्वीकृत कर का भुगतान करने पर एनडीएमसी द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आईटीडीसी 31.03.2013 के आदेश द्वारा निर्धारित अपनी स्वीकृत कर देयता जमा कर चुका है और ₹ 165.91 करोड़ की शेष विवादित राशि को उपर्युक्त क(क)(i) आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन हैं।

सामान्य टिप्पणियां

टिप्पणी – 32

1. कंपनी द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा जमा के अधिकांश मामलों में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों में ग्राहक खातों में शेष, सामान्य बही नियंत्रण खाता शेष के साथ समाधान पर कार्य चल रहा है। इसलिए इस स्तर पर पुष्टिकरण, समाधान और समायोजन प्राप्त करने के लिए खातों पर प्रभाव को तदनसुार समायोजित किया जाएगा।

2. जहां तक निगम का संबंध है, सहायक कम्पनियों की निवल संचित हानि ₹ 3,086.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,690.24 लाख), जिसे कम्पनी के लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है, निम्न प्रकार है :

(लाख ₹ में)

सहायक कम्पनी का नाम	निम्न अवधि तक के लिए	लाभ/हानि का शेयर प्रतिशत	हानि/(लाभ) की संचित राशि
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2015-16	51.00	453.89
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2015-16	51.02	(66.10)
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2015-16	51.00	65.69
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2015-16	51.00	87.55
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड#	2015-16	51.00	8.67
रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#	2015-16	51.00	389.79
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड#@	2015-16	91.54	2,146.66
कुल निवल हानियां			3,086.15
पिछले वर्ष निवल हानियां			2,690.24

शेयरधारिता की प्रतिशतता में कोई परिवर्तन नहीं है।
@ 2003–04 से प्रचालन में नहीं।
 # वार्षिक आम बैठक होनी है।

3. पिछली पद्धति को अपनाते हुए स्टॉक, भंडार, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत प्रारंभिक शेष व खरीद को जोड़कर और लेखाकरण नीति के अनुसार उसमें से मूल्यांकित प्रत्यक्ष मालसूचियों पर आधारित अंतिम शेष को घटाकर निकाली गई है।

4. निगम पर्यटन मंत्रालय के स्वामित्व वाले होटल भरतपुर अशोक और कोसी रेस्टोरैंट का प्रबंध संभालता रहा है और इन एककों के संबंध में लाभ/हानि का लेखाकरण निगम द्वारा संबंधित लाभ व लेखा विवरण की संबंधित टिप्पणी में किया जाता है।

5. कंपनी ने 19 फरवरी, 2002 को मै. मारुति उद्योग लि. के साथ नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट सं. सी–119 पर निर्मित कार्यशाला व डिपो के संबंध में परिसम्पत्ति के किराए से संबंधित सब–लीज को 1 फरवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2011 तक की अवधि के लिए नवीकरण और किराए में वृद्धि की शर्त पर इसे आगे नौ वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए एक करार किया था। करार की शर्तों के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा 9 वर्षों का किराया अग्रिम दिया गया था। लीज की अवधि के दौरान मै. मारुति उद्योग लिमिटेड ने उक्त स्थान पर अतिरिक्त निर्माण कराया, जिसकी प्रक्रिया में किराए पर दी गई कार्यशाला व डिपो के पूरे ढांचे को गिरा दिया गया तथा विलुप्त दिखाया गया, जोकि सब–लीज के करार में शामिल नहीं था। इस कारण 14 जून, 2010 को मारुति उद्योग लि. को 01.07.2010 से स्थल खाली करने का कानूनी नोटिस भेजा गया। अग्रिम किराए की शेष राशि ₹ 25,01,849/– मै. मारुति उद्योग लि. को वापस कर दी गई। तारीख 1.07.2010 को भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा माननीय संपदा अधिकारी के सम्मुख सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत स्थान को खाली कराने व क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी बीच मारुति उद्योग लि. ने भारत पर्यटन विकास निगम के बेदखली तथा क्षतिपूर्ति की वसूली के आवेदन के विरुद्ध एक अपील माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर की, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30.12.2012 को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मैसर्स मारुति सुजूकी के रूप में पुनः नामित मारुति उद्योग लिमिटेड ने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसे 29.4.2013 को खारिज कर दिया गया। एमएसआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एसएलपी फाइल की। इस एसएलपी को 13.9.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और निदेश दिया गया कि संपदा अधिकारी इसका निर्णय करेगा। संपदा अधिकारी ने अपने 24.3.2014 के आदेश में कहा कि संपदा अधिकारी के पास आईटीडीसी द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई का अधिकार है। विवाचक की नियुक्ति हेतु

मै. मारुति उद्योग लि. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य विवाचक याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के संबंध में अपने दिनांक 23.05.2011 के आदेश द्वारा दो विवाचक की नियुक्ति निश्चित निदेशों के साथ की। उक्त आदेश के विरुद्ध आईटीडीसी ने विवाचक कार्यवाही स्थगन की याचना करते हुए याचिका दायर की। माननीय न्यायालय ने अपने 29.09.2011 के आदेश द्वारा 23.5.2011 के आदेश को जारी रखा और उसमें यह संशोधन किया कि विवाचक अधिकरण द्वारा केवल एक मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि क्या आईटीडीसी ने 19.2.2002 की पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है और एमएसआईएल को कोई हानि/उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। शेष मुद्दों का निर्धारण सार्वजनिक परिसर अधिनियिम के तहत किया जाएगा। एमएसआईएल ने 29.9.2011 के आदेश के विरूद्ध एसएलपी दायर की, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6.5.2014 के आदेश द्वारा खारिज किया गया। अब मामला संपदा अधिकारी के विचाराधीन है और मामला न्यायालयीय की कार्यवाही के अधीन लंबित होने के कारण मैसर्स एमएसआईएल द्वारा परिसर खाली नहीं किया गया है।

6. लेखाकरण मानक–7 के अनुसार प्रकटन – निर्माण संविदा :–

(लाख ₹ में)

क) रिपोर्टिंग तिथि तक स्वीकृत राजस्व की कुल राशि	13,494.95
ख) रिपोर्टिंग तिथि तक खर्च हुई कुल लागत	12,284.36
ग) चालू वित वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व	1,400.03
घ) वित वर्ष के दौरान खर्च हुई लागत	1,308.33
ङ) रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त निधियों की कुल राशि	17,790.23
च) रिपोर्टिंग तिथि तक ग्राहकों को देय अग्रिम	3,256.25
छ) रिपोर्टिंग तिथि तक ग्राहकों से प्राप्य अग्रिम	164.10

7. क्षेत्रवार रिपोर्टिंग पर लेखाकरण मानक–17 के अनुसार प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध–क** में दिया गया है।

8. लेखाकरण मानक–18 के अनुसार प्रभावी सीमा तक संबंधित पार्टियों से लेन–देन का प्रकटन निम्नप्रकार है :–

मुख्य प्रबंधकवर्ग कार्मिक :–

1. श्री उमंग नरूला
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   24.04.2015 से आज तक
2. श्री पीयूष तिवारी,
   निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन)
   28.05.2015 से आज तक
3. श्री प्रदीप कुमार दास,
   निदेशक (वित्त)
   25.02.2016 से आज तक
4. श्री गिरीश शंकर,
   अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
   09.12.2014 से 23.04.2015 तक
5. श्री त्रिनाथ बेहरा,
   निदेशक (वित्त)
   26.04.2013 से 30.06.2015 तक

मुख्य प्रबंधकवर्ग कार्मिकों तथा उनके संबंधियों को किए गए भुगतान :–

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पारिश्रमिक	64.21	61.61

9. पट्टा संबंधी लेखाकरण मानक–19 के अनुसरण में प्रकटन :–

निगम की पट्टा व्यवस्था सामान्यतया परिसरों (आवासीय, कार्यालय स्थान और गोदामों आदि) के लिए पट्टों के प्रचालन के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं गैर–निरसन योग्य नहीं हैं और सामान्यतया पारस्परिक सहमत शर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण–योग्य हैं। कुल प्रदत्त/देय पट्टा–किराए को कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ (टिप्पणी–25) तथा प्रचालन व अन्य खर्च (टिप्पणी–27) के अन्तर्गत किराए के रूप में प्रभारित किया जाता है। कुछ होटल एककों में रेस्टोरैंटों और अन्य व्यावसायिक परिसरों के प्रचालन के लिए अन्य पार्टियों के साथ की गई व्यवस्थाएं लाइसेंस आधार पर हैं और वे भी गैर–निरसन योग्य नहीं हैं और सामान्यतया पारस्परिक सहमत शर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण–योग्य हैं।

10. भारत सरकार के निर्णय के अनुसार यह निर्णय लिया

गया कि पर्यटन मंत्रालय कंपनी की होटल संपत्तियां जिनमें सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, की बिक्री/पट्टे के प्रस्ताव की जांच करेगा। यदि होटल परिसंपत्तियां राज्य सरकार की पट्टाधारित भूमि पर स्थित हैं और राज्य पट्टे की अवधि को बढ़ाने का इच्छुक नहीं है, तो यह परिसंपत्ति राज्य सरकार को उसके आधिकारिक मूल्य पर देने की पेशकश की जा सकती है। इस बीच सरकार द्वारा अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठित की गई है जो लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहा है जो परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने, कानूनी सलाह देने, कर्मचारियों के स्थानांतरण/निकासी/अवशोषण, प्रलेखन इत्यादि की संपूर्ण कार्रवाई करेगा।

आज की तिथि को बंद करने के लिए किसी औपचारिक अनुमोदित योजना के अभाव के कारण होटल प्रचालनों को एएस–24 के अंतर्गत कंपनी के सामान्य जारी प्रचालन माना गया है।

इसके अलावा, सहायक कंपनियों सहित होटल परिसम्पत्तियों के विनिवेश/अनावरण की प्रक्रिया चल रही है तथा ऐसा अनुदान है कि सहायक कंपनियों की परिसम्पत्तियों की बिक्री/पट्टे पर देने के प्रस्ताव को पूर्व हो जाने के बाद कम्पनी पूरी गति से अपने निवेशों की वसूली में सक्षम बनेगी, जो इसने इन सहायक कंपनियों में किए हैं और प्रबंधन शुल्क तथा ऋण एवं अग्रिमों आदि के लेखा पर लेखा प्राप्ति योग्य हैं। इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है और ये लेखा वसूलीयोग्य माने गए है।

11. परिसम्पत्तियों की क्षति :

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक–28 – "सम्पत्तियों की क्षति" के अनुसार प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को परिसम्पत्ति की क्षति और हानि, यदि कोई हो, को स्थायी परिसंपत्तियों की क्षति/चल रहे पूंजीगत कार्य में दिखाया जाता है। प्रबंधकवर्ग की राय में 31 मार्च, 2016 को गुलमर्ग स्थित अधूरी होटल परियोजना सहित सक्रिय उपयोग में नहीं आ रही परिसम्पत्तियों, चालू पूंजीगत कार्यों में स्वीकृत क्षति के अलावा इस प्रकार की कोई ऐसी क्षति नहीं है, जिसे दिखाया जाता/जिसके लिए व्यवस्था की जाती।

12. व्यवस्था, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ – लेखाकरण मानक–29–के अनुसरण में प्रकटन :

(लाख ₹ में)

व्यवस्था का नाम	1.4.2015 को शेष	2015–16 के संबंध में वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	2014–15 के संबंध में वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजन	प्रत्यावर्तित/पुनरांकित व्यवस्था	31.3.2016 को अंत शेष
आयकर	950.00	1,230.00	0.00	949.95	0.05	1,230.00
धनकर	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00

13. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन :

क) सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्य :–

(लाख ₹ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	बियर, वाइन और स्पिरिट्स	941.10	557.82
ii)	सिगार और सिगरेट	37.71	17.23
iii)	अन्य वस्तुएं	-	66.99
	जोड़	978.81	642.04

ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :–

(लाख ₹ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	यात्रा	9.18	6.65
ii)	फीस और अभिदान	2.32	3.75
	जोड़	11.50	10.40

ग) विदेशी मुद्रा में आय (प्रत्यक्ष)(प्राप्ति आधार पर) :–

(लाख ₹ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं	529.90	440.51
ii)	शुल्क मुक्त दुकानों पर माल की बिक्री	1,260.31	856.03
iii)	विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ (निवल)	5.27	2.31
	जोड़	1,795.48	1,298.85

(घ) (i) उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु क्षेत्र उद्योग की किसी भी पार्टी को कोई ऐसी राशि, जो एक लाख रुपए से अधिक और 30 दिन की अवधि से अधिक बकाया हो, ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

(ii) भारत सरकार ने "दि माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006" लागू किया। उक्त अधिनियम के अनुसार, निगम को पार्टियों की पहचान करनी है और एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद, यदि नहीं किया है, उन्हें ब्याज का भुगतान करना है। निगम आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ब्याज के लिए देयता निर्धारित नहीं की जा सकी।

(iii) कम्पनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास/पुनरुज्जीवन के लिए उपकर लगाने की व्यवस्था है, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी राजपत्र में यथा–विनिर्दिष्ट कुल कारोबार अथवा सकल प्राप्तियों के 0.005 प्रतिशत से कम, परन्तु 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। चूंकि इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उपकर के लिए व्यवस्था नहीं की गई।

14. प्रबंधकवर्ग की राय में, स्थायी संपत्तियों और गैर–चालू निवेशों को छोड़कर, सामान्य व्यवसाय के दौरान वसूल की गई परिसंपत्तियों की कीमत तुलन–पत्र में उल्लिखित इनके मूल्य से कम नहीं होगी।

15. लेखाकरण नीतियों पर लेखाकरण मानक–1 के अनुसार प्रकटन

वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

क) नीति संख्या–1 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर विचार करते हुए ''लेखाकरण परिपाटी'' को संशोधित किया गया है;

ख) नीति संख्या 9 – उपदान निधि न्यास के प्रकटन के लिए ''उपदान'' को संशोधित किया गया है;

ग) नीति संख्या 17 – प्रकटन के प्रयोजनार्थ ''क्षेत्रवार रिपोर्टिंग'' को जोड़ा गया है;

घ) नीति संख्या 18 – प्रकटन के प्रयोजनार्थ ''नकदी प्रवाह'' को जोड़ा गया है;

उपर्युक्त परिवर्तन वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए किए गए हैं और इसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

16. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी सं. 32 का अनुबंध 'क' (क्रम सं. 7)

कार्यक्षेत्र रिपोर्टिंग – लेखाकरण मानक–17

(लाख ₹ में)

	होटल/रेस्टोरैंट प्रचालन		शुल्क मुक्त दुकान प्रचालन		ट्रैवल्स व टुअर्स प्रचालन		आर्म्स एवं विविध प्रचालन		निर्माण, परामर्शी तथा एसईएल परियोजनाएं		अन्य		कम्पनी के लिए जोड़	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्रारम्भिक प्रकटन (प्रचालन–वार)														
1 कार्यक्षेत्र राजस्व														
क) कुल राजस्व	27,880.35	28,416.39	1,622.70	1,095.61	10,486.79	13,220.17	3,223.30	3,547.80	1,531.39	2,043.07	2,529.94	2,772.18	47,274.48	51,095.22
ख) घटाएं : अंतर कार्यक्षेत्र राजस्व	125.76	25.66			49.93	77.46	529.46	573.12	-	-	-	-	705.15	676.24
ग) बाह्य राजस्व	27,754.59	28,390.73	1,622.70	1,095.61	10,436.86	13,142.71	2,693.84	2,974.68	1,531.39	2,043.07	2,529.94	2,772.18	46,569.33	50,418.98
2 कार्यक्षेत्र परिणाम														
ब्याज, कर व उपरिव्यय से पूर्व लाभ/(हानि)	3,892.26	3,593.21	236.61	170.97	(1,037.42)	141.16	247.64	575.37	(283.92)	(545.15)	765.88	2,792.06	3,821.05	6,727.61
घटाएं : आबंटन–योग्य निगम उपरिव्यय		-		-		-		-		-	(536.50)	(2,812.41)	(536.50)	(2,812.41)
घटाएं : ब्याज	1.99	0.33	-	-	-	-					40.72	19.88	42.71	20.21
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान											1,230.00	950.00	12,30.00	950.00
घटाएं : धनकर के लिए प्रावधान											-	0.79	-	0.79
घटाएं : आस्थगित–कर के लिए प्रावधान											(243.49)	(441.96)	(243.49)	(441.96)
जोड़ें : पिछले वर्ष के पुनरांकित आयकर के लिए प्रावधान											(0.05)	(50.71)	(0.05)	(50.71)
विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ/(हानि)	3,890.27	3,592.88	236.61	170.97	(1,037.42)	141.16	247.64	575.37	(283.92)	(545.15)	(797.79)	(498.35)	2,255.40	3,436.88
3 कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियाँ (चालू परिसम्पत्तियाँ तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ व डब्ल्यूआईपी और निवेश)	16,565.43	17,008.89	948.48	770.41	3,178.21	2,994.31	2,459.90	1,392.09	739.12	1,399.72	33,904.33	34,382.22	57,795.47	57,947.64
4 कार्यक्षेत्र देयताएं	16,038.64	16,434.80	773.10	610.83	1,996.81	2,149.24	2,959.81	2,185.50	7,649.90	9,011.30	(1,542.31)	(1,900.85)	27,875.95	28,490.82
5 अवधि के लिए कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास और परिशोधन	759.90	979.70	1.99	3.24	4.26	11.51	16.40	8.12	0.22	0.60	20.17	23.26	802.94	1,026.43
6 कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियों (मूर्त तथा अमूर्त स्थायी परिसम्पत्तियाँ) को प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान लागत	479.91	531.40	2.48	0.17	3.71	9.07	257.32	1.55	-	1.15	18.46	11.17	761.88	554.51
7 व्यवसाय कार्यक्षेत्र द्वारा मूल्यह्रास तथा परिशोधन को छोड़कर किया गया गैर–नकद व्यय	678.56	1,018.49	(18.17)	22.30	(97.20)	195.70	40.84	25.04	14.75	97.11	(11.24)	27.11	607.54	1,385.74

टिप्पणी : अनुपूरक (भौगोलिक) प्रकटन नहीं दिया गया है, क्योंकि कम्पनी के विदेशों में कोई प्रचालन/कार्यकलाप नहीं हैं।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष		31.3.2015 को समाप्त वर्ष
क प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर–पूर्व लाभ		3,241.86		3,895.00
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	802.94		1,026.43	
स्थायी परिसम्पत्तियों / निवेश के मूल्य में ह्रास	4.20		2.10	
आस्थगित सरकारी अनुदान	(0.75)		(0.35)	
वित्तीय प्रभार	42.71		20.21	
ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	0.08		-	
संदिग्ध ऋणों व पेशगियों के लिए प्रावधान	388.44		596.48	
ब्याज आय	(2,454.85)		(2,538.03)	
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / अग्रिम	7.58		19.13	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	0.05	(1,209.60)	(2.92)	(876.95)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		2,032.26		3,018.05
चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी				
मालसूची	(172.99)		74.76	
व्यापार प्राप्य	812.84		(4,433.56)	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(35.73)		(359.81)	
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	(25.21)		26.64	

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष		31.3.2015 को समाप्त वर्ष
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	20.28		(6.97)	
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	151.15	750.34	(1,027.35)	(5,726.30)
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)				
व्यापार देय	213.11		854.22	
अन्य चालू देयताएँ	(312.78)		(1,506.11)	
अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	(92.04)		179.13	
दीर्घकालिक प्रावधान	(243.56)		(226.70)	
अल्पकालिक प्रावधान	57.34	(377.93)	108.73	(590.73)
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	-	2,404.67	-	(3,298.98)
प्रदत्त आयकर	949.95		350.00	
पूर्व वर्षों के लिए पुनरांकित आयकर	(0.05)	949.90	(50.71)	299.29
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह / (बाहिर्वाह)(क)		(1,454.78)		(3,598.27)
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		(763.12)		(575.19)
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री और समायोजन		0.02		16.92
ब्याज / लाभांश से आय		2,454.85		2,538.03
चालू कार्यों में कमी / (वृद्धि)		(145.12)		(97.27)
निवेश में (वृद्धि) / कमी		-		-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह / (बाहिर्वाह)(ख)		1,546.63		1,887.49

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष		31.3.2015 को समाप्त वर्ष
ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूँजी में वृद्धि		-		-
उधार में वृद्धि / (कमी)		-		-
वित्तीय प्रभार		(42.71)		(20.21)
प्रदत्त धनकर		(0.79)		(0.68)
प्रदत्त लाभांश		(1,715.39)		(428.85)
प्रदत्त लाभांश–कर		(349.21)		(72.88)
आस्थगित सरकारी अनुदान		0.75		0.35
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह / (बाहिर्वाह) (ग)		(2,107.35)		(522.27)
वर्ष के दौरान नकदी और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन		894.05		(2,233.05)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकद समतुल्य*		26,947.33		29,180.38
वर्ष के अंत में नकदी और नकद समतुल्य*		27,841.38		26,947.33

** ब्यौरों के लिए टिप्पणी – 18 देखें।*

सीएसआर के लिए टिप्पणी 27 में पाद टिप्पणी देखें।

(वी के जैन)
कम्पनी सचिव

(ए के जैन)
प्रधान प्रबंधक (वित्त व लेखा)

(प्रदीप कुमार दास)
निदेशक (वित्त)

(उमंग नरूला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउंटैट्स (एफआरएन 00291एन)

(अंशु गुप्ता)
साझीदार
(सदस्यता सं. 077891)

तारीख : 30 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

वर्ष 2015–16 के समेकित लेखे

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों की सेवा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (इसमें इसके बाद ''नियंत्रक कंपनी'' के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर ''समूह'' के रूप में संदर्भित), इसकी सहयोगी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एककों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, लाभ तथा हानि का समेकित विवरण, उसी तारीख को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसमें इसके बाद ''समेकित वित्तीय विवरण'' नाम से उल्लिखित) शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधकवर्ग का दायित्व

नियंत्रक कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के मामलों (''अधिनियम'') के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समूह की सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के समेकित नकदी प्रवाहों की वास्तविक और उचित स्थिति प्राप्त होती है। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड बनाए रखने; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण है, को करने; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव करने, जो लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में थे और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है, के लिए उत्तरदायी है, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा अशुद्धता चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, जिसे ऊपर उल्लिखित नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा के मानकों और मामलों पर ध्यान दिया है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित होता है कि हम नैतिक जरूरतों का पालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि समेकित वित्तीय विवरण मिथ्याकथन से मुक्त होने संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों तथा प्रकटन के विषय में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखापरीक्षक उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए नियंत्रक कंपनी की तैयारी और वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और नियंत्रक कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा संबंधी प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी संगत लेखापरीक्षा राय बनाने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

संगत राय का आधार

(क) *कंपनी को कतिपय सहायक कंपनियों (जिनकी महत्त्वपूर्ण संचित हानियां हैं) से उनको दी गई सेवाओं तथा निधियों (उन पर ब्याज सहित) पर 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 1668.87 लाख (31.03.2015 तक ₹ 1332.57 लाख) देय है। इसके अतिरिक्त, निगम ने उक्त सहायक कंपनियों जिनका 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बही मूल्य ₹ 1,060.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,060.58 लाख) है, में निवेश किया है। प्रबंधकवर्ग ने हमें बताया है कि ये निवेश दीर्घावधिक स्वरूप के हैं और उनके मूल्य में कमी/ह्रास स्थायी नहीं है और यह कि इन कंपनियों की स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का मूलभूत मूल्य देयताओं और निवेश की लागत वसूल करने के लिए काफी है, हालांकि इन कंपनियों में से दो प्रचालनरत नहीं हैं और इन कंपनियों का वर्तमान निवल मूल्य ऋणात्मक है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने भी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की होटल संपत्ति की बिक्री/लीज का प्रस्ताव किया है और इसे देखते हुए कंपनी द्वारा निवेशित राशि और अन्य वसूलीयोग्य राशि की वसूली प्राप्ति में संदेह नहीं है। [भारत पर्यटन विकास निगम के एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 17(1), 14क(1) और 32(10) देखें]।*

(ख) *कंपनी के एकक अशोक होटल, नई दिल्ली ने 31 मार्च, 2015 दिनांक 21 मई, 2015 पैरा 4(iii) को समाप्त अपनी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी निविष्टि सेवाओं पर उनके द्वारा लाभ उठाए गए अत्यधिक सेनवेट क्रेडिट के लिए सेवा कर विभाग को वर्ष के दौरान विभिन्न तिथियों को कुल ₹ 117.04 लाख का भुगतान किया है। तथापि, एकक ने उक्त ₹ 117.04 लाख की राशि पर सेवा कर कानून के प्रावधानों के तहत देय ब्याज को जमा नहीं किया है और खाता बही में उसकी देयता का लेखाकरण नहीं किया है, जिसका निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।*

संगत राय

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संगत राय के पैराग्राफ के लिए आधार पर वर्णित मामले को छोड़कर वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समूह उसके सहयोगी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, उनकी समेकित लाभ और हानि तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित नकदी प्रवाहों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मामले की महत्ता

(क) स्टॉक और भंडार, क्रॉकरी, कटलरी इत्यादि की खपत की राशि आरंभिक शेष वर्ष के दौरान किए गए क्रय में जोड़कर तथा लेखाकरण नीति के अनुसार मूल्यांकित भौतिक मालसूचियों के आधार पर वर्ष के अंत में अंतिम शेष से घटाकर आकलित की गई है और तदनुसार, कंपनी के एककों के वित्तीय विवरणों में उसके खपत में शामिल हानि/कमी/अपव्यय का पृथक प्रभाव अनिर्धारित है (टिप्पणी सं. 32 पैरा 2 देखें)। इस मामले पर हमारी कोई राय नहीं है।

(ख) हम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 22.4.2016 को खारिज किए गए संपत्ति को खाली करने के मामले में कंपनी की अपील के संबंध में टिप्पणी 31 पैरा (ज) की ओर ध्यान आकर्षिक करते हैं तथा कंपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल करने की प्रक्रिया में है और कानूनी राय के अनुसार प्रबंधवर्ग का यह मत है कि अपील द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती दी जाएगी और कंपनी की देयता उसके द्वारा जमा की गई ₹ 1,314.21 लाख की राशि से काफी कम होगी। तथापि, विवेकशील आधार पर, कंपनी ने मामले के अंतिम निर्णय आने तक खाता बही में ₹ 1,314.21 लाख का प्रावधान किया है, डिक्री राशि का 50 प्रतिशत लाभ और हानि विवरण में अपवादात्मक मद में दर्शाया गया है तथा 31.03.2016 तक ब्याज सहित बकाया राशि को आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस मामले में हमारी कोई राय नहीं है।

(ग) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में, असम सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि की पट्टा अवधि 08.07.2016 को समाप्त हो रही है। इस मामले के संबंध में हमारी कोई राय नहीं है (टिप्पणी संख्या 11 देखें)।

(घ) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में, भूमि पट्टा अवधि समाप्ति पर है। इस मामले में हमारी कोई राय नहीं है (टिप्पणी संख्या 11 देखें)।

अन्य मामले

हमने कंपनी की निम्नलिखित सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एककों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2016 को ₹ 2,678.57 लाख की कुल परिसंपत्ति, ₹ 2,257.44 लाख का कुल राजस्व तथा ₹ 180.90 लाख) का निवल नकदी प्रवाह प्रतिबिम्बित करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का ₹ 573.70 लाख निवल हानि का हिस्सा भी शामिल है, जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया गया है, के संबंध में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधकवर्ग द्वारा दी गई है, और हमारी राय में, जहां तक अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के संदर्भ में सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एककों के संबंध में राशि और प्रकटन शामिल करने का मामला है, यह पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में परिसंपत्तियों, राजस्व तथा निवल नकदी प्रवाह के विवरण, जिस सीमा तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए हैं, निम्न प्रकार हैं :

(राशि ₹ में)

कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
सहायक कंपनियां			
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	6,05,55,705.41	7,22,63,122.45	(10,969,364.73)
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	2,72,38,830.19	3,500.00	26,82,951.50
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	4,14,18,046.00	6,99,56,409.00	(22,69,864.00)
रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	3,52,72,633.00	1,47,61,215.00	(25,66,900.00)
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	2,99,59,464.45	3,90,92,299.94	(2,43,360.88)
पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	2,91,28,821.39	0.00	7,88,850.00
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	3,91,23,991.66	2,92,56,871.18	(55,12,373.38)
आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	51,59,537.47	4,11,217.37	-
जोड़	**26,78,57,029.57**	**22,57,44,634.94**	**(18,090,061.49)**

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा निम्नलिखित अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संबंध में उपर्युक्त मामलों में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(i) अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर **''अनुबंध क''** में विवरण दे रहे हैं।

(ii) अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के संबंध में हम, प्रयोज्य होने की सीमा तक, रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने उपर्युक्त संगत राय के लिए आधार के पैराग्राफ में कथित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;

हमारी राय में उपर्युक्त संगत राय के लिए आधार में कथित मामले को छोड़कर, हमारे द्वारा लेखा बहियों की जांच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा यथाअपेक्षित उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में लेखा बहियों को उपयुक्त रूप से रखा है;

(ख) भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के शाखा कार्यालयों के लेखाओं संबंधी शाखा लेखापरीक्षकों और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को बनाने में उचित प्रक्रिया अपनाई है;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण रखी गई संगत *लेखाबहियों और नियंत्रक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की शाखाओं, जिनका हमने दौरा नहीं किया, से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप है;*

(घ) हमारी राय में, **उपर्युक्त संगत राय पैराग्राफ के लिए आधार में कथित मामलों को छोड़कर,** उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है;

(ड.) हमारी राय में, उपर्युक्त संगत राय पैराग्राफ के आधार में कथित मामलों का समूह की कार्यशैली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है;

(च) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 29(ङ) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान इस निगम पर लागू नहीं होते हैं;

(छ) लेखा बहियों को बनाए रखने तथा उससे संबंधित अन्य मामलों संबंधी उपर्युक्त संगत राय पैराग्राफ के आधार पर दी गई है;

(ज) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट **''अनुबंध ख''** में देखें;

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए निम्नलिखित स्पष्टीकरणों के अनुसार हैं;

क) समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट करते हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 देखें;

ख) समूह द्वारा व्युत्पाद संविदाओं सहित कोई भी दीर्घावधिक संविदाएं नहीं की गई थीं, जिनके कारण कोई महत्त्वपूर्ण प्रत्याशित हानि हुई हो; और

ग) नियंत्रक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में ₹ 0.10 लाख की राशि अंतरित की जानी थी, जिसे 9 मई, 2016 को जमा किया गया।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन– 000291एन)

अंशु गुप्ता
(साझीदार)
सदस्यता सं. 077891

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 30 मई, 2016

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का "अनुबंध क"

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली उसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध तथा भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के समेकित खातों पर उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित **अनुबंध "क"** में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) (क) समूह सामान्यतया मात्रात्मक ब्यौरों तथा स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्डों का रखरखाव करता है *सिवाय कुछ एककों/शाखाओं/सहायक कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर जहां मात्रात्मक ब्यौरा, स्थिति इत्यादि के संबंध में रिकार्ड पूर्ण नहीं थे।*

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा वर्ष के अंत में सामान्यतया स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है सिवाय उत्कल अशोक होटल कॉरपोशन लिमिटेड को छोड़कर। *अधिकांश एककों/शाखाओं/सहायक/संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के साथ–साथ मुख्यालय में बहियों तथा वास्तविक शेष का समाधान नहीं किया गया है, अतः विसंगतियों को खाता बहियों में आवश्यक समायोजन के लिए निश्चित नहीं किया गया है।*

(ग) *निम्नलिखित मामलों में अचल संपत्तियों का हक विलेख नियंत्रक कंपनी के नाम में नहीं है:*

क्र. सं.	एकक का नाम	हक विलेख की स्थिति
1	दि अशोक, नई दिल्ली	पट्टा विलेख अशोक होटल्स लिमिटेड के नाम से है, जिसे 28.03.1970 को कंपनी में आमेलित किया गया था और कंपनी के नाम में अंतरित नहीं किया गया है।
2	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	पट्टा विलेख 11.01.2010 को समाप्त हुआ।
3	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	बी. सी. पी. मार्ग स्थित 1.5 एकड़ भूमि बिहार सरकार द्वारा दान की गई थी और इसका हक विलेख नहीं है।
4	एटीटी, दिल्ली	पट्टाधारित भूमि का हक विलेख उपलब्ध नहीं है।
5	सम्राट होटल, नई दिल्ली	पट्टाधारित भूमि (3.195 एकड़) का हक विलेख निष्पादित नहीं किया गया।

ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा सामान्यतया वर्ष में एक बार मालसूचियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। dqN 'kk[kk ys[kkijh{kdksa us crk;k fd lR;kiuds fy, okLrfod lR;kiu fjiksVZ miyC/kugha FkhA

lewg lkekU;r;k *मालसूची का उचित रिकार्ड का रखरखाव करता है लेकिन अंतिम मालसूची वास्तविक रूप से उपलब्ध मालसूची के आधार पर खाता बहियों में दर्ज की जाती है और वास्तविक कमी/हानि/अपव्यय को दर्ज नहीं किया जाता है।*

iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों अथवा अन्य पक्षों को कोई ऋण, रक्षित अथवा अरक्षित नहीं दिया है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 का खंड 3(iii)(क)(ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों के संदर्भ में जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकृत नहीं की है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश और कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

vii) (क) हमारी राय में कंपनी सामान्यतया नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों में अविवादित सांविधिक देयक जमा कर रही है। इन देयों में भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयक शामिल हैं। यदि जमा नहीं किया गया है *तो संबंधित वर्ष की अंतिम तिथि को देय बकाया सांविधिक देयकों की बकाया राशि उस तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए देय होगी, जो इस प्रकार है :*

सहायक एकक/ संयुक्त उद्यम का नाम	देयकों का स्वरूप	राशि (लाख ₹ में)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है
अशोक आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन संस्थान	ईपीएफ	0.21	छः माह से अधिक
विज्ञान भवन	ईएसआई	4.78	छः माह से अधिक
हैदराबाद हाउस	ईएसआई	1.71	छः माह से अधिक
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	मूल्यवर्धित कर	15.05	छः माह से अधिक
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सामान्य बिक्री कर	1.18	छः माह से अधिक
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	व्यय कर	2.89	छः माह से अधिक
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	विलासिता कर	2.21	छः माह से अधिक
रांची अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	बिक्री कर	0.77	छः माह से अधिक
रांची अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	विलासिता कर	0.02	छः माह से अधिक

(ख) उपकर, आयकर अथवा बिक्री कर अथवा धन कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क

अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्यवर्धित कर के देय निम्नलिखित विवाद की स्थिति में जमा नहीं किए गए हैं :

एकक का नाम	देयं का प्रकार	राशि (लाख ₹ में)	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	मंच, जहां विवाद लंबित है
होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	बिहार वैट	3.09	पूर्व वर्ष	जेसीसीटी, पटना
अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग	सीमा शुल्क	18,478.67	2004–05	सीस्टैट
अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग	सीमा शुल्क	42.17	2003	विवाद समिति
अशोक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग	बिक्री/वैट	2,465.62	1995–08	आयुक्त अपील
अशोक समारोह	सेवा कर	39.65	2006–09	अपर सेवा कर आयुक्त
कलिंग अशोक	उत्पाद शुल्क	13.33	2002–03	उच्च न्यायालय, ओडिशा
कलिंग अशोक	सेवा कर	52.91	पूर्व वर्ष	अपर महानिदेशक डीजीसीईआई, कोलकाता
ताज रेस्टोरैंट	व्यापार कर	0.50	30.09.2002	वैट विभाग
ताज रेस्टोरैंट	व्यापार कर	0.79	12.02.2003	वैट विभाग
होटल अशोक	सेवा कर	701.93	पूर्व वर्ष	सीस्टैट, दिल्ली
एलएमपीएच	सेवा कर	16.48	29.03.2016	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैसूर
असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड	सेवा कर, ब्याज और दंड	89.96	उल्लेख नहीं	सीस्टैट, कोलकाता
मध्य प्रदेश अशोक कारपोरेशन लिमिटेड	सेवा कर	5.59	2008–09 से 2012–13	सीस्टैट, नई दिल्ली
मध्य प्रदेश अशोक कारपोरेशन लिमिटेड	विलासिता कर	1.38	2004–05	कोई मंच नहीं, विवाद वाणिज्यिक कर विभाग के साथ
मध्य प्रदेश अशोक कारपोरेशन लिमिटेड	सेवा कर	0.17	2013–14	आयुक्त (अपील)

viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह ने वित्त वर्ष के अंत तक किसी वित्तीय संस्था, बैंक से ऋण नहीं लिया है अथवा डिबेंचर जारी नहीं किए हैं *सिवाय असम अशोक होटल कारपोरेशन को छोड़कर, जिसके बकाया का ब्यौरा इस प्रकार है :*

विवरण	राशि (₹ लाख में)
असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	90.00
ऋण पर ब्याज	195.44
दांडिक ब्याज	40.39
अतिरिक्त ब्याज	40.87
जोड़	**366.70**

ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा बाद की सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के जरिए धन नहीं जुटाया गया और न किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से कोई सावधि ऋण लिया गया है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(ix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान समूह द्वारा अथवा समूह के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई अथवा उसकी सूचना नहीं है।

xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं। अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xii) समूह की कोई निधि कंपनी नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार किए गए हैं और जहां भी लागू हो, लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित समेकित वित्तीय विवरणों में ब्यौरे का प्रकटन किया गया है।

xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अथवा शेयरों का अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आबंटन निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाएं उस पर लागू नहीं है; इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों

के साथ कोई नकदी–भिन्न लेनदेन नहीं किया है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है, अतः कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन– 000291एन)

ह./–
अशु गुप्ता
(साझीदार)
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 30 मई, 2016
सदस्यता सं. 077891

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत में निगमित उसकी सहायक, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–ख''

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (यहां ''नियंत्रक कंपनी'' के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और उसकी सहायक कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को ''समूह'' के रूप में संदर्भित किया गया है), उसकी सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकवर्ग का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कंपनी तथा भारत में निगमित उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देश टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मापदंड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो उसके कार्य जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी अथवा चूक की रोकथाम और जांच, लेखाकरण रिकार्डों की सटीकता और संपूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शमिल है, के व्यवस्थित और कार्यक्षम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से प्रचालित थे, का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के शाखा लेखापरीक्षकों तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश टिप्पणी और लेखाकरण मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निहित नियमों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं, के अनुसार की है। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकता का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार करें, जिससे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए और बनाए रखे गए तथा ये नियंत्रण सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन कार्यविधियां शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का निर्धारण करना कि तात्विक कमियां व्याप्त हैं

तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की जांच करना तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित कार्यविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय जिसमें वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, के जोखिम का निर्धारण शामिल है, पर निर्भर हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त हुए लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग को तैयार करने के संबंध उचित आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं और कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा निपटान में उचित ब्यौरे अचूक और सही ढंग से प्रतिबिम्बित होते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेनदेनों को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को कंपनी के प्रबंधकवर्ग और निदेशकों के प्राधिकार से ही किया जाता है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिनमें सांठगांठ अथवा नियंत्रणों के विरूद्ध अनुचित प्रबंधन के कारण चूक अथवा धोखाधड़ी से तात्विक मिथ्याकथन आ सकता है, और उसका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या कार्यविधियों की अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी तथा भारत में निगमित उसकी सहायक, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में सामान्यतया सभी महत्त्वपूर्ण संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ये "वित्तीय नियंत्रण आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण के मापदंड" के आधार पर, 31 मार्च, 2016 को प्रभावी रूप से प्रचालन में थे।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन– 000291एन)

ह./–
अंशु गुप्ता
(साझीदार)
सदस्यता सं. 077891

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 30 मई, 2016

दिनांक 30.05.2016 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुशेष

सेवा में
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट :
अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1ए. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (5) के अंतर्गत यथाअपेक्षित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जांच क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जारी निदेशों के अनुपालन संबंधी हमारी रिपोर्ट **"अनुबंध–क 1"** में दी गई है।

कृते किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स
(एफआरएन– 000291एन)

ह./–
अंशु गुप्ता
(साझीदार)
सदस्यता सं. 077891

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 19.07.2015

अनुबंध क–1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निदेशों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण) की रिपोर्ट

क्र सं.	निदेश	टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित भूमि के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टाधारण का क्षेत्र बताएं, जिसके लिए हक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास निम्नलिखित मामलों को छोड़कर पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित भूमि के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है : **क्र.सं. एकक का नाम अभ्युक्तियां** 1 दि अशोक अशोक होटल की भूमि के संबंध में पट्टा विलेख भूतपूर्व अशोक होटल लिमिटेड के नाम से दर्ज किया गया था, इसका 28 मार्च, 1970 को निगम में विलय किया गया। शामिल क्षेत्र 21.155 एकड़ है।

	2	होटल सम्राट	हक विलेख का निष्पादन नहीं किया गया। शामिल क्षेत्र 15929.762 वर्गमीटर है।
	3	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	यह भूमि बिहार सरकार द्वारा दान में दी गई थी और इसका हक विलेख नहीं है। शामिल क्षेत्र 1.5 एकड़ है।
	4	होटल जम्मू	पट्टा विलेख 11.01.2010 को समाप्त हो गया।
	5	एटीटी, दिल्ली	पट्टाधारण भूमि का हक विलेख उपलब्ध नहीं है। शामिल क्षेत्र 8566 वर्ग गज।
2.	क्या ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि माफ किए जाने/ बट्टे खाते डालने के मामले हैं? यदि हां, तो इसके कारण और कुल शामिल राशि।	लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मामलों को छोड़कर/ऋण/ उधार/ ब्याज इत्यादि के माफ किए जाने/बट्टे खाते डालने का कोई मामला नजर नहीं आया : क) होटल जनपथ में ₹ 7,01,047.32 का कुल ऋण और व्यक्तिगत मामले तथा ₹ 25,000/– से कम बकाया था और लंबी अवधि से प्राप्य नहीं हुआ, को इस प्रयोजनार्थ गठित समिति, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, की सिफारिशों के अनुसार बट्टे खाते डाला गया। ख) एटीटी, दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक पुराने और अप्राप्य ऋणों को इस प्रयोजनार्थ गठित समिति, जिसे बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया, की सिफारिशों पर बट्टे खाते डाला गया। इस संबंध में वित्तीय निहितार्थ ₹ 49,050.79/– (दो) और व्यक्तिगत मामलों में ₹ 40,000/– से कम है।	
3.	क्या तीसरे पक्ष के पास रखी गई मालसूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे गए हैं?	प्रबंधकवर्ग द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी तीसरे पक्ष के पास मालसूचियां नहीं हैं तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है सिवाय होटल अशोक, दिल्ली को छोड़कर, – वाइन, बीयर और पेय की मालसूची पट्टे पर दिए गए रेस्टोरैंट के पास रखी है, जिसके लिए एकक द्वारा उचित रिकार्डों को रखा गया है।	

31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन–पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण		टिप्पणी		31.3.2016 को	31.3.2015 को
I.	ईक्विटी एवं देयताएँ				
	1. शेयरधारकों की निधि				
	शेयर पूंजी	2		8,576.94	8,576.94
	आरक्षित निधि और अधिशेष	3		21,610.75	21,374.37
	शेयर वारंटों पर प्राप्त धन			-	-
	आस्थगित सरकारी अनुदान			5.32	6.83
	2. अल्पसंख्यक हित			275.75	304.81
	3. गैर–चालू देयताएं				
	दीर्घकालिक उधार	4	360.84		351.74
	अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	6	725.72		765.08
	दीर्घकालिक प्रावधान	7	4,257.72		4,494.81
				5,344.28	
	4. चालू देयताएं				
	अल्पकालिक उधार	8	63.85		26.50
	व्यापार देय	9	5,769.57		5,557.36
	अन्य चालू देयताएँ	10	15,782.81		16,130.33
	अल्पकालिक प्रावधान	7	3,560.87		3,762.94
				25,177.10	
	जोड़			60,990.14	61,351.71
II.	परिसंपत्तियाँ				
	1. गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
	स्थायी परिसंपत्तियाँ				
	सक्रिय प्रयोग में मूर्त परिसंपत्तियाँ	11	5,092.99		5,139.90
	मूर्त परिसंपत्तियाँ, जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं	11क	10.55		11.86
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12	4.12		8.30
	चालू पूंजीगत कार्य	12क	811.82		663.93
	गैर–चालू निवेश	13	-		-
	आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5	3,360.68		3,105.98
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	14	367.22		397.96
	अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	15	94.98		69.75
				9,742.36	
	2. चालू परिसंपत्तियाँ				
	मालसूची	16	1,456.36		1,281.00
	व्यापार प्राप्य	17	10,856.19		12,039.43
	नकद एवं नकद समतुल्य	18	28,423.29		27,707.14
	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	14A	8,725.39		9,167.58
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	1,786.55		1,758.88
				51,247.78	
	जोड़			60,990.14	61,351.71
	लेखाओं पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1			

टिप्पणी सं. 1 से 32 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

(वी के जैन)	(ए के जैन)	(प्रदीप कुमार दास)	(उमंग नरूला)	इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कम्पनी सचिव	प्रधान प्रबंधक (वित्त व लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कृते, मैसर्स किशोर एंड किशोर चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एफआरएन 00291एन)

तारीख : 30 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

(अंशु गुप्ता)
साझीदार
(सदस्यता सं. 077891)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि विवरण

(लाख ₹ में)

	विवरण	टिप्पणी		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
	राजस्व				
I.	प्रचालन से राजस्व	20			
	उत्पादों की बिक्री		10,785.10		11,434.93
	सेवाओं की बिक्री		34,945.01		37,604.61
	अन्य प्रचालन राजस्व		177.69		176.28
				45,907.80	
II.	अन्य आय	21		2,898.14	3,243.13
III.	कुल राजस्व (I+II)			48,805.94	52,458.95
	व्यय				
	उपभुक्त सामग्री एवं प्रदत्त सेवाओं की लागत	22		6,091.67	6,467.80
	व्यापार–भंडार की खरीद	23		1,005.19	1,680.88
	तैयार माल एवं व्यापार–भंडार की मालसूची में परिवर्तन	24		(180.51)	27.45
	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	25		14,539.89	15,030.96
	वित्त लागत	26		65.43	41.88
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	11व12	890.69		1,127.95
	घटाएं : परियोजनाओं से संबंधित व्यय		(0.19)		1.31
				890.50	
	प्रचालन व्यय एवं अन्य व्यय	27		22,678.39	24,633.07
IV.	कुल व्यय			45,090.56	49,011.30
V.	अपवादात्मक, असाधारण मदों एवं पूर्व–अवधि समायोजन के पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)			3,715.38	3,447.65
VI.	अपवादात्मक मदें	28		794.44	(418.77)
VII.	असाधारण मदों एवं पूर्व–अवधि समायोजन के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)			2,920.94	3,866.42
	पूर्व–अवधि समायोजन	29			
	पूर्व–अवधि आय		(8.10)		(10.77)
	पूर्व–अवधि व्यय/समायोजन		175.34		237.00
				(183.44)	
VIII.	असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि)			2,737.50	3,618.65
IX.	असाधारण मदें			-	-
X.	कर से पूर्व लाभ/(हानि)(पीबीटी) (VIII-IX)			2,737.50	3,618.65
XI.	प्रचालन जारी रखने के कर व्यय				
	चालू–कर (आयकर)		(1,238.09)		(966.96)
	पुनरांकित कर (पिछले वर्ष)		1.65		52.91
	चालू कर (धनकर)		-		(0.79)
	मैट क्रेडिट हकदारी		-		-
	आस्थगित–कर	5	254.70		466.00
				(981.74)	
XII.	प्रचालन जारी रखने से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (X-XI)			1,755.76	3,169.81
XIII.	प्रचालन बंद करने से लाभ/(हानि)			-	-
XIV.	प्रचालन बंद करने से कर–व्यय			-	-
XV.	प्रचालन बंद करने से लाभ/(हानि)(कर के बाद) (XIII-XIV)			-	-
XVI.	अवधि के लिए लाभ/(हानि)(कर के बाद लाभ (पीएटी)] (XII+XV)			1,755.76	3,169.81
	घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज को देय लाभ/(हानि)			(29.06)	(15.38)
	विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि			1,784.82	3,185.19
XVII.	आय प्रति ईक्विटी शेयर ₹ में	30		2.08	3.71
	(1) बेसिक एवं				
	(2) डाइल्यूटेड				
	लेखाओं पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1			

टिप्पणी सं. 1 से 32 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

(वी के जैन)
कम्पनी सचिव

(ए के जैन)
प्रधान प्रबंधक

(प्रदीप कुमार दास)
निदेशक (वित्त)

(उमंग नरूला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते, मैसर्स किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स (एफआरएन 00291एन)

(अंशु गुप्ता)
साझीदार
(सदस्यता सं. 077891)

तारीख : 30 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणी – 1

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. समेकन का आधार

1.1 समेकित वित्तीय विवरण आईटीडीसी लिमिटेड (कम्पनी), इसकी सात सहायक कंपनियों तथा एक संयुक्त उद्यमों में हितों से संबंधित हैं।

क) लेखाकरण का आधार

i) समेकन में सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि में बनाए गए हैं, जिसमें कम्पनी के बनाए गए हैं।

ii) समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के लेखाकरण मानक (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' तथा लेखाकरण मानक (एएस) 27– 'संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' की आवश्यकताओं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ख) समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए हैं :

i) कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण, अन्तर–समूह शेष, अन्तर–समूह लेन–देन, वसूले नहीं गए लाभ अथवा हानि को हटाकर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं खर्च जैसी मदों के खाता–मूल्य को जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति संयोजित किए गए हैं तथा अल्प हितों को अलग से दर्शाया गया है।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों में कम्पनी के हित शामिल हैं, जिनका परिकलन लेखाकरण एवं रिपोर्टिंग के यथानुपातिक समेकन प्रणाली का प्रयोग करके किया गया है, जहां पर संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय एवं खर्च में कम्पनी के हिस्से को अलग मद के रूप में माना गया है।

iii) समेकित वित्तीय विवरणों को समान स्थितियों में समान लेन–देन तथा अन्य घटनाओं हेतु समान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग करके तैयार किया गया है तथा यथासंभव लेखाओं पर टिप्पणियों में किए गए उल्लेखों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों की तरह ही प्रस्तुत किया गया है।

1.2 आईटीडीसी के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए शामिल की गई सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों की सूची निम्नप्रकार है :

सहायक कम्पनी का नाम	लाभ/हानि का शेयर प्रतिशत
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	51.00
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	51.02
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	51.00
पॉडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	51.00
पंजाब अशोक होटल कम्पनी लि.	51.00
रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	51.00
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	91.54
संयुक्त उद्यम का नाम	**लाभ/हानि का शेयर प्रतिशत**
आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लि.*	50.00

**संयुक्त उद्यम आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।*
उपर्युक्त सभी कंपनियां भारत में निगमित हैं।
हिस्सेदारी के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं है।

1.3 समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम निकाय अर्थात् आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कम्पनी के हित शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय एवं खर्च में कम्पनी का शेयर निम्नप्रकार है :

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
स्थायी परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
चालू परिसंपत्तियां	51,59,537.47	47,80,938.60
चालू देयताएं	2,43,14,382.90	2,90,45,321.50
प्रावधान – आयकर	1,24,176.00	1,17,353.50
संचित हानि	2,40,36,694.03	2,45,76,504.90
आय	4,11,217.37	4,03,028.50
व्यय – प्रचालनगत तथा अन्य	9,352.50	23,553.00
पूर्व–अवधि व्यय	शून्य	शून्य
कर से पहले लाभ/(हानि)	4,01,864.87	3,79,475.50
कर के बाद निवल लाभ/(हानि)	2,77,688.87	2,62,122.00

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1) लेखाकरण परिपाटी

विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानदंडों एवं कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) एवं अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों का अनुपालन करते हैं।

2) अनुमानों का उपयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधकवर्ग के लिए यह अपेक्षित है कि कुछ ऐसी मदों के संबंध में अनुमान और पूर्वानुमान तैयार करें, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसम्पत्तियों और देयताओं की उल्लिखित राशियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय और खर्च की उल्लिखित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम/निष्कर्ष अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन उस अवधि में प्रत्याशित रूप से स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में ऐसे परिणामों को मूर्त रूप दिया जाता है।

3) विवादित आयकर और बिक्रीकर मांगें

पूरे किए जा चुके निर्धारणों के संबंध में विवादित आयकर और बिक्रीकर मांगों, जिनके विरुद्ध अपील दायर की गई है, को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है और निपटान के वर्ष में लेखाओं में प्रभारित किया जाता है।

4) स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसम्पत्तियां

i) स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर और जहाँ लागू हो, ''सहायता अनुदान'' को घटाने के संचित मूल्यह्रास/परिशोधन पर किया जाता है।

ii) सक्रिय उपयोग में नहीं लाई जा रहीं और निपटान के लिए रखी गई स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य–निर्धारण खाता–मूल्य और/अथवा निवल वसूली–योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है। निर्धारित हानि, यदि कोई है, को लाभ व हानि विवरण में दिखाया जाता है।

iii) जिन मामलों में ठेकेदार/आपूर्तिकर्त्ता के अंतिम बिलों की प्राप्ति/संवीक्षा, अतिरिक्त मदों तथा कीमत वृद्धि आदि के लिए देय दरों के संबंध में समझौता लम्बित है, उन मामलों का पूँजीकरण अनंतिम रूप से परियोजना इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित पूरे किए गए वास्तविक कार्यों के आधार पर किया जाता है। यदि कोई अंतर है, तो उसका लेखाकरण उस वर्ष में करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिस वर्ष में अन्तिम बिलों का निपटान होता है।

iv) अमूर्त परिसम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर) का मूल्यांकन उनके अर्जन की लागत पर किया जाता है।

ख) मूल्यह्रास

i) मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था यथानुपातिक आधार पर ''परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर सरल रेखा पद्धति का पालन करते हुए निम्न उपयोगी अवधि पर की जाती है।

क्रम	विवरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार उपयोगी अवधि (वर्षों के लिए)		सरल रेखा पद्धति प्रतिशतता दरें	
		होटल	गैर–होटल	होटल	गैर–होटल
1.	आरसीसी ढांचा संरचना सहित भवन	60	60	1.58	1.58
2.	गैर–आरसीसी ढांचा संरचना सहित भवन	30	30	3.17	3.17
3.	बाड़, कूआं, नलकूप	5	5	19.00	19.00
4.	बागबानी और भूदृश्य–निर्माण	3	3	31.67	31.67
5.	संपर्क सड़क – आरसीसी आच्छादित सड़क	10	10	9.50	9.50
6.	संपर्क सड़क – आरसीसी के बिना आच्छादित सड़क	5	5	19.00	19.00
7.	संपर्क सड़क – गैर–आच्छादित सड़क	3	3	31.67	31.67
8.	संयंत्र और मशीनरी	7.5	15	12.67	6.33
9.	लिफ्टें	7.5	15	12.67	6.33
10.	रसोई उपकरण	7.5	15	12.67	6.33
11.	ध्वनि प्रणाली और वाद्य यंत्र	7.5	15	12.67	6.33
12.	सेनीटरी संस्थापनाएं	7.5	15	12.67	6.33
13.	एयरकंडीनशर (संयंत्र और विंडो दोनों), कूलर एवं रेफ्रिजेरेटर	7.5	15	12.67	6.33
14.	विद्युत संस्थापनाएं	10	10	9.50	9.50
15.	कार्यालय और विविध उपकरण	5	5	19.00	19.00
16.	कम्प्यूटर (एंड यूजर डिवाइस डेस्कटॉप, लैपटॉप)	3	3	31.67	31.67
17.	कम्प्यूटर सर्वर और नेटवर्क	6	6	15.83	15.83
18.	फर्नीचर, फिक्सचर्स व फर्निशिंग	8	10	11.88	9.50
19.	वाहन (मोटर साइकिल और स्कूटर)	10	10	9.50	9.50
20.	किराए पर चलने वाले परिवहन वाहन	–	6	–	15.83
21.	किराए पर चलने वालों के अलावा अन्य वाहन	8	8	11.88	11.88
22.	पट्टाधारित भूमि का पट्टे की अवधि में परिशोधन				

ii) अमूर्त परिसम्पत्तियों (सॉफ्टवेयर) पर लागत का परिशोधन उसके वैधानिक उपयोग की समय सीमा अथवा 3 वर्ष, जो भी पहले हो, में किया जाता है।

5) निवेश

दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दिखाया जाता है। अस्थायी प्रकृति के निवेशों को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

6) मालसूचियों का मूल्य–निर्धारण

पास में और प्रयोग में लाए जा रहे स्टॉक तथा भंडार, जिनमें क्रॉकरी, कटलरी, काँच के बर्तन तथा लिनन आदि का स्टॉक शामिल है, का मूल्य–निर्धारण लागत एफआईएफओ आधार पर अथवा वसूली–योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7) ग्राहकों के लिए परियोजनाओं का निष्पादन

i) निष्पादित परियोजना, जिसमें कॉस्ट प्लस/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन कार्य शामिल हैं, के संबंध में किए गए कार्य का मूल्य लेखाओं में ग्राहकों द्वारा संभावित अस्वीकृति, यदि कोई हो, के लिए कटौती के बाद प्रबंधकवर्ग द्वारा उत्कृष्ट अनुमानों पर दिखाया जाता है।

ii) अप्रत्यक्ष लागत को 'अवधि लागत' माना जाता है और जिस वर्ष यह होती है, उसी वर्ष में लाभ व हानि लेखे में प्रभारित की जाती है।

8) व्यवस्थाएं, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

i) जिन व्यवस्थाओं में माप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा शामिल होती है, उन्हें तभी स्वीकार किया जाता है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का निर्गम होगा।

ii) जहाँ पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप संभव देयता हो, किन्तु संसाधनों के निर्गम की संभावना न हो, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, किन्तु टिप्पणियों में आकस्मिक देयताएं के रुप मे उपयुक्त प्रकटन किया जाता है।

iii) आकस्मिक देयताओं को प्रबंधकवर्ग/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को संशोधित किया जाता है तथा चालू प्रबंधन अनुमानों में दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ वित्तीय विवरणों में न स्वीकार की जाती हैं और न ही दिखाई जाती हैं।

9) कर्मचारी हितलाभ

क) भविष्य निधि

भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

ख) उपदान

कंपनी की उपदान देयता का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोग करके वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकन द्वारा किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान देयता एक पृथक न्यास के माध्यम से प्रशासित निधि को अंतरित किया जाता है।

ग) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

10) आस्थगित कराधान

i) वर्ष के दौरान आस्थगित–कर की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए लेखाकरण मानक (एएस–22) के अनुसार वित्त रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए तुलन–पत्र की तारीख को परिसम्पत्तियों व देयताओं के कर–आधारों तथा उनकी राशियों के बीच सभी अस्थायी अंतरों पर देयता विधि का प्रयोग किया जाता है।

ii) आस्थगित–कर परिसम्पत्ति, विवेकपूर्ण विचार करते हुए केवल उस सीमा तक स्वीकृत की जाती है, जिस सीमा तक इस बात की

उचित निश्चिंतता हो कि पर्याप्त कर–योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित–कर परिसम्पत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। उन स्थितियों में, जहाँ कम्पनी का कोई अन–अवशोषित मूल्यह्रास अथवा आगे ले जाई गई कर–हानि है, आस्थगित–कर परिसम्पत्तियों को तभी स्वीकार किया जाता है, जब विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा वस्तुतः यह निश्चिंतता हो कि आगामी कर–योग्य लाभ के विरुद्ध उनकी वसूली की जा सकेगी।

iii) आस्थगित कर–परिसम्पत्ति व देयता उन दरों पर मापी जाती है, जिनके उस अवधि पर लागू होने की अपेक्षा होती है, जब परिसम्पत्ति प्राप्त होती है अथवा देयता का निपटान कर–दरों (और कर नियमों) के आधार पर किया जाता है, जिन्हें तुलन–पत्र की तारीख को विधिक अथवा पर्याप्त रूप से विधिक बना दिया गया है।

11) सरकारी अनुदान

i) परिसम्पत्तियों के उन्नयन के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को उस वर्ष से आय माना जाता है, जिस वर्ष में संबंधित परिसम्पत्ति का उन्नयन किया जाता है और अनुदान संबद्ध लागत की सीमा तक राजस्व खर्च अर्थात् प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास के रूप में बट्टे खाते डाला जाता है।

ii) सरकारी अनुदान की जितनी शेष राशि को वर्ष के अंत में समायोजित नहीं किया जाता है, उसे वित्तीय विवरणों में 'आरक्षित निधि व अधिशेष' के बाद 'आस्थगित सरकारी अनुदान' के रूप में दिखाया जाता है।

12) राजस्व स्वीकृति

i) परियोजनाओं से आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता प्रणाली के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें कॉस्ट प्लस/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन कार्य शामिल हैं। इस विधि के अनुसार, निष्पादित की जा रही परियोजना की कुल अनुमानित लागत के विरुद्ध खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुपात में राजस्व को स्वीकार किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण में अनुमान तैयार करना शामिल है, जिनमें से कुछ तकनीकी प्रकृति के हैं और, जहाँ संगत हो, पूरा होने की प्रतिशतता, पूरा होने की लागत (अस्वीकृति की लागत सहित), अनुमानित राजस्व आदि से संबद्ध हैं।

ii) परियोजनाओं/लाइसेंस फीस/प्रबंधन फीस के संबंध में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय की गणना (सेवाकर को छोड़कर) करार की शर्तों के अनुसार की जाती है। तथापि, जहाँ पर्याप्त अवधि के लिए ऐसे सेवा प्रभार/फीस की नकद वसूली नहीं होती है, वहाँ उसका प्रोद्भवन पावती पर गणना के लिए स्थगित किया जाता है।

iii) बिक्री से राजस्व (आय और छूट का निवल) पर्याप्त जोखिमों और ग्राहकों को इनामों के अंतरण पर स्वीकार किया जाता है। बिक्रीकर और मूल्यवर्धित–कर को शामिल नहीं किया जाता है।

iv) प्रबंधन फीस आय/सहायक कम्पनियों से कर्जे और पेशगियों पर ब्याज, जिसकी गणना ऊपर (ii) में उल्लिखित उन कम्पनियों में धन की समस्या के कारण प्राप्ति आधार पर अथवा कर–कटौती प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर की जाती है, जिनसे अन्यथा ब्याज से आय और निवेशों से आय की गणना क्रमशः संविदागत दरों पर और/अथवा प्राप्ति के अधिकार के प्रमाणन के समय उपचित आधार पर की जाती है।

v) लाइसेंसधारकों से वसूलीयोग्य अतिदेय राशियों पर ब्याज/क्षति का परिकलन वसूली आधार पर किया जाता है।

13) विदेशी मुद्रा कारबार

क) विदेशी मुद्रा में कारबार

i) आरम्भिक मान्यता

विदेशी मुद्रा कारबार को कारबार की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय–दर से

गणना करके रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है।

ii) परिवर्तन

विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम दरों का प्रयोग करके की जाती है। गैर–आर्थिक मदों, जिन्हें विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लाया जाता है, को कारबार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iii) मुद्रा विनिमय अंतर

आर्थिक मदों के निपटान अथवा कम्पनी की आर्थिक मदों की रिकॉर्डिंग/रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान मूल रूप से रिकॉर्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर होने के परिणामस्वरूप आए विनिमय अंतर को, उस वर्ष में आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत से बाहर अर्जित स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित देयताओं पर मुद्रा–विनिमय अंतर को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है।

ख) मुद्रा विनिमय व्यवसाय

i) अवधि के दौरान हुए कारबार को वसूली गई वास्तविक दर के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।

ii) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा शेष को वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) लेखाओं में दिखाए गए मुद्रा विनिमय व्यवसाय से प्राप्त आय मुद्रा की बिक्री की लागत का निवल है।

14) उधार लागत

i) उधार लागत, यदि कोई है, जो अर्हक परिसम्पत्तियों के अर्जन/निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है।

ii) अन्य उधार लागत को उसी वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाता है, जिस वर्ष में वह हुई है।

15) पूर्व–अवधि/असाधारण मदें

i) सभी पूर्व–अवधि मदों, जो महत्वपूर्ण हैं और पूर्व–अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई 'भूल–चूक' के परिणामस्वरूप चालू अवधि में सामने आई हैं, को लाभ व हानि लेखे के वर्तमान विवरण में अलग से दिखाया गया है। तथापि, पूर्व अवधि में 'अधिक अथवा कम अनुमान' के कारण वास्तविक आय/व्यय में होने वाले अंतर को पूर्व–अवधि आय/व्यय के रूप में नहीं माना जाता है।

ii) सभी असाधारण मदों अर्थात् लाभ अथवा हानियाँ, जो ऐसी घटनाओं अथवा कारबार से होती हैं, जो कम्पनी की सामान्य गतिविधियों से भिन्न हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, को अलग से लेखा–विवरण में दिखाया जाता है।

16) दावे

बीमा दावों सहित पूरक दावों को स्वीकृति/प्राप्ति के आधार पर लेखाओं में दिखाया जाता है।

17) क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

क्षेत्रवार राजस्व, क्षेत्रवार व्यय, क्षेत्रवार परिसंपत्तियां और क्षेत्रवार देयताएं उन क्षेत्रवारों की क्षेत्र प्रचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर चिह्नित की जाती हैं। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो समग्र रूप से कंपनी से संबंधित हैं और पर्याप्त आधार पर क्षेत्रवारों को आबंटन योग्य नहीं हैं, को अन्य राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

18) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण ''नकदी प्रवाह विवरण'' संबंधी लेखाकरण मानक (एएस)–3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

शेयर पूंजी

टिप्पणी – 2

प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रति शेयर सममूल्य

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 15,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 15,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	15,000.00
जारी एवं अभिदत्त शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर)	8,576.94	8,576.94
	8,576.94	8,576.94
प्रदत्त शेयर पूँजी		
₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10–10 के 8,57,69,400 ईक्विटी शेयर)	8,576.94	8,576.94
जोड़	8,576.94	8,576.94

₹ 100–100 के 15,238 ईक्विटी शेयर (इन्हें ₹ दस–दस के 1,52,380 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत समामेलन आदेश (1966) के अनुसरण में पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए थे।

₹ 100–100 के 75,000 ईक्विटी शेयर (इन्हें ₹ दस–दस के 7,50,000 ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया है) कुछ परिसम्पत्तियों का स्वामित्व अंतरित करने के लिए पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए थे।

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों का समाशोधन

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400
जोड़ें :	-	-
वर्ष के दौरान पूर्णतः प्रदत्त आबंटित बोनस शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के दौरान किसी संविदा के अनुसरण में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना आबंटित पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की संख्या	-	-
ईएसओपी/ईएसपी के अनुसरण में कर्मचारियों को आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
पब्लिक इश्यू के अनुसरण में नकद पर आबंटित शेयरों की संख्या	-	-
	8,57,69,400	8,57,69,400
घटाएं :		
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400

शेयरों की श्रेणी से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध (लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध के साथ)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
	शेयरों की श्रेणी	शेयरों की श्रेणी
कंपनी के पास ₹ 10 प्रति शेयर के सममूल्य में एक ही ईक्विटी शेयर श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट देने के लिए पात्र है। निदेशक बोर्ड द्वारा अंतरिम लाभांश को छोड़कर प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के उपरांत तय किया जाएगा। परिसमापन की स्थिति में सभी शेयरधारक अधिमानी राशियों के वितरण के उपरांत कंपनी की शेष परिसंपत्ति को अपनी शेयरधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।	ईक्विटी शेयर	ईक्विटी शेयर

5 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी शेयर रखने वाले कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को		31.3.2015 को	
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों की प्रतिशतता
i) भारत के राष्ट्रपति	7,46,41,681	87.030	7,46,41,681	87.030
ii) दि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड	67,50,275	7.870	67,50,275	7.870

आरक्षित निधि एवं अधिशेष

टिप्पणी – 3

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को	31.3.2015 को
आरक्षित पूँजी			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		62.98	62.98
प्रीमियम आरक्षित प्रतिभूतियां			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5,475.00		5,475.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-
		5,475.00	
सामान्य आरक्षित निधि			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	16,209.59		15,325.62
जोड़ें / (घटाएं) : चालू वर्ष के समायोजन	700.00		1,400.00
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए समायोजन	-		(516.04)
अंतिम शेष		16,909.59	16,209.58
लाभ व हानि विवरण में अधिशेष			
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	(373.19)		(93.78)
लाभ व हानि लेखे से अंतरण	1,784.82		3,185.19
वर्ष के लिए अधिशेष	1,411.63		3,091.41
विनियोजन / समायोजन			
प्रस्तावित लाभांश	1,286.54		1,715.39
लाभांश–कर	261.91		349.21
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	700.00		1,400.00
अंतिम शेष		(836.82)	
कुल जोड़		21,610.75	21,374.37

दीर्घकालिक ऋण

टिप्पणी – 4

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) बॉण्ड/डिबेंचर			
रक्षित		-	-
अरक्षित		-	-
(ख) बैंकों से सावधि ऋण		-	-
(ग) अन्य से सावधि ऋण		-	-
बिहार इंडस्ट्रीज क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से रक्षित ऋण		-	-
मूलधन राशि	-		-
उपचित एवं देय ब्याज	-		-
(खाता ऋणों को छोड़कर रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान/भविष्य की अचल एवं चल परिसंपत्तियों, मशीनरी, औजारों, साजोसामान एवं अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के प्रथम बंधक के विरुद्ध रक्षित। प्रमोटरों की गारन्टी किए गए/किए जाने वाले बंधक और प्रभार के समरूप मानी जाएगी।)			
असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से रक्षित ऋण			
मूलधन राशि	90.00	-	90.00
दण्ड ब्याज सहित उपचित एवं देय ब्याज	270.84	360.84	261.74
(असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के विरुद्ध रक्षित असम सरकार एवं आईटीडीसी द्वारा गारंटीकृत वित्तीय संस्थानों से प्राप्त आवधिक ऋण)			
अरक्षित			
(घ) संबंधित पक्षों से ऋण एवं अग्रिम			
रक्षित	-		-
अरक्षित	-	-	-
(ङ) सार्वजनिक जमा (अरक्षित)		-	-
(च) वित्तीय पट्टे दायित्व की दीर्घ अवधि परिपक्वता (वित्तीय पट्टे पर ली गई मशीनरी को बंधक बनाकर रक्षित)		-	-
जोड़		360.84	351.74

आस्थगित–कर परिसंपत्तियां (निवल)

टिप्पणी – 5

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
आस्थगित–कर देयताएँ	11.44	14.16
आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ	3,372.12	3,120.14
आस्थगित–कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**3,360.68**	**3,105.98**

आय पर करों का लेखाकरण – लेखाकरण मानक–22 – आस्थगित–कर :
31.03.2016 को आस्थगित–कर परिसंपत्ति (निवल) के मुख्य घटक निम्नप्रकार हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016		31.3.2015	
आस्थगित–कर देयताएँ				
मूल्यह्रास	146.55		256.76	
आस्थगित–कर परिसंपत्तियां				
आगे ले जाई गई व्यापार हानि	-		-	
उपदान के लिए प्रावधान	205.44		239.30	
संदिग्ध ऋणों व अग्रिम एवं ह्रासित मालसूची के लिए व्यवस्था	1,658.48		1,644.53	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,480.28		1,395.37	
नगर निगम कर	-		-	
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अस्वीकृतियाँ	163.03		83.54	
आस्थगित–कर परिसंपत्तियां (निवल)		3,360.68		3,105.98

जैसाकि लेखाकरण मानक–22 में अपेक्षित है, प्रबंधकवर्ग ने कर–परामर्शदाता की सलाह के आधार पर आस्थगित–कर परिसंपत्तियों/देयताओं की समीक्षा की थी और चालू वर्ष में पर्याप्त कर योग्य लाभ होने की कारण व इस आशा से कि आस्थगित–कर परिसंपत्ति की वसूली के लिए भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे और तदनुसार 31.03.2016 तक उपर्युक्त आस्थगित–कर परिसंपत्ति (निवल) को वित्तीय विवरणों में दिखाया है।

अन्य दीर्घकालिक देयताएं

टिप्पणी – 6

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
जमानत जमा एवं प्रतिधारण राशि	675.72	765.08
अन्य देयताएं	50.00	-
जोड़	725.72	765.08

प्रावधान

टिप्पणी – 7

(लाख ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को			31.03.2015 को		
	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	जोड़	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	जोड़
कर्मचारी हितलाभ						
उपदान	6,552.44	1,777.06	8,329.50	7,011.48	1,690.96	8,702.44
घटाएं : उपदान नीति के अनुसार निवेश निधि का आकार	(5,930.46)	(1,774.17)	(7,704.63)	(6,302.21)	(1,687.66)	(7,989.87)
छुट्टी नकदीकरण	3,686.28	784.54	4,470.82	3,823.23	735.70	4,558.93
घटाएं : उपदान नीति के अनुसार निवेश निधि का आकार	(50.54)	(13.10)	(63.64)	(37.69)	(8.77)	(46.46)
बीमारी छुट्टी	-	-	-	-	-	-
	4,257.72	774.33	5,032.05	4,494.81	730.23	5,225.04
आयकर						
आयकर के लिए प्रावधान	-	1,238.09	1,238.09	-	967.32	967.32
	-	1,238.09	1,238.09	-	967.32	967.32
धनकर						
धनकर के लिए प्रावधान	-	-	-	-	0.79	0.79
	-	-	-	-	0.79	0.79
प्रस्तावित लाभांश						
प्रस्तावित लाभांश -		1,286.54	1,286.54	-	1,715.39	1,715.39
लाभांश–कर	-	261.91	261.91	-	349.21	349.21
	-	1,548.45	1,548.45	-	2,064.60	2,064.60
जोड़	4,257.72	3,560.87	7,818.59	4,494.81	3,762.94	8,257.75

अल्पकालिक उधार

टिप्पणी – 8

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) माँग पर प्रतिदेय ऋण		
रक्षित	-	26.50
अरक्षित	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित	-	-
अरक्षित	63.85	-
(ग) सार्वजनिक जमा (अरक्षित)	-	-
जोड़	63.85	26.50

व्यापार देय

टिप्पणी – 9

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
व्यापार देय	5,769.57	5,557.36
जोड़	5,769.57	5,557.36

टिप्पणी :

व्यापार देय में 3 वर्ष से अधिक पुराना ऋण बकाया ₹ 1,750.24 लाख शामिल है, जिसे चालू खाता भुगतानों में दर्शाया गया है। इसे समाशोधन के पश्चात समायोजित/वसूल किया जाता है।

अन्य चालू देयताएं

टिप्पणी – 10

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
भारत पर्यटन विकास निगम लि. को देय		
- परियोजना प्रभाग	-	-
- भारत पर्यटन विकास निगम लि. (मुख्यालय)	-	-
बीएसटीडीसी/पीटीडीसी	40.48	29.67
उपचित ब्याज, जो उधार पर प्राप्य नहीं है	5.87	5.87
उपचित ब्याज, जो उधार पर प्राप्य है	-	0.44
विविध लेनदारी (व्यापार देय के अतिरिक्त)	4,243.33	4,096.29
जमानत जमा एवं प्रतिधारण राशि	2,946.69	2,783.01
ग्राहकों से अग्रिम	5,879.29	6,612.92
गैर–दावाकृत लाभांश*	0.55	0.35
अन्य देयताएं	2,666.60	2,601.78
जोड़	15,782.81	16,130.33

* इन आंकड़ों में निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में दी जाने वाली देय राशि और बकाया ₹ 0.10 लाख राशि शामिल है (इसे 9 मई, 2016 को जमा किया गया)।

टिप्पणी :

विविध लेनदारी में ग्राहकों आदि से ₹ 172.04 लाख (पिछले वर्ष ₹ 70.27 लाख) की असंबद्ध प्राप्तियाँ शामिल हैं, जो अपने ग्राहक खातों से पर्याप्त विवरण के अभाव में संबद्ध नहीं की जा सकीं।

सक्रिय प्रयोग में मूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 11

(लाख ₹ में)

		सकल निरुद्ध पूंजी				मूल्यह्रास			क्षति				निवल रखाव राशि	
क्र सं.	विवरण	31.03.2015 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई राशि एवं समायोजन	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई राशि एवं समायोजन	31.03.2016 तक	31.03.2015 को	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	31.03.2016 तक	31.03.2016 को	31.03.2015 को
1.	भूमि														
	पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड)	26.25	-	-	***26.25	2.24	0.00	-	***2.24	-	-	-	-	24.01	24.01
	पट्टे पर	335.00	-	-	335.00	117.53	3.52	-	*121.05	-	-	-	-	213.95	217.47
2.	भवन पूर्ण स्वामित्व	3,658.78	22.80	-	**3,681.58	1,931.99	68.31	0.14	2,000.44	-	-	-	-	1,681.14	1,726.79
3.	संयंत्र एवं उपकरण पूर्ण स्वामित्व	8,284.06	656.97	(4.33)	8,936.70	5,941.40	576.02	(3.19)	6,514.23	-	-	-	-	2,422.47	2,342.66
4.	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स पूर्ण स्वामित्व	3,166.95	136.05	-	3,303.00	2,574.82	168.46	0.02	2,743.30	-	-	-	-	559.70	592.13
5.	वाहन पूर्ण स्वामित्व	151.95	-	(0.05)	151.90	127.48	4.55	0.33	132.36	-	-	-	-	19.54	24.47
6.	कार्यालय उपकरण पूर्ण स्वामित्व	1,555.42	25.09	(1.68)	1,578.83	1,343.05	63.66	(0.06)	1,406.65	-	-	-	-	172.18	212.37
	जोड़	17,178.41	840.91	(6.06)	18,013.26	12,038.51	884.52	(2.76)	12,920.27	-	-	-	-	5,092.99	5,139.90
	पिछले वर्ष का जोड़	16,632.75	586.49	(40.83)	17,178.41	10,432.77	1,108.37	497.37	12,038.51	-	-	-	-	5,139.90	-

* यह पट्टा भूमि के परिशोधन को दर्शाता है।

** इसमें स्टाफ क्वार्टर्स का मूल्य ₹ 194.03 लाख (पिछले वर्ष ₹ 194.03 लाख) शामिल है। तथापि, कुछ एककों के स्टाफ क्वार्टर्स का अलग से मूल्य–निर्धारण नहीं हो पाने के कारण उनका मूल्य इसमें शामिल नहीं है।

*** मुख्यालय स्थित पट्टे पर रिहायशी फ्लैट का परिशोधन, उनके पूर्ण स्वामित्व में बदले जाने से पूर्व, शामिल है।

– पट्टे पर भूमि के अतिरिक्त अन्य मूर्त परिसंपत्तियों का स्वामित्व निगम के पास है।

टिप्पणियां :

(क) भूमि के क्रय/पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण एवं स्वामित्व विलेख का निबंधन/पट्टा विलेख का निष्पादन न होने के फलस्वरूप पटना स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक, नई दिल्ली स्थित अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (एआईएचएंडटीएम) एवं टेनिस कोर्ट से संबंधित लागत/पट्टा किराया, भूमि किराया एवं पंजीकरण शुल्क इत्यादि की देयताएं तय नहीं की गई हैं।

(ख) नई दिल्ली में होटल सम्राट की भूमि एवं स्कोप कार्यालय परिसर तथा ईटानगर में भूमि के संबंध में डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित पट्टा विलेख/स्वामित्व विलेख को अब तक निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है।

(ग) अशोक होटल, नई दिल्ली की भूमि का पट्टा विलेख भूतपूर्व अशोका होटल्स लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, जिसका निगम के साथ 28 मार्च, 1970 को विलय कर दिया गया था।

(घ) निगम के नाम पर स्वामित्व विलेख का पंजीकरण निम्नलिखित मामलों में नहीं किया जा सका है :–

i) आगरा में ताज रेस्टोरैंट की भूमि एवं भवन

ii) गुलमर्ग में भूमि

(ङ) होटल जम्मू अशोक का पट्टा विलेख दिनांक 11.01.2010 को समाप्त हो चुका है। इसका नवीकरण लंबित होने के कारण पट्टा किराया देयता आदि के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

(च) लागत को अंतिम रूप देने एवं उसका समायोजन लंबित होने के कारण पर्यटन मंत्रालय से अधिग्रहीत पथिक निवास, रेस्टोरैंट और होटल आदि की भूमि, भवन, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स तथा उपकरणों का पूंजीकरण भुगतान के आधार पर किया गया है।

(छ) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के अंतिम बिल की संवीक्षा, अतिरिक्त सामग्री की दरों और वृद्धि इत्यादि का समाधान लंबित होने के कारण, पूँजीकरण एवं/अथवा ₹ 1,955.42 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,215.20 लाख) के व्यय का प्रभार विभिन्न परियोजनाओं में किए गए कार्यों के लिए परियोजना इंजीनियरों द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के आधार पर किया गया है। लागत में समायोजन, यदि कोई हो, बिलों के अंतिम निपटान पर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ज) असम अशोक होटल कारपोरेशन का पट्टा करार 09.07.1986 को असम सरकार के साथ किया गया, जो 30 वर्ष के लिए है।

(झ) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड का भूमि पट्टा अगस्त, 2016 में समाप्त हो रहा है।

सक्रिय प्रयोग में नहीं आ रही मूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 11–क

(लाख ₹ में)

	सकल निरुद्ध पूंजी				मूल्यह्रास				निवल निरुद्ध पूंजी		
विवरण	31.03.2015 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें / (घटाएँ) : वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई राशि एवं समायोजन	31.03.2016 को लागत	31.03.2015 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़ें / (घटाएँ): वर्ष के दौरान बिक्री, अंतरण, बट्टे खाते डाली गई राशि एवं समायोजन	31.03.2016 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2016 को ह्रासित मूल्य	31.03.2016 को निवल वसूलीयोग्य मूल्य	शेष के लिए प्रावधान
क. निवल वसूलीयोग्य मूल्य ह्रासित मूल्य से अधिक है											
संयंत्र एवं उपकरण पूर्ण स्वामित्व	117.51	0.58	(0.61)	117.48	109.87	0.56	(0.58)	109.85	7.63	7.63	-
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स पूर्ण स्वामित्व	7.11	-	-	7.11	6.74	-	-	6.74	0.37	0.37	-
वाहन पूर्ण स्वामित्व	23.35	-	-	23.35	20.00	-	-	20.00	3.35	0.20	3.15
कार्यालय उपकरण पूर्ण स्वामित्व	2.64	-	0.19	2.83	1.88	-	0.30	2.18	0.65	0.65	-
जोड़ – क	150.61	0.58	(0.42)	150.77	138.49	0.56	(0.28)	138.77	12.00	8.85	3.15
ख. वसूलीयोग्य मूल्य ह्रासित मूल्य से कम है											
संयंत्र एवं उपकरण पूर्ण स्वामित्व	36.62	-	-	36.62	26.78	-	-	26.78	9.84	0.79	9.05
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स पूर्ण स्वामित्व	42.16	-	-	42.16	39.59	-	-	39.59	2.57	0.43	2.14
वाहन पूर्ण स्वामित्व	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-
कार्यालय उपकरण पूर्ण स्वामित्व	15.70	-	(0.41)	15.29	12.26	-	0.28	11.98	3.31	0.48	2.83
जोड़ – ख	94.49	-	(0.41)	94.08	78.64	-	0.28	78.36	15.72	1.70	14.02
जोड़ (क+ख)	245.10	0.58	(0.83)	244.85	217.13	0.56	-	217.13	27.72	10.55	17.17
पिछले वर्ष का जोड़	195.20	41.12	9.16	245.10	170.73	39.10	7.56	217.13	27.97	11.86	-

- पट्टाधारित भूमि को छोड़कर सक्रिय प्रयोग में नहीं आ रहीं मूर्त परिसंपत्तियां निगम के स्वामित्व में हैं।

स्थायी परिसंपत्तियां – अमूर्त

टिप्पणी – 12

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल रखाव राशि: 31 मार्च, 2015 को	सकल रखाव राशि: वर्ष के दौरान अतिरिक्त समायोजन	सकल रखाव राशि: वर्ष के दौरान कटौती	सकल रखाव राशि: 31 मार्च, 2016 को	संचित परिशोधन: 31 मार्च, 2015 को	संचित परिशोधन: वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	संचित परिशोधन: जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन	संचित परिशोधन: 31 मार्च, 2016 को	संचित क्षति: 31 मार्च, 2015 को	संचित क्षति: वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	संचित क्षति: वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था	संचित क्षति: 31 मार्च, 2016 को	निवल रखाव राशि: 31 मार्च, 2016 को	निवल रखाव राशि: 31 मार्च, 2015 को
1.	गुडविल														
2.	ब्राण्ड/ट्रेड मार्क														
3.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर														
-	अर्जित	99.74	1.99	-	101.73	91.44	6.17	-	97.61	-	-	-	-	4.12	8.30
-	आंतरिक रूप से तैयार														
4.	मास्टहेड्स														
5.	खनन अधिकार														
6.	कॉपीराइट														
-	अर्जित														
-	आंतरिक रूप से तैयार														
7.	पेटेंट्स														
-	अर्जित														
-	आंतरिक रूप से तैयार														
	जोड़	99.74	1.99	-	101.73	91.44	6.17	-	97.61	-	-	-	-	4.12	8.30
	पिछले वर्ष का जोड़	98.42	1.32	-	99.74	71.86	19.58	-	91.44	-	-	-	-	8.30	-

चालू पूँजीगत कार्य

टिप्पणी – 12क

(लाख ₹ में)

विवरण		31.03.2016 को	31.03.2015 को
I)	चल रहे कार्य (लागत पर), जिनमें निर्माण–स्थल पर रखी सामग्री और इस्तेमाल न की जा रही स्थायी परिसम्पत्तियां, किए गए कार्य और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का मूल्य शामिल है	843.58	691.61
	1. निर्माण स्थल पर पड़ी हुई निर्माण सामग्री		
	2. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य तथा आपूर्ति की सामग्री का मूल्य		
	3. स्थायी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं हैं		
II)	विनिधान होने तक परियोजनाओं के संबंध में किया गया खर्च	194.70	188.81
III)	पास में और मार्गस्थ पूँजीगत माल	0.29	7.34
		-	887.76
	घटाएं : क्षति के लिए प्रावधान	(226.75)	(223.83)
	जोड	811.82	663.93

(क) चालू पूँजीगत कार्यों में परियोजनाओं को आबंटित व्यय शामिल है, जिसे विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने पर उन्हें प्रभाजित किया जाएगा।

(ख) लंबित आबंटन वाली परियोजनाओं पर प्रभारित व्यय निम्नप्रकार है :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष	188.81	204.40
जोड़ें :–		
अन्य परियोजना उपरिव्यय	5.70	21.35
पट्टे का मूल्यह्रास/परिशोधन	0.19	1.30
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	0.00	38.24
अंतिम शेष	194.70	188.81

गैर–चालू निवेश

टिप्पणी – 13

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
गैर–व्यापार निवेश		
सहायक कंपनियों में व्यापार (अनुद्धृत)		
(i) ईक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश		
दिल्ली मैदा उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लि.		
₹ 25–25 का 1 ईक्विटी साधारण शेयर*	-	-
जोड़	-	-

*पूर्णांक बनाने के लिए ₹ 25 के निवेश को शून्य दिखाया गया है।

दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी – 14

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क)	जमानत जमा		
	रक्षित, प्राप्य समझे गए	3.62	1.89
	अरक्षित, प्राप्य समझे गए	199.17	235.10
	संदिग्ध	77.71	42.96
	घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए छूट	(77.71)	(42.96)
	जोड़ (क)	202.79	236.99
(ख)	अन्य		
	रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
	अरक्षित, प्राप्य समझे गए	164.43	160.97
	संदिग्ध	0.61	-
	घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(0.61)	-
	जोड़ (ख)	164.43	160.97
	जोड़ [(क)+(ख)]	367.22	397.96

अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी – 14क

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	-	-
जोड़ (क)	-	-
(ख) कंपनी के निदेशक अथवा अधिकारीगण अथवा उनमें से किसी एक या कुछ या अन्य के साथ संयुक्त रूप से या किसी फर्म या निजी कंपनियों, जिनमें कोई निदेशक क्रमशः साझीदार अथवा निदेशक अथवा सदस्य है, द्वारा देय ऋण एवं अग्रिम		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	-
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	2.99	4.63
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	-	-
जोड़ (ख)	2.99	4.63
(ग) अन्य (उल्लेख करें)		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	0.51	5.54
अरक्षित, प्राप्य समझे गए*	1,917.26	1,888.89
संदिग्ध	-	-
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	-	-
जोड़ (ग)	1,917.77	1,894.43
(घ) अग्रिम आयकर एवं स्रोत पर कटौती किए गए कर	6,756.71	7,233.91
जोड़ (घ)	6,756.71	7,233.91
(ङ) बिक्री कर का अग्रिम भुगतान	47.92	34.51
जोड़ (ङ)	47.92	34.51
जोड़ {(क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)}	8,725.39	9,167.48

1. ऋण एवं अग्रिम में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से प्राप्य पेशगियाँ	2.99	4.63
वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से प्राप्य अधिकतम राशि	4.24	7.20

2. ऋण एवं अग्रिम में होटल नीलाचल अशोक, पुरी के 29 कर्मचारियों को सेवासमाप्ति हितलाभ सहित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (क्षतिपूर्ति) के संबंध में मै. पॉल मैक (पट्टाधारक) से वसूली जाने वाली राशि के ₹ 142.64 लाख शामिल हैं।

*न्यायालय के आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के पास जमा की गई ₹ 1.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.62 लाख) की एफडीआर राशि शामिल है।

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 15

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) चालू से अन्यथा दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य (आस्थगित उधार शर्तों पर व्यापार प्राप्तियों सहित)		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	59.85	7.81
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	28.08	54.01
संदिग्ध	4,144.40	3,701.12
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(4,144.40)	(3,701.12)
जोड़ (क)	87.93	61.82
(ख) अन्य		
रक्षित, प्राप्य समझे गए	-	1.11
अरक्षित, प्राप्य समझे गए	7.05	6.82
संदिग्ध	451.36	452.01
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	(451.36)	(452.01)
जोड़ (ख)	7.05	7.93
जोड़ {(क)+(ख)}	94.98	69.75

मालसूची

टिप्पणी – 16

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(प्रबंधकवर्ग द्वारा लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य में से निम्नतर पर तैयार, मूल्यांकित और प्रमाणित की गई मालसूचियों के अनुसार)		
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	229.67	240.29
औजार	1.04	0.84
क्रॉकरी, कटलरी, कांच के बर्तन और लिनन आदि (पास में और प्रयोग में)	265.90	292.84
अन्य स्टॉक एवं भंडार (अन्य)	1,000.96	788.17
मार्गस्थ माल	-	-
घटाएं : ह्रासित मालसूची के लिए व्यवस्था	(41.21)	(41.14)
जोड़	1,456.36	1,281.00

व्यापार प्राप्य

टिप्पणी – 17

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
चालू व्यापार प्राप्य		
(क) भुगतान के लिए देय होने की तिथि से छह माह से अधिक बकाया व्यापार प्राप्य :		
(i) रक्षित, प्राप्य समझे गए	102.90	77.54
(ii) अरक्षित, प्राप्य समझे गए	3,563.92	3,448.93
(iii) संदिग्ध	154.73	504.58
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(154-73)	(504-58)
जोड़ (क)	3,666.82	3,526.47
(ख) व्यापार प्राप्य (अन्य)		
(i) रक्षित, प्राप्य समझे गए	362.19	198.40
(ii) अरक्षित, प्राप्य समझे गए	6,827.18	8,314.56
(iii) संदिग्ध	103.73	10.33
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	(103.73)	(10.33)
जोड़ (ख)	7,189.37	8,512.96
कुल जोड़ {क+ख}	10,856.19	12,039.43

1. व्यापार प्राप्य में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से प्राप्य ऋण	-	0.00
वर्ष के दौरान निगम के निदेशकों एवं अधिकारियों से प्राप्य अधिकतम राशि	-	0.00

2. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है :

i) बैंक गारंटी को छोड़कर प्राप्त की गई जमानत राशि यदि कोई हो, को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक समय से देनदारों के संबंध में।

ii) मामले के गुणदोष के आधार पर तीन वर्ष से कम अवधि में देनदारों के संबंध में।

नकद एवं नकद समतुल्य

टिप्पणी – 18

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
(क) पास में नकद		
पास में नकद*	27.46	26.61
(ख) बैंकों में शेष		
चालू खाते में**	5,719.81	3,703.97
बचत खाते में	0.76	0.73
संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	-	-
(ग) पास में चैक, ड्राफ्ट		
पास में चैक	424.60	111.16
पास में ड्राफ्ट	-	-
(घ) अन्य बैंक शेष		
बैंकों में 12 महीनों से कम अवधि के सावधि जमा***	22,193.22	23,809.60
बैंकों में 12 महीनों से अधिक अवधि के सावधि जमा	57.44	55.07
(ङ) निम्न के विरुद्ध मार्जिन राशि अथवा जमानत के रूप में रखा बैंक शेष		
उधार	-	-
गारंटी	-	-
साख–पत्र	-	-
अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-
(च) अन्य	-	-
उपदान निधि न्यास (एसबीआई)	-	-
जोड़	28,423.29	27,707.14

* ₹ 4.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.45 लाख) के समतुल्य विदेशी मुद्रा शामिल है।
** ₹ 0.55 लाख का गैर–दावाकृत लाभांश शामिल है।
*** जमानत के रूप में ₹ 53.49 लाख के एफडीआर (पिछले वर्ष ₹ 50.78 लाख) शामिल हैं।

अन्य चालू परिसंपत्तियां

टिप्पणी – 19

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को	31.3.2015 को
उपचित ब्याज, परंतु सावधि जमा पर देय नहीं	1,303.78	1,333.11
अन्य	482.77	425.77
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	-	-
जोड़	1,786.55	1,758.88

टिप्पणी :–

(i) अन्य में आरपीएफसी जयपुर में जमा ₹ 1.58 लाख की एफडीआर शामिल है।

(ii) अन्य में ठेकेदारों के 60 कामगारों द्वारा दाखिल मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार मार्च, 2016 तक ठेकेदार के कामगारों को मजदूरी के रूप में प्रदत्त ₹ 166.55 लाख शामिल हैं।

प्रचालन से राजस्व

टिप्पणी – 20

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री (क)		
खाद्य	7,424.30	7,121.67
बियर, वाइन एवं स्पिरिट	2,809.22	2,661.48
सिगार एवं सिगरेट	69.03	50.00
सॉफ्ट ड्रिंक्स	307.02	265.23
पेट्रोल, तेल एवं ल्यूब्रिकेंट	-	1,166.48
पर्यटक साहित्य एवं अन्य प्रकाशन	120.18	132.83
विविध बिक्री	55.35	37.24
जोड़ (क)	10,785.10	11,434.93
सेवाओं की बिक्री (ख)		
कमरे का किराया	12,972.20	13,653.42
लाइसेंस शुल्क	5,130.77	5,062.42
बैंक्विट हॉल/लॉन का किराया	1,328.62	1,141.68
यातायात से आय एवं पैकेज टुअर्स	1,658.71	2,289.90
यात्रा सेवाएँ	8,645.51	9,620.63
प्रबंधन/परामर्श/समारोह प्रबंधन/प्रशिक्षण शुल्क	2,644.01	3,061.02
परियोजना के कार्यान्वयन से राजस्व	1,428.27	1,728.97
ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन	93.54	85.96
प्राप्त कमीशन	95.98	26.84
विद्युत प्रभार	509.13	492.61
दूरभाष सेवाएँ	5.73	8.07
विज्ञापन आय	37.96	33.88
सेवा प्रभार	394.58	399.21
जोड़ (ख)	34,945.01	37,604.61
अन्य प्रचालन राजस्व (ग)		
विविध आय	177.69	176.28
जोड़ (ग)	177.69	176.28
जोड़ (क)+(ख)+(ग)	45,907.80	49,215.82

टिप्पणी :–

(i) नए लाइसेंस करारों का निष्पादन लंबित होने के कारण लाइसेंस शुल्क से आय (वर्तमान लाइसेंसधारकों से) का लेखाकरण अनंतिम आधार पर और/अथवा पूर्व लाइसेंस करारों के आधार पर किया गया है।

(ii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली जो संपदा निदेशक, नई दिल्ली के साथ संविदा के अंतर्गत केटरिंग सेवाएं मुहैया कराने का कार्य करता रहा है, की संविदा 17.11.2015 को समाप्त हुई। आगामी नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है तथा वर्ष के अंत तक लंबित नवीनीकरण राजस्व को उपर्युक्त करार के आधार पर माना गया है।

अन्य आय

टिप्पणी – 21

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
अन्य आय		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ब्याज (सकल)	2,290.70	2,598.30
कर्मचारियों को ऋण	0.58	0.61
आयकर वापसी पर	202.15	-
अन्य	1.40	0.55
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.08	4.29
विदेशी मुद्रा अंतर पर लाभ	5.37	3.87
पर्यटन मंत्रालय से अनुदान	0.85	1.19
अन्य	397.01	634.32
जोड़	2,898.14	3,243.13

टिप्पणी :–

पर्यटन मंत्रालय से संपत्तियों के नवीकरण/उन्नयन के लिए प्राप्त आस्थगित सरकारी अनुदान की ₹ 6.83 लाख की शेष राशि (पिछले वर्ष ₹ 8.02 लाख) में से वर्ष के दौरान खर्च हुई ₹ 0.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.19 लाख) की राशि सहित वर्ष के दौरान खर्च की गई ₹ 1.51 लाख रु. की राशि को संबंधित व्यय शीर्ष में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान खर्च की गई अनुदान संबद्ध लागत के बराबर की राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के अंत में शेष ₹ 5.32 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6.83 लाख) की राशि को आरक्षित व अधिशेष निधि के अधीन आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है।

उपभुक्त सामग्री व प्रदत्त सेवाओं की लागत

टिप्पणी – 22

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	कच्चे माल के उपभोग, बेची गई अन्य सामग्री व प्रदत्त सेवाओं की लागत		
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट		
	प्रारंभिक स्टॉक	66.57	92.82
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	2,698.00	2,530.88
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	(101.30)	(255.50)
	अंतिम स्टॉक	88.41	66.57
	जोड़ (i)	2,574.86	2,301.63
ii)	वाइन एवं शराब		
	प्रारंभिक स्टॉक	333.79	350.10
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	577.07	757.89
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	(89.57)	(250.32)
	अंतिम स्टॉक	342.05	333.79
	जोड़ (ii)	479.24	523.88
iii)	अन्य सामग्री		
	प्रारंभिक स्टॉक	-	-
	जोड़ें :– खरीद एवं समायोजन	89.23	103.20
	घटाएं :– अंतरण एवं समायोजन	-	-
	अंतिम स्टॉक	-	-
	जोड़ (iii)	89.23	103.20
	जोड़ (i+ii+iii) (क)	3,143.33	2,928.71
(ख)	प्रदत्त/खरीदी गई सेवाओं की लागत :–		
	परियोजना का निष्पादन	1,308.48	1,610.48
	अन्य सेवाएँ	1,654.83	1,943.93
	जोड़ (ख)	2,963.31	3,554.41
	जोड़ (क)+(ख)	6.106.64	6,483.12
	घटाएं:		
	विदेश मंत्रालय को प्रभारित	14.97	15.32
	कुल जोड़	6,091.67	6,467.80

टिप्पणी :–

कच्चे माल के उपभोग की लागत, बेची गई अन्य सामग्री तथा प्रदत्त सेवाओं में प्रचालन स्टाफ द्वारा खानपान स्थापनाओं में उपभुक्त खाद्य सामग्री की लागत शामिल है (राशि निश्चित नहीं)।

व्यापार सामग्री की खरीद

टिप्पणी – 23

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	40.47	17.56
ii)	वाइन एवं शराब	962.91	556.16
iii)	अन्य सामग्री	1.81	1,107.16
	जोड़	1,005.19	1,680.88

व्यापार सामग्री की मालसूची में परिवर्तन

टिप्पणी – 24

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक स्टॉक			
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	8.57	7.21
ii)	वाइन एवं शराब	373.37	370.64
iii)	अन्य सामग्री	3.58	35.11
	जोड़	385.52	412.96
अंतिम स्टॉक			
i)	रसद, पेय एवं सिगरेट	16.01	8.57
ii)	वाइन एवं शराब	547.94	373.37
iii)	अन्य सामग्री	2.07	3.58
	जोड़	566.02	385.52
मालसूची में परिवर्तन		(180.51)	27.45
	जोड़	(180.51)	27.45

कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ

टिप्पणी – 25

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	12,304.72	12,677.67
भविष्य एवं अन्य निधियों में नियोक्ता द्वारा अंशदान	1,098.04	1,060.81
कर्मचारी कल्याण व्यय (कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान सहित)	874.03	993.24
वर्दी	35.02	29.06
कर्मचारी उपदान योजना में प्रावधान/अंशदान (निवल)	504.48	565.93
	14,816.29	15,326.71
घटाएं :		
पर्यटन मंत्रालय की परियोजना को प्रभारित	61.39	56.84
विदेश मंत्रालय की परियोजना को प्रभारित	215.01	238.90
जोड़	14,539.89	15,030.97

टिप्पणी :–

एएस–15 (संशोधित) संबंधी प्रकटन – कर्मचारी हितलाभ :–

(क) भविष्य निधि – मूल वेतन का 12 प्रतिशत (महंगाई वेतन सहित) एवं महंगाई भत्ता, स्वीकृत भविष्य निधि में अंशदान।

(ख) छुट्टी नकदीकरण (अर्जित अवकाश और अर्द्धवेतन बीमारी छुट्टी यथा लागू)–पात्र कर्मचारियों को संचित अर्जित अवकाश के लिए सेवा से अलग होने पर देय।

(ग) उपदान – पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा की हो, सेवा से अलग होने पर पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की दर पर देय। अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख है।

कर्मचारी हितलाभ पर लेखाकरण मानक–15 (संशोधित) के अनुसार निम्न प्रकटन यथावश्यक स्थिति दर्शाता है :–

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन छुट्टी
परिभाषित दायित्वों का उचित मूल्य			
01.04.2015 को अनुमानित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,675.76	4,491.58	52.58
चालू सेवा लागत	319.36	195.25	5.72
ब्याज लागत	693.81	360.11	4.22
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	85.38	(603.56)	(13.63)
विगत सेवा लागत	-	-	-
प्रदत हितलाभ	(1,444.81)	(21.44)	-
31.03.2016 को अनुमानित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,329.50	4,421.93	48.89
परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाशोधन			
01.04.2015 को योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	7,961.47	46.46	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	628.30	5.12	-
कम्पनी का वास्तविक अंशदान	593.90	22.61	-
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	(34.23)	(0.93)	-

(लाख ₹ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	अर्द्धवेतन छुट्टी
प्रदत हितलाभ/समायोजन	(1,444.81)	(9.61)	-
31.03.2016 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,704.63	63.64	-
परिभाषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8,329.50	4,421.93	-
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (टिप्पणी–7)	624.87	4,358.29	48.89
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत व्यय			
चालू सेवा लागत	319.36	195.25	5.72
ब्याज लागत	693.81	360.11	4.22
बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	119.61	(602.63)	(13.63)
विगत सेवा लागत	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(628.30)	(5.12)	-
लाभ व हानि लेखे में प्रभारित कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ			
क) उपदान	504.48	-	-
ख) अन्य	-	(52.39)	(3.69)
उपदान निधि निवेश विवरण (निधि देने की सीमा तक निधि प्रबंधक–वार)			
भारतीय जीवन बीमा निगम	2,556.39	63.64	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	-	-	-
मेटलाइफ ट्रेडिशनल फंड	644.63	-	-
मेटलाइफ यूनिट लिंक्ड	-	-	-
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	690.86	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस	353.03	-	-
बिड़ला सन–लाइफ इंश्योरेंस फंड	1,924.40	-	-
फ्यूचर जनरली इंडिया फंड	1,535.32	-	-
जोड़	7,704.63	63.64	-
बीमांकिक अनुमान			
बट्टा दर	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08) अंतिम	आईएएलएम (2006-08) अंतिम	आईएएलएम (2006-08) अंतिम
आहरण दर (18–30 वर्ष)	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष	0.00% प्रतिवर्ष
आहरण दर (31–44 वर्ष)	1.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष	1.00% प्रतिवर्ष
आहरण दर (44–58 वर्ष)	3.00% प्रतिवर्ष	3.00% प्रतिवर्ष	3.00% प्रतिवर्ष
रिटर्न की अपेक्षित दर	9.00% प्रतिवर्ष	9.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
भावी वेतनवृद्धि	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
सेवानिवृति आयु	58 वर्ष	58 वर्ष	58 वर्ष
पद्धति	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट

वित्त लागत

टिप्पणी – 26

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ब्याज	63.44	41.55
अन्य उधार लागत	1.99	0.33
जोड़	65.43	41.88

प्रचालन एवं अन्य व्यय

टिप्पणी – 27

(लाख ₹ में)

विवरण		31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
यात्रा एवं सवारी			
- निदेशक	28.83		33.02
- अधिकारी एवं कर्मचारी	135.59		148.80
- स्टाफ कार व्यय	78.39		63.57
		242.81	
किराया, पौरकर, कर एवं बीमा			
- किराया	253.48		399.61
- पौरकर एवं कर	353.63		342.01
- बीमा	107.34		105.12
- बार लाइसेंस शुल्क	-		-
		714.45	
मरम्मत एवं अनुरक्षण			
- संयंत्र एवं मशीनरी	528.70		458.95
- भवन	829.67		961.54
- वाहन	6.30		11.28
- अन्य	1,057.66		1,249.38
		2,422.23	
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)			
- लेखापरीक्षा शुल्क	21.21		20.57
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	6.44		6.16
- प्रमाणन	0.11		0.11
- कराधान मामले	-		-
- कंपनी विधि मामले	-		-
- जेबी खर्च	0.09		0.31
		27.85	
निदेशकों का बैठक–शुल्क		2.02	1.43
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क		205.55	190.37
मुद्रण, स्टेशनरी एवं पत्रिकाएं		128.49	184.47
संचार व्यय		124.68	123.03
ऊर्जा एवं ईंधन		3,199.85	3,208.44
विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री संवर्धन		344.23	410.53
मुकदमेबाजी में हानि*		-	57.79
मनोरंजन		12.19	13.10
बैंड एवं संगीत		34.98	35.65
सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर व्यय		-	-
ट्रैवल एजेंटों एवं क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कमीशन		117.38	76.29
लाइसेंसधारकों का लाभ में हिस्सा		72.28	11.55
विविध व्यय		66.56	117.82
रखरखाव, सेवा लागत और अन्य प्रचालन खर्च		14,116.68	15,108.94
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री/परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालने पर हानि		0.73	1.06
गठबंधन उद्यमों पर हानि		-	-
क्रॉकरी, कटलरी एवं बर्तनों आदि में ह्रास/खपत एवं टूट–फूट		62.16	64.75

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
व्ययों की प्रतिपूर्ति	486.19	723.95
अग्रिम पर प्रदत्त ब्याज	-	-
अशोध्य ऋण	7.63	19.13
विदेशी मुद्रा विचलनों से हानि	-	5.91
बट्टे खाते डाले गए अग्रिम	-	-
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	432.21	607.47
क्षति के लिए प्रावधान	4.20	2.10
स्थायी परिसंपत्तियों के ह्रास के लिए प्रावधान	-	-
मालसूची के ह्रास/मालसूची को बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान	0.08	-
निगम सामाजिक दायित्व*	14.08	16.94
विपणन, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यय	-	-
माँग एवं सूचना	6.03	-
जोड़ (क)	22,845.64	24,781.15
घटाएं :		
पर्यटन मंत्रालय की परियोजना को प्रभारित	22.30	17.53
विदेश मंत्रालय की परियोजना को प्रभारित	144.95	130.55
भारत पर्यटन विकास निगम एकक को प्रभारित विभागीय व्यय	-	-
जोड़ (ख)	167.25	148.08
जोड़ (क–ख)	22,678.39	24,633.07

टिप्पणी :–

1. ऊर्जा उत्पादन पर व्यय :

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	6.27	6.00
ईंधन	39.02	50.70
मूल्यह्रास	40.50	46.23
मरम्मत	39.81	37.22
अन्य	0.50	-
जोड़	126.10	140.15

(उपर्युक्त में कुछ एककों द्वारा किए गए व्यय, जिन्हें निश्चित नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं किया गया है)

2. विभागीय रूप से की गई मरम्मत आदि के लिए तैनात स्टाफ के वेतन, मजदूरी आदि को मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में अलग से प्रभारित नहीं किया गया है।

3. वर्ष के दौरान विभिन्न होटलों के नवीकरण पर किए गए ₹ 1,382.32 लाख (पिछले वर्ष में ₹ 1,153.92 लाख) के व्यय को परियोजना इंजीनियरों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, जिनपर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है, के आधार पर ₹ 688.12 लाख (पिछले वर्ष ₹ 477.29 लाख) की पूंजी एवं ₹ 694.20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 676.64 लाख) के राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

*निगम सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय का ब्यौरा

क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि ₹ 38.10 लाख है

ख) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर खर्च की गई राशि :

(लाख ₹ में)

विवरण	नकदी	नकदी का भुगतान किया जाना है	जोड़
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर अन्य प्रयोजन पर	14.08	16.50	30.58

अपवादात्मक मदें

टिप्पणी – 28

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
प्रावधान, जिनके पुनरांकन की आवश्यकता नहीं है (नकारात्मक, यदि लाभ हो)	(519.78)	(418.77)
अन्य*	1,314.22	-
जोड़	794.44	(418.77)

*टिप्पणी 31 (ज) देखें

टिप्पणी :–

प्रावधान/देयताएं, जिनकी वर्ष के दौरान पुनरांकन की आवश्यकता नहीं है तथा लाभ व हानि लेखा विवरण में दिखाई गई हैं, निम्नप्रकार हैं :

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	209.45	105.02
2. मूल्यह्रास	0.29	84.68
3. बेची गई सामग्री एवं प्रदत्त सेवाओं की लागत	1.42	19.36
4. वेतन, मजदूरी एवं हितलाभ	17.15	4.02
5. वित्तीय लागत	-	14.74
6. रख–रखाव एवं सेवा लागत	9.97	59.35
7. अन्य प्रचालन एवं प्रशासनिक व्यय	150.88	125.45
8. स्थायी परिसंपत्तियों में ह्रास के लिए प्रावधान	-	-
9. ह्रासित मालसूची के लिए प्रावधान	-	2.40
10. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	-	-
11. पौरकर एवं कर	-	-
12. संचार व्यय	-	-
13. मरम्मत एवं अनुरक्षण	130.62	3.75
14. विद्युत एवं ईंधन	-	-
जोड़	519.78	418.77

पूर्व–अवधि समायोजन

टिप्पणी – 29

(लाख ₹ में)

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
पूर्व–अवधि आय (नकारात्मक)	(8.10)	(10.77)
पूर्व–अवधि व्यय/समायोजन	175.34	237.00
जोड़	183.44	247.77

लाभ व हानि विवरण में प्रभारित पिछले वर्ष से संबंधित आय/व्यय और समायोजन निम्नप्रकार हैं :–

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय:		
1. बियर, वाइन एवं स्पिरिट की बिक्री	-	-
2. प्रदत्त सेवाओं से आय :		
कमरे का किराया/लाइसेंस शुल्क	-	4.01
परामर्श	(12.52)	-
3. अन्य :	-	-
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	1.91	-
किराए की वसूली	-	-
विविध आय	1.85	(4.89)
बिक्री की लागत	-	-
सरकारी अनुदान से आय	0.66	(9.89)
मूल्यह्रास	-	-
ब्याज	-	-
विद्युत एवं जल प्रभार	-	-
जोड़	(8.10)	(10.77)
व्यय:		
1. उपभुक्त कच्चे माल, बेची गई अन्य सामग्री एवं सेवाओं की लागत	23.07	1.38
2. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	18.40	0.81
3. यात्रा एवं सवारी	1.83	1.65
4. किराया, पौरकर, कर एवं बीमा	4.16	150.43
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण	21.30	(43.78)
6. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	5.01	16.04
7. मुद्रण, स्टेशनरी एवं पत्रिकाएं	0.08	(0.16)
8. संचार व्यय	2.75	2.15
9. ऊर्जा एवं ईंधन	26.61	17.00
10. विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	1.66	0.09
11 विविध खर्च	2.28	4.12
12. रखरखाव एवं सेवा लागत एवं अन्य प्रचालन व्यय	16.18	15.57
13. मूल्यह्रास	2.47	76.32
14. डाटा प्रोसेसिंग	0.34	0.07
15. किराए के वाहनों का भुगतान	2.70	-
16. बिजली एवं जल प्रभार	-	-
17. किराया प्रभार	-	3.48
18. कमीशन प्रभार	-	-
19. कर्मचारी कल्याण	3.32	(8.31)
20. लेखापरीक्षा शुल्क	0.03	0.14
21. अन्य	43.15	-
जोड़	175.34	237.00

प्रति शेयर आय

टिप्पणी – 30

लेखाकरण मानक–20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नप्रकार है :–

विवरण	31.3.2016 को समाप्त वर्ष	31.3.2015 को समाप्त वर्ष
बेसिक व डाइल्यूटिड		
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध निवल लाभ/(हानि) (लाख ₹ में)	1,784.82	3,185.19
₹ 10–10 के ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	8,57,69,400	8,57,69,400
बेसिक व डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर (₹ में)	2.08	3.71

आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(लाख ₹ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क.	आकस्मिक देयताएं		
(क)	निगम के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
(i)	निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, [जिसमें सीमा–शुल्क प्राधिकरण से ₹ 18,520.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 18,520.84 लाख) की मांग शामिल है और न्यायालय में विचाराधीन है]।	73,248.02	83,910.53
(ii)	विभिन्न प्राधिकरणों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम निष्पादित गारंटी–पत्र [इसमें सहायक कम्पनियों द्वारा प्राप्त ₹ 360.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 351.74 लाख) के ऋण के विरुद्ध दी गई गारंटियां शामिल हैं]।	516.21	578.74
(iii)	आयकर के मामले, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं [इसमें आयकर विभाग द्वारा की गई अपीलें शामिल हैं, ₹ 475.84 लाख (पिछले वर्ष ₹ 475.84 लाख)]।	847.92	1,265.89
(iv)	बिक्रीकर के मामले, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं [बंद शुल्क मुक्त दुकान, मुम्बई के संबंध में ₹ 2,465.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,465.62 लाख रुपए) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध अपीलें महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिकरण/उच्च न्यायालय में लंबित हैं]।	2,949.13	2,951.88
(v)	(क) 31.3.2007 तक होटलों में खानपान कार्यकलापों सहित बैंक्विटिंग से संबंधित सेवाकर (उस पर ब्याज सहित) के लिए देयता।	राशि निश्चित नहीं	राशि निश्चित नहीं
	(ख) एककों में किए जा रहे भवन मरम्मत कार्य से संबंधित कार्य संविदा–कर (उस पर ब्याज सहित) के लिए देयता।		
(ख)	प्रतिबद्धताएँ		
	पूँजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम एवं वृद्धि दरों को छोड़कर, यदि कोई हो) (कार्य पूर्ण होने पर उसका कुछ अंश राजस्व व्यय के रूप में आ सकता है)।	386.65	140.03

टिप्पणी सं. (1) : क्रम सं. क(क)(i), क(क)(iii) व क(क)(iv) पर आकस्मिक देयताएं न्यायालय के निर्णय/न्यायालय से बाहर समझौते/अपील के निपटान आदि पर निर्भर हैं।

टिप्पणी सं. (2) : निगम के विरुद्ध आकस्मिक देयता/दावे के रूप में दिखाई गई राशि केवल मूल मूल्य को दर्शाती है। विधिक और अन्य लागतों, जिनका इस अवस्था में निर्धारण नहीं किया जा सकता, पर विचार नहीं किया गया है।

टिप्पणी सं. (3) : उपर्युक्त क्रम संख्या क(i) पर दी गई आकस्मिक देयता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से फर्नीचर की आपूर्ति और फ्लैट तैयार करने से संबंधित कार्यों के संबंध में माध्यस्थम के अंतर्गत आने वाले मामलों के विषय में ₹ 4,858.04 लाख शामिल हैं। तथापि, डीडीए के साथ किए गए समझौता–ज्ञापन से पता चलता है कि निर्धारित राशियों, यदि कोई हों, का भुगतान माध्यस्थम/न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार डीडीए द्वारा किया जाएगा।

(ग) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी ने नियंत्रक कम्पनी को ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 23.56 लाख (पिछले वर्ष ₹ 23.56 लाख) की व्यवस्था पर कर की कटौती न होने के कारण हो सकने वाली देयता, ऐसी गैर–कटौती पर देय ब्याज तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन केन्द्र सरकारी लेखाओं को देयों के गैर–भुगतान के कारण पैदा हो सकने वाली देयता न तो निर्धारित की है और न ही उसके लिए व्यवस्था की है। चूंकि कम्पनी प्रचालन में नहीं है, इसलिए पैदा होने वाली किसी भी देयता को अधिनिर्णय/भुगतान के वर्ष में स्वीकृत किया जाएगा।

(घ) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी में 01.01.1992 से वेतन संशोधन के संबंध में न्यायालय में लम्बित कानूनी मामलों में पैदा हो सकने वाली देयताओं हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसे वास्तविक देयता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

(ङ) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी में भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा आदि के संबंध में सांविधिक देयों को विलम्ब से जमा करने पर पैदा होने वाली क्षति तथा उसकी देयता निर्धारित नहीं की जा सकी है और इसलिए उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। यदि कोई खर्च होगा, तो उसका लेखाकरण अधिनिर्णय एवं भुगतान के वर्ष में किया जाएगा।

(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) प्राधिकरणों ने चार होटल/खानपान एककों के संबंध में ईएसआई की देय राशि के लिए कुल ₹ 803.13 लाख (पिछले वर्ष ₹ 780.92 लाख) की मांग (जिसमें ब्याज, जहाँ लागू हो, शामिल है) की है, जिसके विरुद्ध उक्त प्राधिकरणों के पास निगम ने ₹ 334.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 334.85 लाख) (ऋणों और अग्रिमों में शामिल) (बैंक एकाउन्ट फ्रीज होने के बाद बैंक प्राधिकरणों द्वारा वापस लिए गए ₹ 310.09 लाख तथा जमा राशि ₹ 24.76 लाख) जमा किए हुए हैं। इसके विरुद्ध निगम की कर्मचारी राज्य बीमा देयताओं के लिए ₹ 215.43 लाख (पिछले वर्ष ₹ 215.43 लाख) की देनदारी बनती है। ₹ 587.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 565.49 लाख) के शेष के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है और इस बारे में अंतिम निर्णय होने तक इसे उपर्युक्त क्रम सं.1(क)(क)(i) में आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(छ) मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य प्राइवेट एयरपोर्ट प्रचालकों ने 10.9.2004 से विभिन्न स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानों और अशोक एयरपोर्ट रेस्टोरैंट के लिए अपनी लाइसेंस फीस के बिल/रॉयल्टी पर सेवाकर भी शामिल किया है। तथापि, भारत सरकार के तारीख 17.9.2004 को जारी परिपत्र में यह व्यवस्था है कि एयरपोर्ट/सिविल एंक्लेव परिसर के किसी भी भाग को किराए पर देने, पट्टे पर देने का कार्यकलाप सेवा देने में नहीं आता है। मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ–साथ इस निर्णय के लिए सीस्टैट में अपील दायर की थी कि क्या विभिन्न व्यक्तियों को उनकी व्यवसाय गतिविधियों के लिए विमानपत्तनम के सिविल परिसर के भीतरी स्थान को किराए/पट्टे पर देने से प्राप्त अपीलकर्ता के राजस्व पर कर प्रभारित होता है। सीस्टैट ने अपने दिनांक 2.1.2015 के आदेश में कहा कि उपर्युक्त किराए/पट्टे पर सेवा कर देय है। एएआई ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। आगे, आईटीडीसी द्वारा 2006–07 के दौरान सावधि जमा के रूप में जमानत के तौर पर ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा उपर्युक्त सेवा कर के रूप में नकदीकरण किया गया। मामले का अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण 10.9.2004 से 31.03.2008 तक ₹ 1779.49 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1779.49 लाख) की अनुमानित देयता को उपर्युक्त पैरा कक(i) में आकस्मिक देयता के रूप में शामिल किया गया है और ₹ 1.61 करोड़ को मैसर्स डायल से प्राप्य राशि के रूप में शामिल किया गया है।

(ज) निगम ने 1965 में एनिमी प्रोपर्टी के अभिरक्षक से एक सम्पत्ति किराए पर ली थी। बाद में अभिरक्षक ने उक्त परिसम्पत्ति उसके वर्तमान स्वामी को रिलीज कर दी थी। सम्पत्ति के स्वामी ने उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वामी के पक्ष में निर्णय दिया और निगम को सम्पत्ति खाली करने का निदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने एकमुश्त/तदर्थ आधार पर ब्याज सहित केवल जनवरी, 1980 माह के लिए ₹ 30,000 की दर पर किराया भी निर्धारित किया और 1.2.1980 से सम्पत्ति का कब्जा सौंपने तक की अवधि के लिए किराए की राशि निर्धारित करने हेतु एक स्थानीय आयुक्त भी नियुक्त किया। इस निर्णय से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और

माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया। तदनुसार परिसर को खाली किया गया और 28.2.2007 को मालिक को उसका कब्जा सौंप दिया गया। स्थानीय आयुक्त ने मध्यवर्ती लाभों के कारण श्री अनिल कुमार खन्ना और अन्य का लगभग ₹ 300 करोड़ का दावा खारिज कर दिया है और उसने रिपोर्ट में यथा उल्लिखित 15% प्रत्येक वर्ष की वृद्धि और 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ₹ 9.37 प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के आधार किराए को लेते हुए मध्यवर्ती लाभ का परिकलन किया है। स्थानीय आयुक्त के अनुसार कुल देय राशि फरवरी, 2007 को ₹ 12,15,55,555/– बैठती है। इसके अलावा, भुगतान की तारीख तक, रिपोर्ट के अनुसार, 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। स्थानीय आयुक्त के निर्णय द्वारा व्यथित होकर आईटीडीसी ने उच्च न्यायालय में आपत्ति दायर की हैं, स्वामियों/वादियों ने भी रिपोर्ट के लिए आपत्तियां दायर की है। जिनमें सम्पत्ति के कब्जे की तारीख अर्थात् 28.02.2007 तक 01.02.1980 से ₹ 2,96,23,97,284/– का दावा किया है। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 17.7.2015 के निर्णय में कहा कि स्थानीय आयुक्त द्वारा अपनाई गई मध्यवर्ती लाभ की दर उचित है और याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान तक देय मध्यवर्ती लाभ की तिथि से वार्षिक साधारण ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत दर से प्राप्त किया गया।

दोनों पक्षों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। याचिकाकर्ता की अपील खारिज की गई तथा आईटीडीसी की अपील पर माननीय उच्च न्यायालय ने एकल बेंच के आदेश पर इस शर्त पर स्थगनादेश दिया कि आईटीडीसी डिक्री की 50 प्रतिशत राशि जमा करेगा। तदनुसार, आईटीडीसी ने 14.1.2016 के बैंकर्स चेक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में ₹ 13,14,21,951 की राशि जमा की। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22.4.2016 को आईटीडीसी की अपील खारिज की गई। अगली कार्रवाई का निर्णय उचित समय पर किया जाएगा। मामला लंबित होने के कारण 50% डिक्री राशि को लाभ और हानि खाते में अपवादात्मक मद में दर्शाया गया है तथा शेष राशि आकस्मिक देयता क(क)(i) के अंतर्गत शामिल की गई।

(झ) दिल्ली स्थित तीनों परिसंपत्तियों अर्थात अशोक, सम्राट और जनपथ के संबंध में सम्पत्तिकर के निर्धारण से संबंधित मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन था। कार्यवाही के दौरान एनडीएमसी ने होटल सम्पत्तियों के सम्पत्तिकर के निर्धारण के लिए आधार प्रस्तुत किया जिस पर आईटीडीसी भी सहमत हो गया। तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने एनडीएमसी को होटलों से देय सम्पत्तिकर को पुनःनिर्धारित करने और इस मामले में होटलों द्वारा पूर्ण सहयोग का निदेश देते हुए उक्त याचिका को अपने दिनांक 19.10.2010 के आदेश द्वारा निपटा दिया। तदनुसार एनडीएमसी ने अपने दिनांक 31.03.2013 के निर्धारण आदेश द्वारा 31.3.2009 तक का नया निर्धारण किया और सम्पत्तिकर के निर्धारण का आधार दिया, जिस पर आईटीडीसी द्वारा सहमति दी गई।

वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एनडीएमसी ने अपने दिनांक 11.02.2016 के आदेश के तहत उपर्युक्त तीनों परिसंपत्तियों का यूनिट एरिया पद्धति से दिनांक 31.03.2013 के आदेश के तहत वर्ष 2008–09 तक निर्धारित आरवी से अधिक दर पर निर्धारण किया। आईटीडीसी ने यूनिट एरिया पद्धति के अंतर्गत किए गए निर्धारण को चुनौती दी और दिल्ली उच्च न्यायालय में तीर रिट याचिकाएं प्रस्तुत कीं। यह मामला 8.3.2016 को सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष आया था। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आईटीडीसी द्वारा स्वीकृत कर का भुगतान करने पर एनडीएमसी द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आईटीडीसी 31.3.2013 के आदेश द्वारा निर्धारित अपनी स्वीकृत कर देयता जमा कर चुका है और ₹ 165.91 करोड़ की शेष विवादित राशि को उपर्युक्त क(क)(i) आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है जो माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन है।

सामान्य टिप्पणियां

1. कंपनी द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा जमा के अधिकांश मामलों में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एककों में ग्राहक खातों में शेष का समाधान सामान्य बही नियंत्रण खाता शेष के साथ किया जा रहा है। इसलिए इस स्तर पर पुष्टिकरण, समाधान, और समायोजन प्राप्त करने के लिए खातों पर प्रभाव को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

2. पिछली पद्धति को अपनाते हुए स्टॉक, भंडार, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत प्रारंभिक शेष व खरीद को जोड़कर और उसमें से लेखाकरण नीति के अनुसार मूल्यांकित प्रत्यक्ष मालसूचियों पर आधारित अंतिम शेष को घटाकर निकाली गई है।

3. निगम पर्यटन मंत्रालय के स्वामित्व वाले होटल भरतपुर अशोक और कोसी रेस्टोरैंट का प्रबंध संभालता रहा है और इन एककों के संबंध में लाभ/हानि का लेखा निगम द्वारा लाभ व हानि लेखा विवरण में संबंधित टिप्पणियों में किया जाता है।

4. कंपनी ने 19 फरवरी 2002 को मै. मारुति उद्योग लि. के साथ नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट सं. सी–119 पर निर्मित कार्यशाला व डिपो के संबंध में किराए से संबंधित सब–लीज को 1 फरवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2011 तक की अवधि के लिए नवीकरण और किराए में वृद्धि की शर्त पर इसे आगे नौ वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए एक करार किया था। करार की शर्तों के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा 9 वर्षों का किराया अग्रिम दिया गया था। पट्टे की अवधि के दौरान मै. मारुति उद्योग लिमिटेड ने उस स्थल पर अतिरिक्त निर्माण कराया, जिसकी प्रक्रिया में किराए पर दिए गए कार्यशाला व डिपो के पूरे ढांचे को गिरा दिया गया और समाप्त कर दिया गया जोकि सब–लीज के करार में शामिल नहीं था। इसलिए 14 जून, 2010 को मारुति उद्योग लि. को 01.07.2010 से स्थल खाली करने का कानूनी नोटिस भेजा गया। आईटीडीसी के पास रखी अग्रिम किराए की शेष राशि ₹ 25,01,849 मै. मारुति उद्योग लि. को वापस कर दी गई। तारीख 1.07.2010 को भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संपदा अधिकारी के सम्मुख सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत स्थान को खाली कराने व क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी बीच मैसर्स मारुति सुजूकी इंडिया लि. (एमएसआईएल) के रूप में पुनः नामित मारुति उद्योग लि. ने भारत पर्यटन विकास निगम के बेदखली तथा क्षतिपूर्ति के आवेदन के विरुद्ध एक अपील माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 30.12.2012 को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध एमएसआईएल ने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की जिसे 29.04.2013 को खारिज कर दिया गया। मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष याचिका दाखिल की जिसे भी 13.9.2013 को खारिज कर दिया गया और निदेश दिया गया कि संपदा अधिकारी इसका निर्णय करेगा। संपदा अधिकारी ने अपने 24.3.2014 के आदेश में कहा कि संपदा अधिकारी के पास आईटीडीसी द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई का अधिकार है। विवाचक की नियुक्ति हेतु एमएसआईएल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य विवाचक याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश के संबंध में अपने दिनांक 23.05.2011 के अंतरिम आदेश द्वारा दो विवाचकों की नियुक्ति के निदेश दिए जो अध्यक्ष विवाचन की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करेंगे । आईटीडीसी ने विवाचक कार्यवाही

स्थगन की याचना करते हुए याचिका दायर की। माननीय न्यायालय ने अपने 29.9.2011 के आदेश द्वारा 23.5.2011 के आदेश को जारी रखा और उसमें यह संशोधन किया कि विवाचक अधिकरण द्वारा केवल एक मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि क्या आईटीडीसी ने 19.2.2002 के उप–पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है और एमएसएआईएल को किसी हानि/उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। शेष मुद्दों का निर्धारण सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। एमएसआईएल ने 29.9.2011 के आदेश के विरूद्ध एसएलपी दायर की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6.5.2014 को खारिज किया गया। अब मामला संपदा अधिकारी के विचाराधीन है तथा मामला विधि कार्यवाही के अधीन लंबित होने के कारण मैसर्स एमएसआईएल द्वारा परिसर खाली नहीं किया गया है।

5. असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि. के संबंध में ₹ 245.59 लाख के विवादित बिलिंग राजस्व का वर्ष 2006–07 के दौरान लेखाकरण नहीं किया गया है, क्योंकि होटल राष्ट्रीय खेल समारोहों के दौरान प्रदत्त खानपान सेवाओं के लिए विवादित बिल बकाए के भुगतान के लिए मामले को 33वें राष्ट्रीय खेल, 2007 प्राधिकरण के साथ विवाचन में ले गया था। चूंकि मामला विवादाधीन है और कंपनी विवाचन के माध्यम से इसका निपटान करने पर विचार कर रही है।

6. लेखाकरण मानक–7 के अनुसरण में निर्माण संविदाओं संबंधी प्रकटन

(लाख ₹ में)

क)	रिपोर्टिंग तारीख तक स्वीकृत राजस्व की कुल राशि	13,494.95
ख)	रिपोर्टिंग तारीख तक खर्च की गई कुल लागत	12,284.36
ग)	चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व	1,400.03
घ)	वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई लागत	1,308.33
ङ)	रिपोर्टिंग तारीख तक प्राप्त निधियों की कुल राशि	17,790.23
च)	रिपोर्टिंग तारीख तक ग्राहकों को देय अग्रिम	3,256.25
छ)	रिपोर्टिंग तारीख तक ग्राहकों से प्राप्य अग्रिम	164.10

7. लेखाकरण मानक–19 के अनुसरण में पट्टा संबंधी प्रकटन :

निगम की पट्टा व्यवस्था सामान्यतया परिसरों (आवासीय, कार्यालय स्थान और गोदामों आदि) के लिए पट्टों के प्रचालन के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं गैर–निरसन योग्य नहीं हैं और सामान्यतया पारस्परिक सहमत शर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण–योग्य हैं। कुल प्रदत्त/देय पट्टा–किराए को कर्मचारी पारिश्रमिक व हितलाभ (टिप्पणी – 25) तथा प्रचालन व अन्य खर्च (टिप्पणी – 27) के अन्तर्गत किराए के रूप में प्रभारित किया जाता है। कुछ होटल एककों में रेस्टोरैंटों और अन्य व्यावसायिक परिसरों के प्रचालन के लिए अन्य पार्टियों के साथ की गई व्यवस्थाएं लाइसेंस आधार पर हैं और वे भी गैर–निरसन योग्य नहीं हैं और सामान्यतया पारस्परिक सहमत शर्तों पर आपसी सहमति से नवीकरण–योग्य हैं।

8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन :

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) सी.आई.एफ. आधार पर आयातों का मूल्य :		
i) बियर, वाइन और स्पिरिट्स	941.10	557.82
ii) सिगार और सिगरेट	37.71	17.23
iii) अन्य मदें	-	66.99
जोड़	**978.81**	**642.04**
ख) विदेशी मुद्रा में व्यय :		
i) यात्रा	9.18	6.65
ii) शुल्क और अभिदान	2.32	3.75
जोड़	**11.50**	**10.40**
ग) विदेशी मुद्रा में आय (प्रत्यक्ष) (प्राप्ति आधार पर) :		
i) भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं	532.32	442.06
ii) शुल्क मुक्त दुकानों में माल की बिक्री	1,260.31	856.03
iii) विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ (निवल)	5.37	2.38
जोड़	1,798.00	1,300.47

घ) (i) उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु क्षेत्र उद्योग की किसी भी पार्टी को कोई ऐसी राशि, जो एक लाख रुपए से अधिक और 30 दिन की अवधि से अधिक बकाया हो, ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

(ii) भारत सरकार ने "दि माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट, 2006" लागू किया। उक्त अधिनियम के अनुसार, निगम को पार्टियों की पहचान करनी है और एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद, यदि नहीं किया है, उन्हें ब्याज का भुगतान करना है। निगम आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान के लिए कार्यवाही कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ब्याज के लिए देयता निर्धारित नहीं की जा सकी।

(iii) कम्पनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास/पुनरुज्जीवन के लिए उपकर लगाने की व्यवस्था है, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी राजपत्र में यथा–विनिर्दिष्ट कुल कारोबार अथवा सकल प्राप्तियों का कम से कम 0.005 प्रतिशत, परन्तु अधिक से अधिक 0.10 प्रतिशत होगा। चूंकि इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उपकर के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

9. चालू प्रतिष्ठान अवधारणा : एकक प्रारंभ से ही काफी हानि उठा रहा था तथा यहां तक कि अपने प्रचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं प्राप्त कर पा रहा था और एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में संचालन की कोई व्यवहार्यता नहीं थी। निदेशक बोर्ड ने 23 मार्च, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में 31.03.2003 तक ₹ 946.20 लाख की हानि को ध्यान में रख कर निष्पादन की समीक्षा के बाद मार्च 2004 से एकक के वाणिज्यिक प्रचालन को अस्थायी रूप से बंद करने का संकल्प लिया। इसके बाद भारत सरकार ने आईटीडीसी को निदेश दिया है कि होटल नीलाचल अशोक, पुरी के संबंध में दीर्घकालीन पट्टे सहित विभिन्न विकल्पों की जाँच करे। इसलिए भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप निदेशक बोर्ड ने 21 जून, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में होटल नीलाचल अशोक, पुरी को 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर देने का अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने दिनांक 26.05.2007 के अपने पत्र द्वारा अपनी अनुमति प्रदान करते समय उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी की भूमि को 40 वर्ष की अवधि हेतु आगे पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान की। निदेशक बोर्ड ने 09.06.2008 को आयोजित अपनी बैठक में पुरी में संयुक्त उद्यम होटल परिसंपत्ति को 40 वर्ष की अवधि हेतु आगे पट्टा–व–प्रबंध आधार पट्टे पर देने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इस उद्देश्य से गठित समिति ने इस प्रयोजन से पहले ही निविदा जारी कर दी थी और मैसर्स पालमैक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को 40 वर्षों की अवधि के लिए निविदा प्रदान की गई। पट्टाधारक को आशय–पत्र जारी कर दिया गया है।

मै. पालमैक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, जिन्हें होटल नीलाचल अशोक, पुरी के 40 वर्ष के पट्टे की निविदा के अनुसरण में दिनांक 19.01.2010 का आशय पत्र जारी किया गया था, ने माननीय उच्च न्यायालय, कटक के समक्ष डब्ल्यूपी (सिविल) सं. 2013 की 23103 दाखिल की है, जिसमें आशय पत्र

के अनुसरण में होटल नीलाचल अशोक, पुरी के पट्टे से संबंधित पट्टा करार निष्पादन करने के लिए आईटीडीसी और उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि. (यूएएचसीएल) को निदेश देने की प्रार्थना की गई है और आईटीडीसी और यूएएचसीएल को याचिकाकर्ता जमा राशियों पर अधिक, विशेष रूप से 17.2.2010 से ₹ 4.41 करोड़, 28.12.2010 से ₹ 2 करोड़, 29.12.2010 से ₹ 1.41 करोड़ और 07.10.2011 से ₹ 70 लाख पर ब्याज का परिकलन करने और उक्त ब्याज को शेष भुगतान के लिए समायोजित करने के लिए निदेश देने की भी प्रार्थना की गई है। इसके बाद मै. पालमैक ने तारीख 10.12.2013 के पत्र के अनुसार पट्टा रद्द करने पर स्थगन मांगते हुए संशोधन याचिका दायर की।

पालमैक द्वारा एलओई के खंड–2 के गैर–अनुपालन के कारण यूएएचसीएल ने दिनांक 10.12.2013 के पत्र संख्या आईटीडीसी/नीलाचल/2013 द्वारा आशय पत्र को समाप्त कर दिया। निदेशक बोर्ड की 19.09.2013 को आयोजित बैठक में यह पता लगाने का निर्णय लिया गया कि (क) आवश्यक नवीकरण करने के पश्चात् होटल को चलाने की संभावना (ख) होटल को पूरी तरह गिरा दिया जाए और इसके स्थान पर नए होटल का निर्माण किया जाए (ग) होटल को सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से चलाया जाए (घ) अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, जहां है, जैसा है, के आधार पर होटल को पट्टे पर दिया जाए।

उपर्युक्त याचिका दायर करने के पश्चात् मैं. पालमैक ने संशोधित याचिका दाखिल की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक 10.12.2013 के पत्र को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा ओपी सं. 5–यूएएचसीएल के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 19.01.2010 के आशय पत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

यह मामला 15.10.2014 को सुनवाई के लिए आया था। हमारी ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र देखने के बाद माननीय न्यायालय ने निदेश दिया कि मामले को अंतिम निपटान के लिए प्रस्तुत किया जाए। अब मामला किसी भी दिन सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। पूर्व में पारित अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तिथि तक जारी रखने का निदेश दिया गया है। जैसाकि वरिष्ठ अधिवक्ता ने सूचना दी है, मामला ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। आईटीडीसी ने अस्थायी आवास/समारोह अवसरों के लिए होटल नीलाचल अशोक के प्रयोग की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन को 04.07.2015 को सूचीबद्ध किया गया जब न्यायालय के किसी कर्मचारी की मृत्यु के कारण भोजनावकाश के बाद न्यायालय का कार्य नहीं हुआ। हालांकि हमारे अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के लिए ज्ञापन दायर किया जा रहा है, मामले की सुनवाई अभी प्रारंभ नहीं हुई है। दिनांक 09.02.2016 को आईटीडीसी ने रिट याचिका की शीघ्र सुनवाई और निपटान का निदेश देते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए 2016 का विविध मामला संख्या 2188 दाखिल किया।

अतः उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुरी में कम्पनी के होटल एकक को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए गए हैं, ताकि उसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य तरीके से चलाया जा सके। प्रबंधकवर्ग का किसी भी समय एकक को स्थायी रूप से बंद करने का इरादा नहीं था। वाणिज्यिक कार्यकलापों के स्थायी निलम्बन तथा साथ ही यथा उल्लिखित पुनरुज्जीवन प्रक्रिया में प्रगति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक लेखे 'चालू प्रतिष्ठान' आधार/अवधारणा पर तैयार किए गए हैं।

10. होटल नीलाचल अशोक के कुल 23 कर्मचारियों में से 22 कर्मचारी, जिन्होंने वीआरएस लिया है, 30.04.2015 (अपराह्न) से कार्यमुक्त माने गए हैं। उपर्युक्त सभी 22 कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान वीआरएस स्कीम के अनुसार उन्हें देय राशि का संपूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया गया है, शेष 1 कर्मचारी ने भी 3 मार्च, 2016 को वीआरएस की पेशकश स्वीकृत की है। तदनुसार, वीआरएस स्कीम के अंतर्गत उसे देय राशि समय पर अदा की जाएगी।

11. कम्पनी, पंजाब अशोक होटल कम्पनी लि. 11 नवम्बर, 1998 में निगमित की गई थी। इस सहायक कंपनी का एकमात्र होटल निर्माणाधीन है। होटल भवन का निर्माण 1998–99 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा प्रदत्त 5 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। इसके लिए करार का निष्पादन 30.03.2000 को किया गया था। तदनुसार, कम्पनी को 99 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार प्रदान किया गया। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की गई। आनंदपुर साहिब में कम्पनी की होटल परियोजना का निर्माण कार्य, निधि के अभाव में काफी समय से रुका हुआ है।

12. लेखाकरण मानक–17 के अनुसरण में क्षेत्रवार रिपोर्टिंग पर प्रकटन इस टिप्पणी के **अनुबंध ''क''** में दिया गया है।

13. लेखाकरण मानक–18 के अनुसरण में संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन का प्रकटन, लागू सीमा तक निम्न प्रकार है :

मुख्य प्रबंधकवर्ग कार्मिक :–

1. श्री उमंग नरूला,
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
24.04.2015 से आज तक

2. श्री पीयूष तिवारी,
निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन)
28.05.2015 से आज तक

3. श्री प्रदीप कुमार दास,
निदेशक (वित्त),
25.02.2016 से आज तक

4. श्री गिरीश शंकर,
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
10.12.2014 से 23.04.2015 तक

5. श्री त्रिनाथ बेहरा,
निदेशक (वित्त),
26.04.2013 से 30.06.2015 तक

मुख्य प्रबंधकवर्ग कार्मिकों तथा उनके संबंधियों को किए गए भुगतान

(लाख ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पारिश्रमिक	64.21	61.61

14. भारत सरकार के निर्णय के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि पर्यटन मंत्रालय कंपनी की होटल परिसंपत्तियां, जिनमें सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, की बिक्री/पट्टे के प्रस्ताव की जांच करेगा। यदि होटल की परिसंपत्तियां राज्य सरकार की पट्टा भूमि पर स्थित हैं और राज्य पट्टा बढ़ाने का इच्छुक नहीं है, तो यह परिसंपत्ति राज्य सरकार को उसके आधिकारिक मूल्य पर देने की पेशकश की जा सकती है। इस बीच सरकार द्वारा आंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) गठित की गई है, जो लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहा है जो परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने, कानूनी सलाह देने, कर्मचारियों के स्थानांतरण/निकासी/अवशोषण, प्रलेखन इत्यादि की संपूर्ण कार्रवाई करेगा।

आज की तिथि को बंद करने संबंधी किसी औपचारिक अनुमोदित योजना के अभाव के कारण होटल प्रचालनों को एएस–24 के आशय के अंतर्गत कंपनी के सामान्य जारी प्रचालन माना गया है।

इसके अतिरिक्त, विनिवेश/होटल परिसंपत्तियां जिनमें सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां शामिल हैं, के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है और यह आशा की जाती है कि सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों के बिक्री/पट्टे के प्रस्तावित लेनदेन पूरा होने पर कंपनी इन कंपनियों में किए गए उसके निवेश तथा प्रबंधन शुल्क और ऋण तथा अग्रिमों इत्यादि की प्राप्य धनराशि की संपूर्ण वसूली करने में सक्षम होगी। अतः इस संबंध में प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया और इन खातों को वसूलीयोग्य माना गया है।

15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक–28 – "परिसम्पत्तियों की क्षति" के अनुसार प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को परिसम्पत्ति स्थायी/चालू पूंजीगत कार्य की क्षति और हानि, यदि कोई हो, को दिखाया जाता है। प्रबंधकवर्ग की राय में 31 मार्च, 2016 को गुलमर्ग स्थित अधूरी होटल परियोजना सहित सक्रिय उपयोग में न आ रही परिसम्पत्तियों, चालू पूंजीगत कार्य में स्वीकृत हानि के अलावा इस प्रकार की कोई ऐसी हानि नहीं है, जिसे दिखाया जाता/जिसके लिए व्यवस्था की जाती।

16. व्यवस्था, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ – लेखाकरण मानक–29 के अनुसरण में प्रकटन :

(लाख ₹ में)

व्यवस्था का नाम	1.04.2015 को शेष	2015–16 के संबंध में वर्ष के दौरान की गईं व्यवस्था	2014–15 के संबंध में वर्ष के दौरान की गईं व्यवस्था	वर्ष के दौरान भुगतान/ समायोजन	प्रत्यावर्तित/ पुनरांकित व्यवस्था	31.03.2016 को अंत शेष
आयकर	965.78	1,236.85	0.40	964.49	1.69	1,236.85
संपत्तिकर	0.79	-	-	0.79	-	-
लाभांश–कर	349.21	265.91	-	349.21	-	261.91

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में यथा अपेक्षित सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उद्यमों की वर्ष 2015–16 की अतिरिक्त सूचना **अनुबंध–"ख"** में दी गई है।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की विशेषताओं वाला विवरण **अनुबंध–"ग"** में दिया गया है।

19. प्रबंधकवर्ग की राय में, स्थायी परिसंपत्तियों और गैर–चालू निवेशों को छोड़कर सामान्य व्यवसाय के दौरान वसूल की गई परिसंपत्तियों की कीमत तुलन पत्र में उल्लिखित इनके मूल्य से कम नहीं होगी।

20. लेखाकरण नीतियों पर लेखाकरण मानक–1 के अनुसार प्रकटन

वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

क) नीति संख्या 1 – कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर विचार करते हुए "लेखाकरण परिपाटी" को संशोधित किया गया है;

ख) नीति संख्या 9 – उपदान निधि न्यास के प्रकटन के लिए "उपदान" को संशोधित किया गया है;

ग) नीति संख्या 17 – प्रकटन के प्रयोजनार्थ "क्षेत्रवार रिपोर्टिंग" को जोड़ा गया है;

घ) नीति संख्या 18 – प्रकटन के प्रयोजनार्थ "नकदी प्रवाह" को जोड़ा गया है।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए किए गए हैं और इसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 32 {क्रम सं. 12} का अनुबंध 'क'
कार्यक्षेत्र रिपोर्टिंग – एएस–17

(लाख ₹ में)

	होटल/रेस्टोरैंट प्रचालन		शुल्क मुक्त दुकान प्रचालन		ट्रैवल्स व टुअर्स प्रचालन		आर्म्स व विविध प्रचालन		निर्माण, परामर्शी व एसईएल परियोजनाएं		अन्य		कम्पनी के लिए जोड़	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्रारम्भिक प्रकटन (प्रचालन–वार)														
1 **कार्यक्षेत्र राजस्व**														
क) कुल राजस्व	30,133.66	28,609.29	1,626.81	1,095.61	10,486.79	13,220.17	3,223.30	3,547.80	1,531.39	2,043.07	2,529.94	2,772.18	49,531.90	53,189.71
ख) घटाएं: अंतः कार्यक्षेत्र राजस्व	146.57	80.18	-	-	49.93	77.46	529.46	573.12	-	-	-	-	725.96	730.76
ग) बाह्य राजस्व	29,987.09	28,529.11	1,626.81	1,095.61	10,436.86	13,142.71	2,693.84	2,974.68	1,531.39	2,043.07	2,529.94	2,772.19	48,805.94	52,458.95
2 **कार्यक्षेत्र परिणाम**														
ब्याज, कर व उपरिव्यय से पूर्व लाभ/(हानि)	3,406.62	3,339.39	240.63	172.15	(1,037.42)	141.16	247.64	575.37	(283.92)	(545.15)	765.88	2,790.02	3,339.43	6,472.94
घटाएं : आबंटन–योग्य निगम उपरिव्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(536.50)	2,812.41	(536.50)	2,812.41
घटाएं : ब्याज	24.71	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.72	19.88	65.43	41.88
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान	6.85	15.79	1.24	1.17	-	-	-	-	-	-	1,230.00	950.00	1,238.09	966.96
घटाएं : धनकर के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79	-	0.79
घटाएं : आस्थगित–कर के लिए प्रावधान	(11.21)	(24.04)	-	-	-	-	-	-	-	-	(243.49)	(441.96)	(254.70)	(466.00)
जोड़ें : पिछले वर्ष पुनरांकित हेतु आयकर के लिए प्रावधान	1.60	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	50.71	1.65	52.91
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ/(हानि)	3,387.86	3,327.84	239.39	170.98	(1,037.42)	141.16	247.64	575.37	(283.92)	(545.15)	275.20	(500.40)	1,755.76	3,169.81
3 **कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियाँ** (चालू परिसम्पत्तियाँ तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ व डब्ल्यूआईपी)	19,128.17	19,701.80	1,000.08	818.23	3,178.21	2,994.31	2,459.90	1,392.09	533.87	1,184.69	31,329.23	32,154.61	57,629.46	58,245.73
4 **कार्यक्षेत्र देयताएं**	21,003.21	20,941.08	824.19	658.14	1,996.81	2,149.24	2,959.81	2,185.50	7,398.57	8,759.56	(3,661.25)	(3,604.76)	30,521.34	31,088.76
5 अवधि के लिए कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास और परिशोधन	847.46	1,082.53	1.99	3.24	4.26	11.51	16.40	8.12	0.22	0.60	20.17	23.26	890.50	1,129.26
6 कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियों (मूर्त तथा अमूर्त स्थायी परिसम्पत्तियाँ) को प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान खर्च लागत	560.93	564.70	2.48	0.17	3.71	9.07	257.32	1.55	-	1.15	18.46	11.17	842.90	587.81
7 व्यवसाय कार्यक्षेत्र द्वारा मूल्यह्रास तथा परिशोधन को छोड़कर किया गया गैर–नकद व्यय	843.24	1,142.60	(18.17)	22.30	(97.20)	195.70	40.84	25.04	14.75	97.11	(11.24)	27.11	772.22	1,509.86

टिप्पणी: अनुपूरक (भौगोलिक) प्रकटन नहीं दिया गया है, क्योंकि कम्पनी के विदेशों में कोई प्रचालन/कार्यकलाप नहीं हैं।

अनुबंध–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में यथापेक्षित सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उद्यमों की वर्ष 2015–16 की अतिरिक्त सूचना

(लाख ₹ में)

मूल कंपनी अर्थात् भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में कंपनियों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियों में से घटाकर कुल देयताएं		लाभ अथवा हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
भारत पर्यटन विकास निगम	110.02	33,212.38	126.37	2,255.40
सहायक कंपनियां – भारतीय				
राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-0.90	-272.24	-9.42	-168.12
मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.10	31.20	-1.96	-34.92
पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.23	69.37	-1.19	-21.17
उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-6.13	-1,850.05	-11.06	-197.42
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	0.77	232.99	-0.01	-0.12
डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.76	229.30	0.04	0.76
असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-2.58	-778.18	-8.71	-155.49
सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	0.91	275.74	-1.63	-29.06
संयुक्त उद्यम (यथा समानुपातिक)				
आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लि.	-0.79	-239.87	0.16	2.78

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की विशेषताओं वाला विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियां

(लाख ₹ में)

सहायक कंपनी का नाम	राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लि.	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	डोनी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लि.
यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है तो संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शेयर पूंजी	489.96	160.00	160.00	480.00	250.00	99.75	100.00
आरक्षित निधि (संचित हानियों का निवल)	(763.88)	(128.80)	(90.63)	(2,330.05)	(17.01)	129.55	(878.18)
कुल परिसंपत्तियां	352.73	605.56	299.59	272.39	291.29	391.24	414.18
कुल देयताएं	624.96	574.36	230.23	2,122.44	58.30	161.94	1,192.36
निवेश	-	-	-	-	-	-	-
कुल करोबार	147.61	722.63	390.92	-	-	292.57	699.56
कराधान पूर्व लाभ/हानि	(168.12)	(48.45)	(20.15)	(197.42)	(0.12)	7.31	(155.49)
कराधान हेतु प्रावधान	-	-	(1.02)	-	-	6.55	-
कराधान पश्चात् लाभ/हानि	(168.12)	(34.92)	(21.17)	(197.42)	(0.12)	0.76	(155.49)
प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारिता का प्रतिशत	51.00	51.00	51.00	91.54	51.00	51.02	51.00

सहायक कंपनियों के नाम, जिनका प्रचालन अभी आरंभ होना है।

1. पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियों के नाम, जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया अथवा बेचा गया है। लागू नहीं

भाग "ख" : सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में संयुक्त उद्यम से संबंधित विवरण

(लाख ₹ में)

	सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्रा. लि.
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	2013-14
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयर	
	सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.50
	शेयरधारिता का प्रतिशत	50.00
3.	महत्त्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	शेयरधारिता की % प्रतिशतता के कारण महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।
4.	सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (2013–14) के अनुसार	
	शेयरधारिता को देय शुध मालियत	(245.26)
6.	वर्ष के लिए लाभ/हानि*	
	i) समेकन में विचार किया गया	2.78
	ii) समेकन में विचार नहीं किया गया	शून्य

*समेकन में विचार किया गया लाभ संयुक्त उद्यम आईटीडीसी एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष 2015–16 के अलेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित है।

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें अभी प्रचालन आरंभ करना है।	लागू नहीं
सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम, जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है अथवा बेचा गया है।	लागू नहीं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण		31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कराधान–पूर्व लाभ		2,737.50		3,618.65
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	890.50		1,129.26	
स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य मे ह्रास/क्षति	4.20		-	
आस्थगित सरकारी अनुदान	(1.51)		(1.19)	
वित्तीय प्रभार	65.43		41.88	
ह्रासित मालसूची के लिए व्यवस्था	0.08		2.10	
संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए व्यवस्था	432.21		607.47	
ब्याज आय	(2,494.83)		(2,599.46)	
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अग्रिम	7.63		19.13	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(0.81)	(1,097.10)	(5.35)	(806.16)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		1,640.40		2,812.49
चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी				
मालसूची	(175.44)		79.04	
व्यापार प्राप्य	743.40		(4,471.59)	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(27.67)		(357.33)	
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	(25.23)		26.65	
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	30.74		(6.44)	
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	442.19	987.99	(1,017.82)	(5,747.49)
चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)				
व्यापार देय	212.21		878.60	
अन्य चालू देयताएँ	(347.52)		(1,523.62)	
अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	(39.36)		180.80	
दीर्घकालिक प्रावधान	(237.09)		(193.56)	
अल्पकालिक प्रावधान	44.10	(367.66)	123.89	(533.89)
प्रचालन से नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह)		2,260.73		(3,468.89)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर				
प्रदत्त आयकर	965.67		396.35	
पूर्व वर्षों के लिए पुनरांकित आयकर	-	965.67	(52.91)	343.44
प्रचालन से निवल नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह) (क)		1,295.06		(3,812.33)

ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद		(843.01)	(580.18)
	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री और समायोजन		0.02	17.39
	ब्याज/लाभांश से आय		2,494.83	2,599.46
	चालू कार्यों में कमी/(वृद्धि)		(147.89)	(76.20)
	निवेश में (वृद्धि)/कमी		-	-
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह)(ख)		1,503.95	1,960.47
ग.	**वित्त प्रबन्ध गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	शेयर पूँजी में वृद्धि		-	-
	उधार में वृद्धि/(कमी)		46.45	20.30
	वित्तीय प्रभार		(65.43)	(41.88)
	प्रदत्त धनकर		(0.79)	(0.68)
	प्रदत्त लाभांश		(1,715.39)	(428.85)
	प्रदत्त लाभांश–कर		(349.21)	(72.88)
	आस्थगित सरकारी अनुदान		1.51	1.19
	वित्त प्रबन्ध गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह/(बाहिर्वाह) (ग)		(2,082.86)	(522.80)
	वर्ष के दौरान नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन		716.15	(2,374.66)
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समतुल्य*		27,707.14	30,081.80
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य*		28,423.29	27,707.14

*ब्यौरों के लिए टिप्पणी–18 देखें
सीएसआर के लिए टिप्पणी 27 में पाद टिप्पणी देखें

(वी के जैन)
कम्पनी सचिव

(ए के जैन)
प्रधान प्रबंधक (वित्त व लेखा)

(प्रदीप कुमार दास)
निदेशक (वित्त)

(उमंग नरूला)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते, मैसर्स किशोर एंड किशोर
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 00291एन)

(अंशु गुप्ता)
साझीदार
(सदस्यता सं. 077891)

तारीख : 30 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधकवर्ग का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखाकरण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, उन्होंने ऐसा तारीख 30 मई, 2016 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य संचालन दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ चुनिंदा लेखाकरण रिकॉर्डों की जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी महत्त्वपूर्ण मेरी जानकारी में नहीं आया, जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाए अथवा अनुपूरक दिया जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पूर्व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जुलाई, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत पर्यटन विकास लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधकवर्ग का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर अपनी राय देने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, उन्होंने ऐसा तारीख 30 मई, 2016 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों मध्य प्रदेश होटल कारपोरेशन लिमिटेड, असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड तथा डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न सूची के अनुसार इसकी चार सहायक कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख) इसके संयुक्त उद्यम आईटीडीसी–एल्डिआसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं हैं, क्योंकि अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए यह निजी कंपनी है और इसकी अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ने इस कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की है और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य संचालन दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और चुनिंदा लेखाकरण रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी महत्त्वपूर्ण मेरी जानकारी में नहीं आया है, जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाए अथवा इसमें अनुपूरक दिया जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पूर्व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-I,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 जुलाई, 2016

अनुबंध

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियों की सूची, जिनकी भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

1. उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड
2. राँची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड
3. पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड
4. पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफैक्स : 011–24360249 वेब : www.theashokgroup.com
सीआईएन : एल74899डीएल1965जीओआई004363

परोक्षी फॉर्म

सदस्य का नाम	
फोलियो सं.	
डीपी आईडी सं.	
ग्राहक आईडी सं.	
धारित शेयरों की सं.	

मैं/हम उपर्युक्त कंपनी के ..... शेयर के सदस्य होने पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित को :

नाम		हस्ताक्षर	
पता			
ई–मेल आईडी			

या उसके न होने पर

नाम		हस्ताक्षर	
पता			
ई–मेल आईडी			

या उसके न होने पर

नाम		हस्ताक्षर	
पता			
ई–मेल आईडी			

सम्राट होटल, नई दिल्ली–110021 में 29 सितम्बर, 2016 बृहस्पतिवार को 1600 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की आम वार्षिक बैठक और ऐसे प्रस्तावों, जैसाकि नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं, के संबंध में किसी स्थगन पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए उपस्थित और मत/मतदान होने पर मेरे/हमारे परोक्षी के रूप में नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	संकल्प	पक्ष में	विपक्ष में
	साधारण कार्य		
1.	31 मार्च, 2016 को केवल वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा बोर्ड की रिपोर्ट स्वीकार करना		
2.	समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट स्वीकार करना		
3.	ईक्विटी शेयर पूंजी पर 15 प्रतिशत की दर से लाभांश की घोषणा		
4.	श्री पीयूष तिवारी, निदेशक, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, की पुनर्नियुक्ति		
5.	श्री संजीव रंजन, निदेशक, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, की पुनर्नियुक्ति		
	विशेष कार्य		
6.	स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय स्वरूप की 08.08.2016 से नियुक्ति का अनुमोदन		
7.	स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री करसनभाई भिखाभाई पटेल की 08.08.2016 से नियुक्ति का अनुमोदन		

इस पर तिथि .....माह ..... ,2016 को हस्ताक्षर किए।

₹ 1/– का राजस्व टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर .....

परोक्षी धारक/धारकों के हस्ताक्षर .....

होटल सम्राट का सड़क मानचित्र

पहचान संकेत :

- होटल दि अशोक के समीप
- रेसकोर्स मेट्रो स्टेशन के पास
- पुराने वेलिंग्टन कैम्प के पास